खण्ड-349, अंक-5
शुक्रवार, 8 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(27 फरवरी, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 349 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६५५—६५९
प्रश्नोत्तर	६६१—७०३
फतेहपुर सीकरी (आगरा) में खनन कार्य के कारण ऐतिहासिक भवनों को खतरे के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना	७०३—७०४
प्रदेश के महाविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में विधान भवन के सामने प्रदर्शन के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना	७०४
गंगा कैनाल की नहर सिकन्दरा रजबहा के फट जाने से कानपुर के कतिपय ग्रामों में फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना	७०५
नगर, लखनऊ निवासी श्री श्याम सुन्दर गावा के घर डकैती के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना	७०५—७०६
दिल्ली से प्रकाशित 'करेंट' साप्ताहिक के संवाददाता श्री गिरधारी लाल पाहवा, प्रधान सम्पादक, श्री अयूब सैय्यद एवं सम्पादक, श्री महावीर अधिकारी के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	७०६—७०७
बांदा जिले की अछल्दा थाने की पुलिस द्वारा ग्राम नगला दरियाय निवासी, श्री उदल को उनके घर से पकड़ ले जाने और बाद में पेड़ से बांधकर गोली से उड़ा दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	७०७—७०९
स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं	७०९—७१२
१९८१-८२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ९—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका, अनुदान संख्या ४२—आवास एवं नगर भूमि, अनुदान संख्या ७९—स्वायत्त शासन विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ११२—स्वायत्त शासन—ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या ११३—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम (जारी)	७१३—७५१
अमर शहीद, श्री चन्द्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि	७५१—७५२
विविध समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में नाम वापसी की तिथि बढ़ाने की सूचना	७५२

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९८१-८२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या ९—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका, अनुदान संख्या ४२—आवास एवं नगरभूमि, अनुदान संख्या—७९—स्वायत्त शासन पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ११२-स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या ११३—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	७५३—७७
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	७७८—७७
गोरखपुर विश्वविद्यालय में पुलिस द्वारा एक प्रवक्ता की पिटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	७७९—७८
अस्थी	७८७—७८

अविकल प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक २७ फरवरी १९८१

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य २२७

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह संठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, (उर्फ अनिल सिंह) श्री (फतेहपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशोक कुमार वाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, (उर्फ सुल्तन भैय्या) श्री (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र श्री, (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, (उर्फ बालराज) श्री (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णबीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)

खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गोंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जिया राम शुक्ल, 'विकल साकेती' श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोण्डा)
दीपू उर्फ दीप नरायन, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मबीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

धूप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्दराम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
निर्भय नारायण सिंह, (उर्फ लाल बाबू) श्री (बलिया)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनीहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलावान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबूराम, श्री (पीलीभीत)

बाबू लाल, श्री (गोण्डा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह कैन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)

मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोण्डा)
महमद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल दहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहमद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोण्डा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कूंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन बारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राजकिशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, ी (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
रामप्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
रामयश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूपराम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)

विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह.राना, श्री (आगरा)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेई, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दरीसंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिं, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हीरद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हीर प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हीरवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हेम चन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट—मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २७ फरवरी, १९८१

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*१—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं, नियमों का उल्लंघन आदि के विरुद्ध दिनांक १९-९-८० को दिए गए प्रार्थना-पत्र पर जिस पर निबंधक, फार्म्स, सोसायटीज एवं चिट फंड, उ० प्र० को जांच कराने के आदेश दिए गए थे, जाँच की अब तक क्या स्थिति है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

माननीय विधायक महोदय ने अपने उल्लिखित पत्र दिनांक १९-९-८० में प्रश्नगत् समिति तथा उसके द्वारा संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल द्वारा की जा रही अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए विशेष सम्परीक्षा हेतु ४ बिन्दु बताए थे और विशेष सम्परीक्षा कराए जाने की मांग की थी ।

विशेष सम्परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पायी गयी क्योंकि स्कूल की वर्ष १९६१-६२ से १९७९-८० (वर्ष १९७६-७७ तथा १९७७-७८ को छोड़कर) तक की सम्परीक्षा पहले ही की जा चुकी है । वर्ष १९७६-७७ तथा १९७७-७८ की सम्परीक्षा भी करायी जा रही है । माननीय विधायक महोदय द्वारा उठाये गये अन्य चार बिन्दुओं के बारे में जांच की स्थिति निम्नवत है—

१—अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति दी आल इण्डिया क्राइम प्रिवेन्शन सोसाइटी के नाम से दिनांक २५-८-५० से रजिस्टर्ड है । उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति पंजीकृत संस्था के किसी पद पर आजीवन नहीं रह सकता । इस अधिनियम की धारा ४-ए के अनुसार संस्था के नियमों आदि में संशोधन की सूचना रजिस्ट्रार को दी जानी होती है । अधिनियम में रजिस्ट्रार की ओर से संशोधन पर अनुमोदन दिए जाने का प्राविधान नहीं है किन्तु उ० प्र० सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन रूल्स के अन्तर्गत संशोधन को निर्धारित प्रपत्र में अंकित करना होता है जो रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया गया है और जिसके लिए रजिस्ट्रार को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं ।

[श्री काशी नाथ मिश्र—]

२—स्कूल की प्रश्नगत भूमि में अभिलेखों के अनुसार केवल साग सब्जियां ही पैदा की गयी थीं । जिसे साग-सब्जी भण्डार पंजी में अंकित करके आश्रम के विद्यार्थियों के भोजनादि में उपयोग किया गया ।

३—सितम्बर १९७५ में अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति को अखिल भारतीय दण्ड शास्त्र सम्मेलन के आयोजनार्थ ५,००० रु० का अनावर्त्तक अनुदान प्राप्त हुआ था जो समिति के रोकड़ बही में दिनांक २४-९-७५ को अंकित किया गया था जिसके विपरीत इस मद पर रु० ५,८३०.६४ पैसे व्यय किये गये थे । इससे स्पष्ट है कि स्मारिका प्रकाशन के व्यय स्कूल निधि से नहीं किए गए थे बल्कि समिति के निधि से किए गए थे । अतः इसमें कोई अनियमितता नहीं है ।

४—कथित रुपये ५२,००० के अनियमित व्यय से सम्बन्धित कोई प्रकरण किसी एक वर्ष की सम्परीक्षा आख्या में नहीं पाया गया । वर्ष १९६१-६२ से १९७९-८० (१९७६-७७ तथा १९७७-७८ को छोड़कर) तक की सम्परीक्षा आख्याओं में वर्णित आपत्तियों में लगभग रु० ७९,००० का अनियमित अप्रयुक्त अनुदान अथवा अधिक भुगतान की धनराशियां सम्मिलित हैं । इसके अतिरिक्त गायब सामग्रियों में से जिनके क्रय मूल्य उपलब्ध हो सके हैं में लगभग रु० ११,००० की धनराशि अन्तर्निहित है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

१९७६-७७ तथा १९७७-७८ की सम्परीक्षा क्यों नहीं कराई गयी ? दूसरा मान्यवर, यह है कि जो संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव है वह कब पास किया गया और उसकी सूचना रीजस्ट्रार को कब दी गई ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

१९७६-७७ और १९७७-७८ का भी हमने कराया और जो रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई, वह ठीक नहीं जंची और उसको दाखिल नहीं किया गया । जो सम्परीक्षा करने गया था उसने सही रिपोर्ट नहीं दिया इसलिए उसको सर्विस से निकाल दिया । जो सूचना प्राप्त हुई, वह निम्न स्तर की थी इसलिए माननीय सदन के सामने पेश करना उचित नहीं समझा और उसकी फिर से जांच करा रहे हैं । दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य का था उसमें यह है कि जब १९७७ में रिनीवल हो रहा था तो उसमें यह कहा गया कि लाइफ लांग इसको मेम्बर मान लिया जाय । कोई ऐसा नियम नहीं मिलता कि उनको वंचित किया जा सके

श्री भीखा लाल—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा अपने उत्तर में उन्होंने बताया कि ६१ से ७९ तक करीब ७९ हजार की अनियमितता पाई गई, उसका निराकरण हुआ या नहीं ? मान्यवर, उस प्रगति आश्रम में सरकार ने जो मापदंड निश्चित कर रखा है, उसके अनुसार नहीं दिया जाता है, इसके लिए वहां पर दो साल पहले बच्चों ने आन्दोलन किया था, जिसके बिना पर करीब दो दर्जन विद्यार्थी जेल में गए । मैं माननीय मंत्री जी से यह

जानना चाहता हूं कि सोसाइटी और प्रगति आश्रम की गतिविधियों की जांच पड़ताल करने के लिए कोई दूसरी विशेष व्यवस्था क्या सरकार करेगी ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, शासन इसके प्रति सचेष्ट और जागरूक है और शासन के सामने जो गड़बड़ियां हैं, उनको दूर करने के आदेश भी दे दिए गए हैं । करीब-करीब ५२-५४ हजार रुपये वापस लेना है और जो भी कानून और व्यवस्था के अनुसार आवश्यक होगा, वैसी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने प्रशासन संबंधी व्यय के बारे में जो उत्तर दिया है, उस सिलसिले में यह जानना चाहूंगा कि जब संपरीक्षा ही नहीं हुई तो उसका आधार क्या है, व्यय के बारे में उत्तर देने का ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

श्रीमन् स्मारिका के संबंध में सारी जांच की गई । जो स्मारिका की निधि थी, उसमें से पैसा खर्च नहीं किया गया । अब कहां से पैसा लाकर उन्होंने खर्च किया यह तो मैं नहीं बता सकता लेकिन संस्था की निधि का पैसा स्मारिका में खर्च किया गया, ऐसी कोई सूचना शासन को नहीं थी ।

शारदा शुगर इण्डस्ट्रीज लि०, पलिया कलां, जिला खीरी द्वारा जमा करायी गयी शेयर की धनराशि

*२—श्री भीखा लाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा शुगर इण्डस्ट्रीज लि० पलिया कलां, जिला खीरी ने शेयर देने के नाम पर लगभग एक लाख सत्तर हजार रुपए कृषकों से जमा कराया है ? यदि हां, तो क्या संबंधित कृषकों को शेयर सर्टीफिकेट दे दिये गये ? अगर नहीं तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

शारदा शुगर इंडस्ट्रीज लि० पलिया कलां, जिला खीरी ने शेयर देने के लिए ७,१३२ कृषकों से कुल अंकन ४७,३८,५४०.०० रुपए जमा कराए हैं । ५,५६६ कृषकों को शेयर सर्टीफिकेट दे दिए गए हैं । ४०२ कृषकों को रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये शेयर सर्टीफिकेट्स जिनका मूल्य अंकन २,२४,६६०.०० रुपया है, उनको प्राप्त न होने के कारण चीनी मिल को वापस प्राप्त हो गए हैं । शेष १,१६४ कृषकों ने अंशों की पूर्ण धनराशि जमा नहीं की है अतः उनके शेयर सर्टीफिकेट उक्त मिल द्वारा जारी नहीं किए गए हैं । मिल ने संबंधित कृषकों को डाक द्वारा तथा मिल के कामदारों द्वारा सूचित किया है कि वे बकाया अंशधन जमा करके शेयर सर्टीफिकेट ले लें ।

श्री भीखा लाल—

माननीय मंत्री ज़ी के उत्तर से यह स्पष्ट हैं कि लगभग ५० लाख रुपया शेयर्स का जमा हुआ, जो पूरा का पूरा जमा हो गया। कुछ के सर्टिफिकेट दिए गए कुछ के नहीं दिए गए। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पूरे शेयर पचास लाख लगभग के जमा हुए हैं वे कब जमा हुए और शेयर कब से देनें शुरू किए गए ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

वर्ष १९६७-६८, १९६८-६९, १९६९-७० सीजन से कटौती हुई थी। सर्टिफिकेट कब से इश्यू हुए इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

[दिनांक २७ फरवरी, १९८१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

शाहजहांपुर जिले के मोहल्ला मोहम्मदजई को शराब की दुकान का लाइसेन्स

*१—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, १९८० में शाहजहांपुर शहर में एक देशी शराब की दुकान मुहल्ला मोहम्मद जई में खोले जाने हेतु लाइसेन्स दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त दुकान उस मुहल्ले में न खोलकर दिनांक २८-९-१९८० को मुहल्ला खलीलशामी में खोली गयी ? यदि हां, तो क्या इसके विरोध में दिनांक २७-९-८० को मुहल्ले के लोगों ने जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया था और समस्या के समाधान न होने पर स्थानीय लोगों ने दिनांक २८-९-८० को विरोध स्वरूप प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किए गए लोगों के समर्थन में दुकानें बन्द रहीं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त दुकान को वहां से हटाए जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी।

श्री भानु प्रताप सिंह—

यह सही है कि माह सितम्बर, १९८० में जनपद शाहजहांपुर में एक देशी शराब की दुकान मोहल्ला मोहम्मद जई में खोले जाने हेतु नीलाम किया गया था। स्थानाभाव के कारण यह दुकान दिनांक २७-९-८० को मोहल्ला मुहम्मद जई से मिली सड़क के दूसरी ओर स्थित मोहल्ला खलीलशकीं में खोली गई थी। इस स्थान से दुकान हटाने के लिए मोहल्ला हुन्डाल खेल, खलीलशकीं व मालखाना मोड़ के निवासियों ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक २७-९-८० जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के समक्ष दिनांक २८-९-८० को प्रस्तुत किया था। शान्ति भंग होने की संभावना होने के कारण दिनांक २८-९-८० को धारा १०७/११६ द० प्र०सं० के अंतर्गत चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। उसी दिन आसपास में कुछ दुकानें बन्द रहीं। बाद में जनता की भावनाओं का आदर करते हुए इस दुकान को दिनांक ३-१०-१९८० को बन्द कर दिया गया और कुछ दिन पश्चात् जब मोहल्ला मोहम्मदजई में उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो गया तब से यह दुकान वहीं खोल दी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि सम्बन्धित दुकान मोहम्मद जई में खोली जानी थी और उसी स्थान के लिए नीलाम भी हुआ लेकिन वह दुकान वहां न खोल कर खलीलशकीं में खोली गयी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस दुकान को दूसरे मोहल्ले में खोलने के लिए कोई जिलाधिकारी से परमिशन ली गयी और परमिशन ली गई तो कब ली गई ? अगर परमिशन नहीं ली गई तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न के आने के बाद जो मैंने जानकारी की आपने जो प्रश्न पूछा है अभी उसके हिसाब से यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि उस दुकानदार ने जहां वह मोहल्ला खतम होता था और जहां वह सड़क दोनों मोहल्ला को जोड़ती है, उसने दूसरी साइड में दूसरे मोहल्ले में उस दूकान को खोल लिया । वहां पर दुकान खोलने की आज्ञा उसने जिलाधिकारी से ली या नहीं ली और यदि ली, तो कब ली, इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्रीजी को जानकारी है कि जब दूकान दूसरे मोहल्ले में खोली गई है, तो क्या वहां पर कोई सार्वजनिक स्थान जैसे कोई स्कूल या मंदिर तो नहीं है, इसको देखा गया ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, ऐसा कोई स्थान पड़ता है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि उसने वहां से वह दुकान हटा ली है और जहां के लिए वह दुकान स्वीकृत थी, वहीं खोल दी है ।

*२—श्री पंचानन—

[२८-१-८१ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ द्वारा उत्तरित ।]

*३—श्री उदल—

[११ वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गन्ना सहकारी समिति, पलिया कलां, जिला खीरी द्वारा फर्टिलाइजर बैंक के नाम से ली गयी धनराशि

*४—श्री भीखालाल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी समिति पलियां कलां जिला खीरी ने फर्टिलाइजर बैंक बनाने के लिए किसानों से कुल कितने रुपये जमा कराये

हैं और क्या उस रुपये से फर्टिलाइजर बैंक खोला गया ? अगर नहीं, तो क्यों और उस जमा रुपया का क्या हुआ ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, मेरा प्रश्न उसी सहकारी मिल के संबंध में हैं जो प्रश्न संख्या २ में कहा गया हैं । उसमें मंत्री जी ने कहा हैं कि शेयर का पैसा ६७ से लेकर ७० तक वसूल किया गया हैं । इस तरह से मिल मालिक किसानों के पैसे का दुरुपयोग करते हैं । वहां की गन्ना सहकारी समिति ने फर्टिलाइजर बैंक खोलने के लिए जमा किए हैं, इसकी सत्यता की पुनः जांच मंत्री जी कराएंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, उस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था, उसको छोटे से छोटा करके दिया गया । हर प्रश्न का एक उद्देश्य होता हैं और माननीय भीखालाल जी ने जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रश्न किया था, उसकी हमने जानकारी कराई हैं और उसी के आधार पर यह धन उनसे काटा गया था और वह कटौती समिति की उपविधि संख्या १२० के अन्तर्गत किया गया था । इसमें इस प्रकार से कटौती की गई थी कि वर्ष १९७३-७४ में गन्ना सहकारी समिति ने रु० २,१०,६४९.३३ फर्टिलाइजर बैंक के लिए दिया, १९७४-७५ में फर्टिलाइजर पूल फण्ड के लिए रु० ४,०५,८८६.०० काटा गया और उसके बाद किसानों से दो मदों में धन काटा गया जो २,८३,४७२.०० रुपए था । इस तरह से कुल १० लाख रुपया डिपाजिट हुआ । जब यह प्रश्न उठाया गया था उसमें फर्टिलाइजर बैंक के नाम से स्वीकृति नहीं हुई थी ।

विद्युत परामर्शदात्री समिति का गठन

*५—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बताएंगे कि सभी स्तरों पर सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ता परिषदों के गठन का विचार किया जा रहा हैं ? यदि हां, तो इसकी रूप रेखा क्या हैं तथा गठन कब तक किया जाएगा ? गठन की प्रक्रिया क्या होगी ?

विद्युत मंत्री (श्री बहुमदत्त)—

विद्युत उपभोक्ता परिषदों का स्तरवार गठन किए जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि स्तरवार न सही तो क्या किसी स्तरवार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्युत आपूर्ति में अव्यवस्था हैं, उसमें पब्लिक पार्टिसपेशन भी हो सके उसकी देख-रेख के लिए, इसलिए इस तरह की परिषद् गठित करने के लिए कोई संस्तुति शासन को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो शासन का उन पर क्या विचार हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, इंडियन इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट की धारा १६ के अनुसार विद्युत परामर्श दात्री काउंसिल गठित की जाती हैं और वह २१ फरवरी, १९७८ को तीन वर्ष के लिए गठित की गयी थी, उसका समय २० फरवरी, ९९८१ को समाप्त हुआ हैं, उसके पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी हैं। इसके अलावा समस्त जिलाधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि वह हर महीने मीटिंग बुलायें जिसमें जिले के विधायक, संसद सदस्य, जिला नियोजन विभाग, उद्योग विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी हों।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जिस समिति का संदर्भ माननीय मंत्री जी ने दिया हैं। क्या जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह बैठकें बुलायें? मैं अपने जिले को जानता हूं और बता सकता हूं कि कभी मुझे उसकी सूचना नहीं मिली हैं। क्या शासन के पास इस तरह की मॉनेटरिंग की व्यवस्था हैं, जिससे पता लग जाय कि इस तरह की बैठक जिले में हो रही हैं कि नहीं? यदि हां, तो उसका विवरण क्या हैं?

दूसरा यह कि जो कमेटी गठित करने का प्रस्ताव हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा उसकी रूपरेखा क्या हैं, उसके सदस्य कौन-कौन होंगे और इस कमेटी की सिफारिशें किस स्तर की होगी केवल एडवाइजरी होंगी या उनमें बाध्यता भी होगी?

श्री ब्रह्मदत्त—

मैंने निवेदन किया कि १० जनवरी को यह आदेश यहां से प्रसारित किए गए और मैं देख रहा हूं कि बैठकें समय पर बुलाई जाय। सदस्यों का उल्लेख मैं कर चुका हूं जिले के विधायक, संसद सदस्य, जिला नियोजन अधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी होंगे और जो सुझाव प्राप्त होंगे उसका समन्वय करने के लिए प्रदेश स्तर पर परामर्शदात्री काउन्सिल हैं, उसके समक्ष वह आयेंगे। अध्यक्षता के सवाल में मैं चाहूंगा जो आप के आदेश हों उसके अनुरूप अध्यक्षता हो।

श्री रियासत हुसैन—

जो समिति के कांस्टीट्यूशन की बात हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा अगर लिखा हैं कि नान-आफीशियल अध्यक्षता करेगा तब हो सकता हैं, नहीं तो नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त—

यह उचित हैं कि मैं जरूर लिख दूंगा कि इसकी अध्यक्षता माननीय संसद सदस्य अथवा विधायकों में से कराएं।

*६—श्री रियासत हुसैन—

[२८वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न सं० १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जौनपुर जिले के गांव पुरेव में भूमि का आवंटन

*७—श्री प्रभु नारायण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी हैं कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अंतर्गत ग्राम पुरेव में भूमिहीनों और निर्बल वर्ग के लोगों को भूमि आवंटित न करके अधिकांश भूमि अन्य गांव के लोगों एवं भू-स्वामियों के नाबालिग बच्चों को आवंटित कर दी गयी ? क्या यह सच हैं कि आवंटन का यह कार्य गांव के निर्वाचित उप प्रधान को न देकर अवैधानिक ढंग से एक सदस्य को देकर कराया गया ? क्या यह भी सच हैं कि उक्त गांव के भूमिहीन हरिजनों को सिंचाई के तालाब आवंटित कर दिए गए ? यदि हां, तो क्या उन्हें आवास एवं कृषि योग्य भूमि आवंटित की जायेगी और अवैधानिक पट्टे निरस्त किए जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

विकास क्षेत्र जलालपुर जनपद जौनपुर के अन्तर्गत गांव पुरेव में भूमिहीनों और निर्बल वर्ग के लोगों को ही भूमि आवंटित की गयी हैं, किसी अन्य ग्राम के लोगों को नहीं।

दो नाबालिग बच्चों को भूमि आवंटित की गयी हैं, जो अनियमित हैं और इस संबंध में पट्टा खारिज करने की कार्यवाही की गयी हैं।

भूमि आवंटन का कार्य किसी एक सदस्य द्वारा नहीं बल्कि उप प्रधान श्री श्रीराम मिश्र द्वारा कराया गया क्योंकि प्रधान की मृत्यु हो गयी थी।

यह सही हैं कि २.३६ एकड़ रकबे का तालाब १४ भूमिहीनों को आवंटित किया गया हैं। इन पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई हैं। यह ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं। धारा ५२ के प्रकाशन के बाद गांव सभा की भूमि जो पट्टे के लिए उपलब्ध होगी उसे सम्बन्धित पात्र व्यक्तियों को पट्टे पर दिए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

बिक्रीकर सरलीकरण समिति की संस्तुतियां

*८—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सेल्स-टैक्स के सरलीकरण की कोई स्कीम शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

बिक्रीकर विधि एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु सुझाव देने के लिए वर्ष १९७७ में एक सरलीकरण समिति गठित की गयी थी, जिसने लगभग ८० संस्तुतियां की थीं। इनमें से अधिकांश संस्तुतियां पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकार करके प्रशासनिक आदेशों अथवा विधि/नियमों में संशोधन करके कार्यान्वित की जा चुकी हैं। कुछ अन्य संस्तुतियों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं। कराधान जांच समिति ने भी विधि एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कुछ संस्तुतियां की हैं जिन पर विचार किया जा रहा हैं और अंतिम निर्णय होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ८० संस्तुतियां की गयी हैं, उनमें से क्या कोई इस बारे में भी है कि प्रदेश में बहुत सी चीजों पर सेल्स टैक्स की दरें बहुत ऊंची हैं और अन्य प्रदेशों में सेल्स टैक्स की दरें कम हैं, जिसकी वजह से करवंचना हो रही है और प्रदेश की आर्थिक हानि भी हो रही है, तो क्या कोई ऐसी संस्तुति थी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

चालिहा कमेटी ने विस्तृत अध्ययन करके रिपोर्ट दी है और उसका कई चीजों में ऐसा मिलता है। सरकार भी इससे सहमत है कि ऐसा होने से हमारी अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ता है। वह हमारे यहां विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पिछले सत्र में भी शासन द्वारा यह कहा गया, जो अब भी विचाराधीन हैं, तो अब इसमें कब तक निर्णय हो जायेगा और यह विचाराधीन किस स्तर पर है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

इसमें ८० संस्तुतियां लगभग आती हैं और उसमें से जो आदेश जारी हो चुके हैं, वह लगभग ३२ में आदेश हो चुके हैं, जो अधिनियम में संशोधन करके होने हैं वह १७ हैं। वे संस्तुतियां जिन्हें सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया गया है और जिन पर शासन अग्रिम कार्यवाही कर रही है उनकी संख्या ६ है। मंत्रिमंडल की एक समिति उन पर विचार कर रही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

इन ८० संस्तुतियों में क्या एक यह भी संस्तुति है कि जो सेल्स टैक्स अधिकारी को अपने न्याय और विवेक के आधार पर सेल्स टैक्स बांधने का अधिकार है, उस अधिकार को सीमित किया जाये ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसे सीमित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

ऐसी स्पष्ट संस्तुति तो उसमें नहीं है, लेकिन इस समस्त मामले पर मंत्रिमंडल की एक उप समिति विचार कर रही है और हमने अधिकारियों और व्यापारियों की समितियां भी गठित की हैं और उनके सुझावों पर भी हम विचार कर रहे हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

जैसा मंत्री जी ने बताया कि उन्हें जानकारी है कि विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न दरों के कारण प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को भी हानि हो रही है और व्यापारियों में करवंचना और चोरी की आदत भी हो रही है, तो क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई लिखा-पढ़ी की गई, जिससे सारे प्रदेशों में एकरूपता रहे जैसा भारतीय साझेदारी

अधिनियम में है ? यदि नहीं, तो इसमें देर क्यों की जा रही है ? और क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन संस्तुतियों में कोई ऐसी भी संस्तुति है कि इस विभाग में सर्वेक्षण अधिकारी और कर अधिकारी को आयकर विभाग की तरह अलग-अलग कर दिया जाए, ताकि कमजोर व्यापारियों का शोषण बन्द हो सके ?

श्री बृहमदत्त—

जहां तक दरों का सवाल है, कुछ सप्ताह पहले दिल्ली में समस्त प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी, उसके अनुसार केन्द्र सरकार इस पर विचार कर रही है कि माडल-लाज बनाये जाएं और एकरूपता लायी जाए। हमने इस पर अपनी सहमति दे दी है। वह कुछ मदों को इससे बाहर भी निकालना चाहते हैं और हमने उस पर भी अपनी सहमति दी है, तो जो भी केन्द्र सरकार निर्णय लेगी हमारी सहमति से विचार करके, हम उसका अनुपालन करेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

७७ में जो कमेटी बनी जनता सरकार के जमाने में बनी, तो क्या मौजूदा सरकार ने अपनी पालिसी के आधार पर उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में या और कहीं कोई तब्दीली की है, जो वर्तमान सरकार को मान्य नहीं है ? यदि कोई ऐसी है तो वह क्या है ?

श्री बृहमदत्त—

दुर्भाग्य तो यह है कि पिछली सरकार ने कमेटियां तो बना दीं, लेकिन उनका कार्यान्वयन सम्भव नहीं हो सका। इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स को समाप्त करने की बात नहीं है। हमने बताया कि उसकी संस्तुतियां हमें मिल गई हैं, ८० संस्तुतियां मिली हैं, उनका ब्रेक-अप भी हमने दिया है।

श्री किरनपाल सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जो ८० संस्तुतियां की थीं क्या उनमें एक संस्तुति यह है कि जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेन्ट हैं उन पर सेल्स टैक्स जैसा कि पंजाब और आन्ध्र प्रदेश में चार्ज नहीं होता है उसको यहां पर भी न चार्ज करने के प्रति सरकार का क्या रुख है ?

श्री बृहम दत्त—

चालिस कमेटी की जो संस्तुतियां हैं उनके बारे में हमारे और केन्द्रीय सरकार के बीच में विचार-विमर्श हो रहा है कि किस प्रकार से एकरूपता हो। जो व्यवस्था दूसरे प्रदेशों में है, वही हमारे यहां भी हो।

ग्राम ढुमरावं व इमलियाडीह, जिला आजमगढ़ का दोषपूर्ण अभिलेख एवं नक्शा

*९—श्री भिखमिट राम (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के तहसील मोहम्मदाबाद के ग्राम ढुमरावं व इमलियाडीह में अभिलेखों तथा मानचित्रों व स्थल पर गम्भीर त्रुटियां व

दोषपूर्ण अभिलेखों के होते हुए भी वर्ष १९७८ में जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही ५२(१) के प्रकाशन की निदेशालय को अग्रसारित की गयी थी और इमलियाडीह व ढुमराव के अन्तिम नक्शा रुड़की प्रेस को छपने को भेज दिया गया है ? और जुमला कार्यवाही प्रकाशन धारा ५२(१) निदेशालय पर शासन के आदेश से रोक कर पुनः स्थल अभिलेख व मानचित्र शुद्ध तैयार कराया जा रहा है यदि हां, तो क्या गलती नक्शा रुड़की प्रेस से वापिस मंगाने का आदेश देने तथा त्रुटियों व दोषपूर्ण अभिलेखों के होते हुए भी धारा ५२ के सिफारिश करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास क्षेत्र, बदलापुर एवं खुटहन, जिला जौनपुर में बाढ़ एवं चारे की व्यवस्था

*१०—श्री जंगबहादुर—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बदलापुर एवं खुटहन ब्लाक के बाढ़ पीड़ितों को उन्होंने अपने बाढ़ क्षेत्र के दौरे में सस्ते चारे की व्यवस्था कराने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो अब तक आदेशों का पालन कर चारे की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

राजस्व उपमंत्री (श्री जैराज गौतम)—

वर्ष १९८० में जनपद जौनपुर के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र बदलापुर एवं खुटहन ब्लाक में दौरे के दौरान मुख्य मंत्री जी द्वारा पशुओं के चारे व भूसे की व्यवस्था करने हेतु कोई आदेश नहीं प्राप्त हुए प्रतीत होते हैं । मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित माननीय विधायक का एक पत्र दिनांक २९-१०-८०, अवश्य इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था जिसके अनुपालन में चारे, भूसे की व्यवस्था तत्काल कराने के लिए निदेशक, पशुपालन विभाग व जिलाधिकारी जौनपुर को आवश्यक निर्देश दे दिये गये थे । उक्त अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत ब्लाकों में पशुओं के चारे का अभाव कहीं भी नहीं रहा ।

श्री जंग बहादुर—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाढ़ के दौरान हमारे राजस्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री ने सस्ते चारे के मौखिक आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उनका कार्यान्वयन क्यों नहीं किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील—

बाढ़ के सिलसिले में अगर बाहर से चारा भेजा जाता है, तो उसमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती है और अगर उस जनपद में चारा उपलब्ध नहीं होता है, तो बाहर से मंगाकर उपलब्ध कराया जाता है । जब आदेश भेजे गये तो वहां से रिपोर्ट आ गयी कि वहां पर चारा उपलब्ध है । बाहर से जो चारा भेजा जाता है वह महंगा पड़ता है । किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद लेता है जो उसे सस्ता पड़ता है । वहां पर बहुत से दुकानदार हैं, जहां से चारा खरीदा जा सकता है मेरे पास वहां के ठेकेदारों और दुकानदारों की सूची है जिनके पास भूसा है और वह उपलब्ध है ।

श्री जंग बहादुर—

क्या १३-१०-८० व २९-१०-८० को माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रश्नकर्ता के प्रार्थना-पत्रों पर आदेश दिये थे कि सस्ते चारे की अविलम्ब व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो उस पर तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जो पत्र माननीय सदस्य का मिला उस पर ये आदेश किये गये कि वहां पर सस्ते चारे की व्यवस्था की जाय। मैंने जैसा कि अभी बताया जो प्राविधान है वह यह है कि अगर उस जनपद में चारा उपलब्ध नहीं है, तो बाहर से भेजा जाता है। वह उनको उसी दाम पर खरीदना पड़ता है जिस पर मंगाया जाता है। उसमें ट्रान्सपोर्ट आदि का भी खर्चा लग जाता है। जब उसी जनपद में चारा उपलब्ध था, तो बाहर से भेजे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*११—श्री गोवरधन तिवारी—

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण हटाया गया।]

विद्युत विभाग, रायबरेली द्वारा एस० एस० ओ० पद हेतु लिया गया साक्षात्कार

*१२—श्री रामलाल—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् वितरण मंडल रायबरेली में दिनांक १२ अगस्त, १९८० को बोर्ड नं० २ कमेटी द्वारा लिये गये साक्षात्कार में शासनादेश संख्या २००३/४०—रा० ए०-६-११-७७ एवं दिनांक २०-८-७७ में निहित पदोन्नति आरक्षण के नियमों का पालन किया गया ? यदि हां, तो क्या २५ प्रतिशत, ३० प्रतिशत आरक्षण का आधार मानकर पदोन्नति की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां। इस बोर्ड द्वारा एस० एस० ओ० के पद पर पदोन्नति हेतु चयन किया गया था और चूंकि एस० एस० ओ० वर्ग ३ के कर्मचारी हैं इसलिए शासनादेश के अनुसार २५ प्रतिशत आरक्षण का आधार मानकर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति की गई। ३० प्रतिशत का आरक्षण वर्ग ४ के कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। अतः इस चयन में ३८ प्रतिशत आरक्षण का आधार रखने का प्रश्न नहीं उठता था।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आरक्षण के लिए कितने स्थान रिक्त थे और कितने भरने के बाद अब कितने खाली पड़े हुए हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जो सूचना उपलब्ध है विद्युत् वितरण मंडल रायबरेली में १२ अगस्त को और उसके बाद एस० एस० ओ० पद पर पदोन्नति करने हेतु एक चयन आयोजित हुआ जिसमें

१४ एस० एस० ओ० चयनित हुए ४ कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं और पिछड़े वर्ग के ५ वें ।

*१३—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[११ वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा में लगान माफी की कथित घोषणा

*१४—श्री अकबाल हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७९-८० तथा राजस्व वर्ष १३८७ फ० में गोंडा जनपद के तहसील कलरामपुर के पूरे क्षेत्र में लगान माफी की घोषणा भयंकर सूखा के कारण किया गया था और १३८७ फ० का लगान इसी आधार पर नहीं वसूल किया गया था ? यदि हां, तो वर्ष १३८७ फ० की जमाबन्दी क्यों बनवाई जा रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी नहीं । गोण्डा जनपद के तहसील, बलरामपुर के पूरे क्षेत्र में राजस्व वर्ष १३८७ फसली में लगान माफी की कोई घोषणा नहीं की गई ।

वर्ष १९७९-८० अर्थात राजस्व वर्ष १३८७ फसली में सूखा के कारण जहां ५० प्रतिशत से अधिक क्षति हुई वहां कृषि दरों की वसूली माह नवम्बर, १९८० तक स्थगित रखने के आदेश शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों को भेजे गये थे । जहां तक लगान माफी का प्रश्न है, व्यक्तिगत मामलों में हुई फसल की क्षति के आधार पर रेवेन्यू मैनुअल में दिये गये प्राविधानों के अनुसार दी जाती है । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

*१५—श्री प्रभु नारायण सिंह—

[११ वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरण ।]

लखनऊ जिले के ग्राम इस्माइलगंज एवं नयागांव के विद्युतीकरण की मांग

*१६—श्री बदन सिंह—

क्या विद्युत मंत्री लखनऊ में फैजाबाद रोड पर स्थित इस्माईलगंज तथा नयागांव में वहां रहने वाले विद्यार्थियों एवं सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वहां एच० एल० सब-स्टेशन से बिहारी का पुरवा, उजरियांव आदि स्थानों की भांति घरेलू बिजली देने की व्यवस्था करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं ।

ग्राम इस्माइलगंज तथा नयागांव ग्रामीण क्षेत्र में पड़ते हैं । अतः उनको शहरी क्षेत्र के अनुरूप बिजली उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

श्री बदन सिंह—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस्माइलगंज व नयागांव को मेसर्स टेक्निकल एसोशिएट फीडर से बिजली दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मैंने इसका परीक्षण कराया है और मैं समझता हूं कि इन गांवों को इस फीडर से बिजली मिलनी चाहिए। इसके लिए मैंने आदेश भी दे दिये हैं।

श्री बदन सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि पहले २७ व २८ जुलाई, १९८० को भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्री हरि सिंह जी ने भी इन गांवों को इसी फीडर से बिजली देने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये आदेश मैंने दिये हैं।

श्री बदन सिंह—

अब मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस ग्राम को बिजली जल्द से जल्द देने का आदेश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैंने आदेश दे दिया है, उस गांव को जल्द ही बिजली उपलब्ध हो जायेगी।

(श्री बदन सिंह के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो कह दिया कि मैंने आदेश दे दिया है। अब आप बैठिये।

कतिपय विद्युत सब स्टेशनों, बुलन्दशहर पर लगाये गये कांटेदार तारों का मापन

*९७—श्री नन्दराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद विद्युत् निर्माण उपखंड, बुलन्दशहर के अन्तर्गत सन् १९७६-७७ में ३७.५ के० वी० सबस्टेशन ऊंचागांव, बुगरासी चौला, खुर्जा-जंक्शन व १३२ के० वी० सब-स्टेशन डिवाई व हाईडिल कालोनी बुलन्दशहर पर कांटेदार तार लगाया गया है ? यदि हां, तो एक मीटर में कितना मापन किया गया है ? और मौके पर (वास्तविक) मापन क्या है ? दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो कब तक की जायगी ?

श्री बूहमदत्त—

विद्युत् जनपद निर्माण उपखन्ड, बुलन्दशहर के अन्तर्गत ३७.५ के० वी० सब-स्टेशन, ऊंचागांव, बुगरासी चौला, खुर्जा जंक्शन, १३२ के० वी० सब स्टेशन डिबाई तथा हाइडिल कालोनी बुलन्दशहर पर कांटेदार तार क्रमशः वर्ष १९७३-७४, १९७७-७८, १९७६-७७, १९७८-७९, १९७४-७५ व १९७६-७७ में लगाया गया था ।

उक्त स्थान पर लगाये गये कांटेदार तार का मापन प्रति मीटर क्रमशः ०.१७६ किलोग्राम, ०.२६६ किलोग्राम, ०.२३१ किलोग्राम, ०.१ किलोग्राम व ०.१७० किलोग्राम दिखाया गया है ।

उक्त स्थानों पर लगाये गये कांटेदार तार का वास्तविक मापन प्रति मीटर क्रमशः ०.१५२ किलोग्राम, ०.०९२ किलोग्राम, ०.१५२ किलोग्राम तथा .०९२ किलोग्राम आता है ।

वास्तविक मापन से अधिक कांटेदार तार ईशू किये जाने से विभाग को हुई हानि की पूर्ति दोषी अवर अभियन्ताओं से वांछित धनराशि की वसूली करके किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री नन्दराम—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दोषी अवर अभियन्ताओं की वसूली के आदेश कब किये गये और दोषी अवर अभियन्ताओं को अब तक दंडित क्यों नहीं किया गया और उनके विरुद्ध जब यह आरोप है, तो उन्हें अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री बूहम दत्त—

मान्यवर, यह एक्सेस पेमेन्ट का सवाल है । ऐसे मामले में जो विभागीय कार्यवाही होती है, वह की जाती है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, आपके उत्तर में यह लिखा हुआ है कि जितना यह पहले लगाया गया था और उसके बाद जो आज मौजूद है, तो यह वचन जो किया है, वह बहुत कम है, जो आज प्राप्त हुआ है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जितना वहां पर तार लगाया जाने वाला था, उसका सामान मंगा लिया गया था और उसमें कम लगाया गया था सामान नहीं लगाया गया और भुगतान करा लिया गया ?

श्री बूहम दत्त—

यह तो मान्यवर, ज्यादा तार, एक्सेस ईशू करने का मामला है ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम हँवतपुर के ताल की कथित चकबन्दी

*१८—श्री बाबू सिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के तहसील घोसी, सी० ओ० सर्किल, मधुबन के हँवतपुर ताल खदरा बाढ़ग्रस्त एरिया हैं और आजकल उसमें सैंकड़ों मीटर ऊंचा पानी भरा हैं फिर भी ए० सी० ओ० और सी० ओ० ने उस एरिया की मालियत लगायी हैं और निर्बल वर्ग को उक्त ताल में एलाट किया हैं जिसके भविष्य में अनेकों प्रार्थना-पत्र माननीय राजस्व मंत्री एवं आयुक्त, चकबन्दी को दिये गये हैं ? इस विषय में इस गलत प्रकार से चकबन्दी की क्यूसी रद्द करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

ग्राम के कुल क्षेत्रफल ५६६ एकड़ में से केवल २८ एकड़ क्षेत्रफल ऐसा हैं जिसमें केवल वर्षा ऋतु में पानी भर जाता हैं । इसे चकबन्दी के अन्तर्गत नहीं लिया गया हैं, अतः किसी को उक्त ताल में चक आवंटन का कोई प्रश्न नहीं हैं । उपरोक्त २८ एकड़ जलमग्न भूमि को छोड़कर शेष सभी गाटों की मालियत जिस पर खेती होती हैं वास्तविक उपज एवं पैदावार के अनुसार लगायी गयी हैं । चूंकि सभी चकदार अपने-अपने चकों पर कब्जा पाकर सुचारु रूप से खेती कर रहे हैं इसलिए चकबन्दी को रद्द कराने की आवश्यकता नहीं हैं ।

गोरखपुर जिले के विकास खण्ड, बेलघाट की विद्युत् लाइन

*१९—श्री मारकण्डेय चन्द्र—

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की विकास खण्ड बेलघाट में घाघरा एवं कुआनो के द्वारा क्षेत्र में बिजली की कितने किलोमीटर लाइन कब लगाई गयी हैं ? इस पर कितना व्यय हुआ ? क्या इस लाइन से लोगों को विद्युत् कनेक्शन दिया जा रहा हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बांसगांव तहसील के धुवियापार-रौंजा दरगाह में विद्युत् स्टेशन का निर्माण किया गया हैं ? क्या इससे विद्युत् वितरण का कार्य हो रहा हैं ? यदि नही, तो क्यों ? कब तक विद्युत् वितरण कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

११,००० वोल्ट की लगभग ४० किलोमीटर लम्बी लाइन वर्ष १९७१ से १९७४ की अवधि में बनाई गयी थी ।

इस पर लगभग चार लाख रुपया व्यय हुआ ।

जी नहीं ।

इस क्षेत्र में कनेक्शन हेतु कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

उक्त सब स्टेशन से ११,००० वोल्ट की लाइनों का पुनर्गठन कार्य पूरा न हो पाने के कारण विद्युत् वितरण का कार्य नहीं हो रहा है ।

यह कार्य संभवतः अप्रैल, १९८१ के अन्त तक प्रारम्भ होगा ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित ११,००० वोल्ट की लगभग ४० किलोमीटर लम्बी लाइन वर्ष १९७१ से १९७४ के बीच बनाई गयी, जिस पर लगभग ४ लाख रुपया खर्च हुआ और मंत्री जी का उत्तर है कि इस क्षेत्र में कोई भी आवेदन-पत्र कनेक्शन हेतु प्राप्त नहीं हुआ है । मेरी निश्चित सूचना है कि लगभग २ दर्जन लोगों ने लाइन लेने के लिए २०-२० रुपया जमा करके आवेदन-पत्र दिया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मैंने निवेदन किया कि अप्रैल, १९८१ तक प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

७१ से ७४ में ४० किलोमीटर लाइन बनी और लोगों ने २० रुपया जमा कर के आवेदन-पत्र दिया जिसकी जांच करायेंगे कि उनको कनेक्शन क्यों नही दिया गया ? दूसरा ११ हजार वोल्टेज की लाइन अप्रैल, ८१ में मंत्री जी ने कहा शुरू करेंगे । मेरी सूचना है कि लाइन बनी थी, बनकर ध्वस्त हुई और फिर बन गई, तो ध्वस्त होने का क्या कारण है और कब तक बन जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मैंने कहा कि पुर्नगठन का सवाल है अप्रैल, ८१ तक होने की सम्भावना है ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

२ दर्जन लोगों ने २० रुपया जमा किया और मंत्री जी ने कहा कि आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुए । ४० किलोमीटर लाइन बनी ६ वर्ष हो गया ४ लाख रुपया खर्च हुआ । लाइन बनी और कनेक्शन आज तक नहीं दिया गया । मेरी निश्चित जानकारी है कि २ दर्जन लोगों ने २०-२० रुपया जमा कर दिये इस्टीमेट बने ६ वर्ष हो गये लाइन पूरी हो गई यह शासन के धन का अपव्यय है क्यों लाइन बेकार पड़ी है कनेक्शन क्यों नहीं दिये गये इसकी जांच माननीय मंत्री जी करायेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जब तक ११ हजार वोल्टेज की लाइन का पुर्नगठन नहीं होता तब तक सम्भव नहीं है कनेक्शन देना। अप्रैल ८१ तक पुनर्गठन होगा, तो कनेक्शन दिया जायेगा।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

अप्रैल में प्रारम्भ होगा तो पूरा कब होगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

श्रीमन्, यह प्रश्न के उत्तर में है कि उक्त सब स्टेशन से ११,००० वोल्ट की लाइनों का पुनर्गठन कार्य पूरा न हो पाने के कारण विद्युत् वितरण का कार्य नहीं हो रहा है। अप्रैल में प्रारम्भ होगा बहुत शीघ्र समाप्त करायेंगे।

विद्युत् परिषद् के रसायन कर्मचारी संघ का मांग-पत्र

*२०—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन कार्यरत रसायन कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित 'राज्य विद्युत् रसायन कर्मचारी संघ' उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव, श्री पवन कुमार श्रीवास्तव का २२ सूत्री मांग-पत्र संख्या ३४२—आर० के० एस० समस्या, दिनांक २८-८-८० प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सूत्रवार अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां, उल्लिखित मांग-पत्र में वर्णित मांगों के संबंध में संक्षेप में स्थिति संलग्न तालिका में दर्शायी गई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७८७ पर)

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत् कर्मियों को जो २० प्रतिशत एलाउन्स देने की बात है वह कब तक दे देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जो उनकी उचित मांगें थीं उन पर निर्णय कर चुके हैं और सारे मामले का निरीक्षण कर रहे हैं। मामला विचाराधीन है। १ अप्रैल, १९८० से पुनरीक्षण हो रहा है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या २० के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पंजाब शुगर मिल, घुघली, गोरखपुर के कर्मचारियों के बकाया वेतन सम्बन्धी पत्र

**१—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासकीय आदाता (रिसीवर) पंजाब शुगर मिल घुघली, (गोरखपुर) से शासन को इस आशय का पत्र अभी हाल में मिला है कि वेतन बैठकी (रिटेनिंग) एवं बोनस के भुगतान न होने के कारण मजदूरों में काफी रोष एवं तनाव है ? मिल की पेराई बन्द होने की संभावना है एवं उनके (रिसीवर के) जान-माल का खतरा है ? यदि हां, तो भुगतान न होने के क्या कारण हैं एवं यह कब तक हो जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जी हां, पंजाब शुगर मिल, घुघली, के रिसीवर ने शासन को सूचित किया है कि बैंक द्वारा धन देना बन्द करने के कारण मिल को चालू रखना कठिन हो गया है व श्रमिकों को वेतन आदि का भुगतान न होने के कारण श्रमिकों में भारी असन्तोष है, और यह भी कि वहां पर तैनात व्यक्तियों एवं मिल सम्पत्ति की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। बैंक द्वारा अपने देयों के विपरीत कटौती कर लिये जाने के कारण और मिल की विषम आर्थिक स्थिति के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। मिल ने बैंक से व शासन से उक्त देयों के भुगतान हेतु वित्तीय सहायता मांगी है। उक्त मिल को धन उपलब्ध कराने जाने का प्रयास जारी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिसीवर का यह पत्र कब मिला और उसमें दो चीजें काफी गम्भीर हैं, एक मिल को चालू रखना कठिन हो गया है और दूसरा है संपत्ति की रक्षा को भी खतरा। ये दोनों प्रश्न वहां के रिसीवर ने उठाये थे, तो यह पत्र कब आया और उस पर शासन ने क्या तत्काल कार्यवाही की ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

१ फरवरी, १९८१ को जिला मैजिस्ट्रेट को लिखा था और जब तनाव होता है मिल में काम करने वाले मजदूरों में तो मिल में कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए यह लिखा गया था।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मजदूरों का विभिन्न मदों में कितना बकाया है मिल पर और उसका भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

दिसम्बर १९८१ तक वेतन का भुगतान कर दिया गया है और उसके बाद का अब तक बाकी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैंने पूछा था कि विभिन्न मदों जैसे ग्रेच्युटी, पेन्शन, बोनस, मेडिकल आदि का कितना देय है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

विभिन्न मदों में ५६ लाख रुपया बकाया है ।

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुए कि इस प्रश्न में किसानों का हित, गन्ना सप्लाई, फैक्ट्री की सुरक्षा और ५६ लाख रुपये मजदूरों का बकाया, ये तीन इम्पार्टेन्ट इश्यूज इन्वाल्वड हैं और ६-२-८१ को हुआ कि मिल को बन्द कर दिया जाये, तो इस बीस दिन में इन तीनों प्रश्नों को देखते हुए शासन अब तक उस मिल को क्यों नहीं चला पायी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, इस मिल की, दो-तीन चीजें थीं, जिसकी वजह से दिक्कत आयी । एक तो इस मिल को जिस बैंक से पैसा मिलता था, वह कुछ कारणों से, चूंकि ओवरड्राफ्ट देना पड़ता था, उन्होंने पैसा देना बन्द कर दिया । दूसरे, इसकी चीनी आसाम को जाया करती थी और रेलवे वैगन न मिलने की वजह से वह चीनी सेल नहीं हो सकी । इसकी वजह से पैसा नहीं मिल सका । इसके अलावा एक बात और है कि जब रिसीवर ने पत्र लिखा और वह जब जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को आया, तो उन्होंने, जैसा मैंने आपको अभी बताया, किस-किस मद में कितना पैसा देना है, यह उनके द्वारा नहीं स्पष्ट हुआ । जब वित्त मंत्रालय को लिखा गया तो एक "क्वेरी" हो जाने की वजह से पुनः वापस आ गया और विभाग में विचाराधीन है । मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी पैसा है उसे बहुत शीघ्र ही दिलवा दिया जायेगा ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो किसानों का गन्ने की सप्लाई है वह सप्लाई अब किस मिल पर हो रही है ? दूसरी बात, इन मजदूरों का जो पैसा है, जो न्यायालय से रिकवरी सर्टीफिकेट मिले हैं, उसके अनुसार इस रिसीवर की मिल पर कितना रुपया सर्टिफिकेटों के हिसाब से बाकी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, यह मिल २४ तारीख से मैकेनिकल डिफेक्ट की वजह से बन्द है और दिनांक २८ तारीख को यानी कल यह चल जायगी और किसानों को दिनांक २२-२-८१ तक जो केन प्राइस है, उसका भुगतान कर दिया जायगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इस मिल को, ऐसा लगता है कि विभाग के अधिकारी जानबूझ कर बन्द कराने पर तुले हुए हैं । इस मिल का जो गन्ना था, वह दूसरी मिल को दे दिया गया ।

दूसरी मिल को बैंक लोन दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इसका कनेक्शन काट दिया जब कि इससे ज्यादा ड्यूज सिसवां मिल का है और वहां पर बराबर सप्लाई हो रही है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस सारे मामले की जांच करायेंगे और ५६ लाख रुपये जो मजदूरों का निकलता है, इसका शीघ्र भुगतान कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, शासन की ऐसी नीति रही है कि मजदूरों का और किसानों का कोई भी पैसा मिलों पर बाकी न रहने दिया जाय। मैं माननीय सदस्य की भावना का आदर करता हूं और इस बात को देखूंगा कि सारा पैसा भुगतान करा दिया जाय।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, चीनी आसाम जाती है, वैगन न मिलने की वजह से नहीं भेज पा रहे हैं। हमारे पहाड़ों में चीनी का बहुत ही अभाव है। वहां वैगन भी नहीं भेजने पड़ेंगे, चीनी ट्रकों से जायगी और पैसा भी मिल जायगा। तो क्या माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि वे पहाड़ों में चीनी भेजने के लिए तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष—

पहले तनख्वाह मिलने दीजिए, मिल चलने दीजिए फिर चीनी लीजिएगा।

राष्ट्रीय बचत निदेशालय में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के प्रचार सहायकों की नियुक्ति

**२—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय बचत निदेशालय में संवायोजन कार्यालय के माध्यम के बिना सीधे ही ४५ जिलों से ३३ अभ्यर्थियों को बुलाकर कुछ नियुक्तियां जनवरी/फरवरी, १९८१ में कर ली गई जिसमें अनुसूचित एवं पिछड़ी जाति का कोई भी अभ्यर्थी नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

जी नहीं।

संवायोजन कार्यालय से नियमानुसार अभ्यर्थियों के प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। कुल ४९ प्रचार सहायकों के पदों में से ५ पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को, १० पद पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को, १ पद विकलांग वर्ग को तथा १ पद राजनीतिक पीड़ित के आश्रित वर्ग को दिये गये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो प्रस्ताव संवायोजन कार्यालय से भेजा गया है, वह कब भेजा गया है और बचत निदेशालय में उन प्रस्तावों को किस तारीख को प्राप्त किया गया, तो चुनाव के लिए किन लोगों का बोर्ड बनाया गया **और बोर्ड ने किस तारीख को चुनाव किया ?**

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, शासनादेश संख्या बी—२८१२/दस—१३९-७९, दिनांक ३ नवम्बर, १९८० के द्वारा ४५ प्रचार सहायकों के पद रु० १७५—२५० के वेतनमान में चतुर्थ श्रेणी में सृजित किये गये हैं। इन पदों पर भरती के लिए राष्ट्रीय बचत निदेशालय से क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ को निम्नांकित पत्र भेजे गये थे :

पत्र संख्या १३४०१/सामान्य—२१७/८०, दिनांक २१-११-८० इस पत्र के द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि दिनांक १९-१२-८० तक सेवायोजन कार्यालय से प्रस्ताव भेज दिये जायं। इसके अलावा इस संबंध में ८-१२-८० तथा २४-१२-८० को भी पत्र भेजे गये। तमाम जो इम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज हैं, उनसे कहा गया था कि ३-३ नाम भेजे जायं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि जो प्रस्ताव विभिन्न सेवायोजन कार्यालय से मांगे गये थे, उनका जिक्र मंत्री जी ने किया, तो बचत निदेशालय से प्रस्ताव किन तारीखों में प्राप्त हुए और चयन समिति जो चुनाव करती है उसमें कौन-कौन से लोग बैठे और किस तरह से चयन हुआ ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, ८-१२-८० तक चयन की प्रक्रिया के आधार पर साक्षात्कार एक कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें एक उप निदेशक (राजपत्रित) एक वैयक्तिक सहायक (राजपत्रित) तथा कार्यालय प्रभारी थे। तीन आदमी इसमें थे, इसी ने चयन किया। २०-१-८१ को साक्षात्कार के लिए अन्तिम पत्र निदेशालय से भेजा गया था। किस तारीख को चयन किया गया इसकी सूचना नहीं है।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, ४१ अभ्यर्थियों का चयन किया गया और उसके लिए सेवायोजन से नाम मांगे गये तो इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व थे और उसकी पूर्ति हुई कि नहीं ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी में ६९ पद हैं। इनमें से ४१ भर्तियां की गयीं हैं। अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा न होने की दशा में ३० प्रतिशत का प्राविधान है। लेकिन कोटा पूरा था इसलिए १८ परसेन्ट के हिसाब से ५ अनुसूचित जाति के लोगों को लिया है।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

१०-श्री हरगोविन्द वर्मा—

[२०-२-८१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६ द्वारा उत्तरित ।]

हरगांव शुगर मिल, सीतापुर द्वारा शक्कर का आबंटन

२--श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरगांव शुगर मिल, सीतापुर ने सन् १९७९-८० में कितनी शक्कर पैदा की ? कितनी मात्रा में सरकार को दी और कितनी मात्रा में खुले बाजार में बेची ? तथा कितनी शक्कर आसाम (सिलीगुड़ी), बंगाल (कलकत्ता) और पंजाब (अमृतसर) भेजी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

हरगांव शुगर मिल, सीतापुर ने सन् १९७९-८० में २,६०,२७२ कुन्तल शक्कर बनाई । १,७६,११२ कुन्तल सरकार को शक्कर दी और ८१,७७० कुन्तल खुले बाजार में बेची ।

मिल से प्राप्त सूचना के अनुसार खुले बाजार में बेची गई शक्कर में से ११,१२३ कुन्तल शक्कर बंगाल (कलकत्ता) तथा ३,३८५ कुन्तल पंजाब (अमृतसर) को भेजी । आसाम (सिलीगुड़ी) को मिल ने शक्कर नहीं भेजी ।

सीतापुर जिले में बाढ़ एवं तत्कालीन राजस्व मंत्री, श्री यशपाल सिंह का दौरा

३—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ३१ जुलाई, १९८० को जब राजस्व मंत्री जी जनपद सीतापुर पधारे तो कांग्रेस (आई०) के स्थानीय विधायक श्री वीरेन्द्र कुमार ने परगना अधिकारी, मिश्रिख व जिला अधिकारी, सीतापुर की शिकायत बाढ़ से उत्पन्न कुछ समस्याओं के विषय में की ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या थी ? सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद सीतापुर में दिनांक ३१ जुलाई, १९८० को तत्कालीन राजस्व मंत्री, श्री यशपाल सिंह ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा हेतु एक बैठक आयोजित की थी जिसमें उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों एवं स्थानीय विधायकगण और जन प्रतिनिधियों को अलग-अलग सम्बोधित किया था । श्री वीरेन्द्र कुमार सदस्य विधान सभा द्वारा तत्कालीन राजस्व मंत्री जी से बाढ़ से संबंधित किये गये कार्यों की सराहना की गई थी तथा एक शक्कर कोटे के संबंध में शिकायत की थी जिसका निलम्बन पहले ही किया जा चुका था ।

गोंडा जिले में बाढ़ एवं गृह अनुदान का आवंटन

४—श्री मसरूर जाफरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९८० की अतिवृष्टि तथा बाढ़ से जिला गोण्डा के प्रत्येक तहसील में गिरे मकानों के लिए गृह अनुदान के लिए कितना रुपया जिले द्वारा शासन से मांगा गया था, कितना रुपया शासन द्वारा दिया गया, प्रत्येक तहसील में कितना-कितना अनुदान बांटा जा चुका है और कितने गांव में बांटना शेष है और इन शेष सभी गांवों को गृह अनुदान कब तक बांट दिया जायेगा ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष १९८० की अतिवृष्टि एवं बाढ़ से जनपद गोन्डा की प्रत्येक तहसील में गिरे मकानों के लिए गृह अनुदान वितरण हेतु ३२,००,००० रुपये की धनराशि की मांग शासन से की गई थी तथा शासन द्वारा ३३,२०,००० रुपये की धनराशि अब तक जनपद को आवंटित की गई है ।

जनपद की तहसील गोण्डा में रुपये ३,८६,०५०, तरबगंज में ९,४५,०००, उतरौला में ३,१३,०२० तथा बलरामपुर में ३,०३,७५५ रुपये बतौर गृह अनुदान के बांटे जा चुके हैं । शेष ३७० ग्रामों में वितरण का कार्य यथाशीघ्र पूरा हो जायगा ।

झांसी जिले के टहरौली में तहसील के सृजन की मांग

५—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में टहरौली को नई तहसील बनाने की शासन द्वारा जो जांच की गई है उसके आधार पर अब तक नई तहसील न घोषित करने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वित्तीय संसाधन की कठिनाई के कारण जिला झांसी में टहरौली में तहसील बनाना संभव नहीं है ।

झांसी जिले की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

६—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में झांसी नगर व झांसी जनपद की हरिजन बस्तियों में कितनी लम्बी लाइन बिछाई गइ ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त—

गत दो वर्षों में (१-१-१९७९ से ३१-१२-८० तक) झांसी नगर की हरिजन बस्तियों में कोई नई लाइन नहीं बिछायी गयी तथा इस अवधि में झांसी जनपद में ११ विभिन्न हरिजन बस्तियों में कुल २.२१० किलोमीटर लम्बी लाइन बिछायी गयी ।

झांसी नगर की हरिजन बस्तियों में नई लाइन बिछाने के लिए गत दो वर्षों में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है।

राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग के संख्याधिकारी एवं सहायक संख्याधिकारी का विनियमितीकरण

७—श्री भिखलमिट राम—

क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग में २७ सीधी भर्ती के व्यक्तियों का सहायक संख्याधिकारी पद पर विनियमितीकरण दिनांक २६ जून, १९८० को किया गया है और उसमें से १७ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी वार्षिक प्रविष्टियां शासन स्तर पर हो जाने के उपरान्त भी विनियमितीकरण नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त विनियमितीकरण की कार्यवाही हेतु पूर्वगठित विभागीय चयन समिति द्वारा कतिपय व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा चयनित न मानने पर क्या चयन समिति को तीन-तीन बार बदला गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां ।

जिन कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाएं खो गई थीं उनके व्यक्तिगत अभिलेखों तथा प्रविष्टियों की उपलब्ध प्रतियों को देखकर निर्णय लिया गया ।

जी नहीं ।

पूर्वगठित चयन समिति का पुनर्गठन समिति में नियुक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण अथवा अवकाश पर जाने के कारण किया गया ।

८—श्री भिखलमिट राम—

क्या नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग में संख्याधिकारी के कुल राजपत्रित पदों में से ५० प्रतिशत डाइरैक्ट कोटे के अन्तर्गत अब तक कुल कितने अधिकारियों का चयन किन-किन वर्षों में करवाया गया ? क्या ५० प्रतिशत विभागीय कोटे के अन्तर्गत भी नियमितीकरण करवाया गया ? क्या यह बात सही है कि विभागीय कोटे के अन्तर्गत लगभग २० वर्षों से कार्यरत संख्याधिकारियों का नियमितीकरण एवं स्थायीकरण अब तक नहीं कराया जा सका ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग में संख्याधिकारी के ५० प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती के कोटे में २२, १६ तथा १० व्यक्तियों की नियुक्ति क्रमशः वर्ष १९५८, १९६४ तथा १९६९ के चयन के बाद हुई जिनमें से वर्तमान में ३३ अधिकारी

[श्री ब्रह्म दत्त—]

कार्य कर रहे हैं। ५० प्रतिशत प्रोन्नति के कोटे के पदों पर अभी अधिकारियों का विनियमन तथा स्थायीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि संख्याधिकारी के पद वर्ष १९७४ में उत्तर प्रदेश इकोनामिक इन्टेलीजेन्स सेवा नियमावली में सम्मिलित कर ५० प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरने का प्राविधान किया गया। इसके पश्चात् लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति के लिए निर्धारित पदों पर विनियमन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। किन्तु इसी बीच कुछ कर्मचारियों द्वारा लोक सेवा अधिकरण में एक याचिका दायर किये जाने तथा याचिका पर अधिकरण के निर्णय के आधार पर पात्रता क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में संशोधन की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संशोधित प्रस्ताव आयोग को पुनः भेजे गये। इस समय प्रोन्नति के पदों पर विनियमन का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग के विचाराधीन हैं।

९—श्री झिल्लीमिट राम—

क्या यह सही है कि राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग में विभागीय कोटे के अन्तर्गत सहायक संख्याधिकारी के पद पर लगभग ७ वर्षों से लेकर २० वर्षों तक कार्यरत व्यक्तियों का उक्त पद पर अनुमोदन अब तक नहीं कराया जा सका है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की १४ मई, १९७९ की अधिसूचना के अनुसार तदर्थ आधार पर सीधे नियुक्त व्यक्तियों का उस पद पर नियमितीकरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो नियोजन मंत्री अर्थ एवं संख्या प्रभाग में विभागीय कोटे के अन्तर्गत कार्यरत सहायक संख्याधिकारियों का अनुमोदन एवं स्थायीकरण कब तक कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी नहीं।

सहायक संख्याधिकारी के पदों पर विभागीय प्रोन्नति के लिए वर्ष १९६५ तथा वर्ष १९७८ में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन हुआ जिसके बाद प्रोन्नति के लिए उपलब्ध अधिकांश पदों पर नियमित नियुक्ति हुई है। अवशेष रिक्तियों के लिए चयन कराने की कार्यवाही की जा रही है।

सहायक संख्याधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती से तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक संख्याधिकारियों का विनियमितीकरण १४ मई, १९७९ की अधिसूचना के अन्तर्गत किया गया है।

पौड़ी गढ़वाल एवं चमोली जिले में खोली गयी कथित शराब की दुकान

१०—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा कुंवर सिंह नेगी—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९८० में जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली में किन-किन स्थानों पर देशी तथा विदेशी शराब की दुकानें खुली हैं ? और किन-किन को उनका लाइसेन्स दिया गया है ? क्या शराब का सेवन करने वाले लोगों को परमिट लेना होगा या बिना परमिट के उन्हें शराब दे दी जायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

वर्ष १९८० में जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा चमोली में किसी भी स्थान पर देशी तथा विदेशी शराब की दूकानें नहीं खोली गयी हैं और न किसी को उनका लाइसेन्स दिया गया है। जब तक कि शराब की दूकानें नहीं खोली जाती हैं शराब का सेवन करने वाले लोगों द्वारा परमिट लेने अथवा उन्हें बिना परमिट के शराब देने का प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा खमका केबिल वर्क्स लि०, कलकत्ता को दिया गया कन्डक्टर का आर्डर और इक्सप्रेस केबिल्स तथा नेशनल स्क्रू एण्ड वायर प्रोडक्ट्स की बैंक गारन्टी की धनराशि

११—श्री रामजी राम—

क्या विद्युत् मंत्री राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा सन् १९७९ व १९८० में दिये गये कन्डक्टरों के आर्डरों के बारे में बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् ने प्रोक्योरमेन्ट सर्किल २ के द्वारा कलकत्ते की खमका केबिल वर्क्स लि० तथा बिहार केबिल एण्ड वायर इण्डस्ट्रीज लि० को बिना यह देखे कि उनकी फैक्ट्री है या नहीं और बिना उनके अर्नेस्ट मनी की शर्त पूरा किये करोड़ों रुपये के आर्डर दिये ? क्या इन कम्पनियों ने आर्डरों पर सिक्योरिटी दी ? यदि नहीं तो, परिषद् ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

१२—श्री रामजी राम—

क्या एक्सप्रेस केबिल्स से परिषद् का लिटीगेशन चल रहा है और नेशनल स्क्रू एण्ड वायर प्रोडक्ट्स ने भी निविदा संख्या ८५/७८ में लगभग ६ करोड़ रुपये के आर्डर की पूर्ति नहीं की ? यदि हां, तो उसकी १ प्रतिशत व ५ प्रतिशत बैंक गारंटी का कितना रुपया जब्त किया गया ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

वाराणसी-पिंडरा विद्युत् लाइन में तार की कटिंग

१३—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी से पिंडरा आने वाली मेन विद्युत् लाइन बाबतपुर (निवाहेताल) में पक्की रोड से दो तीन फर्लांग दक्षिण है जिससे प्रत्येक माह में तार की कटिंग हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लाइन को हटाकर पक्की रोड वाराणसी-जौनपुर के किनारे से ले आने पर विचार करेगी ?

क्या यह सत्य है कि सन् १९७८ से लेकर सन् १९८० एवं ४ जनवरी, १९८१ तक बीसों बार तार चोरों ने १०-१० खंभे का तार काट कर उठा ले गये हैं ? यदि हां, तो इनको रोकने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री बृहमदत्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है"।

ओबरा तापीय विद्युत् गृह को कोयले की आपूर्ति

१४—श्री उदल—

क्या विद्युत् मंत्री को जानकारी है" कि २८ दिसम्बर, १९८० से ओवरा तापीय विद्युत् गृह में कोयले की आपूर्ति एकदम ठप्प हो गयी है" और क्या यह सत्य है" कि ओबरा विद्युत् गृह के महा प्रबन्धक ने कहा है" कि हम भिंगुरवा आर गोरवी कोयला खदान का कोयला नहीं लेंगे जो ५५ रु० टन है"? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बृहमदत्त—

ओबरा तापीय विद्युत् गृह, जिसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता ११५० मेगावाट है" को कोयले की आपूर्ति मुख्यतः सिंगरौली के कोयले खादानों से की जाती है" । यह कोयला बीना जयन्त, गोरवी तथा भींगुर्दा कोल खादानों से प्राप्त होता है" । भींगुर्दा तथा गोरवी खदान का कोयला रोल साइडिंग से सीधे विद्युत् गृह को भेजा जाता है", जबकि बीना और जयन्त का कोयला पहले ट्रकों द्वारा कोल खदान से निकटवर्ती रेलवे साइडिंग तक पहुंचाया जाता है" और बाद में यह कोयला रेल द्वारा ओबरा विद्युत् गृह को भेजा जाता है" । माह दिसम्बर, ८० के अन्तिम सप्ताह में बीना जयन्त कोल खदान से प्राप्त होने वाले कोयले में कुछ दिक्कतें आईं और कुछ समय के लिए बीना, जयन्त कोयला खादानों से आपूर्ति लगभग ठप्प ही रही, जिसका मुख्य कारण कोल इण्डिया द्वारा प्राप्त सूत्रों के अनुसार डीजल और एच० एस० डी० का पूर्ण मात्रा में न मिलना बताया गया है", । परन्तु इस समय भींगुर्दा कोल खदान से कोयले की आपूर्ति निर्धारित रूप से की जा रही है" । क्योंकि भींगुर्दा का कोयला अच्छी किस्म का नहीं है" । जिससे कि विद्युत् गृह अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता पर नहीं चल पाता, इसलिए ओबरा विद्युत् गृह स्थित अधिकारियों द्वारा कोल इन्डिया को यह सूचित किया गया कि वह भींगुर्दा का कोयला अधिक न लेकर उसके स्थान पर बीना तथा जयन्त के कोयले की पूर्व निर्धारित मात्रा में आपूर्ति करें । निर्धारित मात्रा में बीना तथा जयन्त से कोयला न मिलने के कारण विद्युत् उत्पादन में कमी आयी । इसके बाद विद्युत् परिषद्, कोल इण्डिया तथा ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के मध्य हुई वार्ता में लिए गये निर्णयों के अनुसार कोयले की आपूर्ति तथा उचित प्रकार का कोयला विद्युत् गृहों को उपलब्ध हो ताकि ओबरा विद्युत् गृह के विद्युत् उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़े । इस समय स्थिति में काफी सुधार हो गया है" और बीना, जयन्त का कोयला माह जनवरी, ८१ के बाद आना शुरू हो गया है" ।

रेणुसागर, विद्युत् गृह को कोयले की आपूर्ति

१५—श्री उदल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेणुसागर पावर कम्पनी भिंगुरवा का कोयला इस्तेमाल करके १२५ के स्थान पर १३५ मेगावाट बिजली पैदा कर रही है" ? यदि

हां, तो भिलगरवा व गोरवी कोयला खदानों का कोयला ओबरा पावर हाउस क्यों नहीं ले रहा है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

रेणु सागर विद्युत् गृह जो कि निजी क्षेत्र के अधीनस्थ हैं की वास्तविक उत्पादन क्षमता १२५ मेगावाट है। विद्युत् गृह पर इस समय दो इकाइयां स्थापित हैं जिसमे से प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता ६७.५ मेगावाट है इस विद्युत् गृह को सिंगरौली खदान क्षेत्र के झींगुर्दा एवं बीना जयन्त कोल खदानों से कोयला प्राप्त होता है। इन्हीं खदानों से ओबरा विद्युत् गृह को भी कोयले की आपूर्ति की जाती है। रेणु सागर विद्युत् गृह को कोयले की आपूर्ति 'एरियल-रोप वेस' तथा ट्रकों द्वारा की जाती है। रेणु सागर विद्युत् गृह तथा ओबरा विद्युत् गृह में एक ही तरह के कोयला खदानों से कोयले की आपूर्ति की जाती है, परन्तु रेणु सागर विद्युत् गृह में इस्तेमाल होने वाले कोयले से पत्थर आदि बीनने का प्रबन्ध है साथ ही साथ कोयले को पीसने वाली मिल्स विभिन्न प्रकार की है उनकी क्षमता तथा उपयोगिता ओबरा में लगी कोयले की मिलों से अच्छी हैं। जिसके कारण रेणु सागर में इस्तेमाल होने वाले कोयले से विद्युत् उत्पादन सन्तोषजनक ढंग से हो रहा है। साथ ही साथ कुछ अच्छे किस्म का कोयला बीना खदान से मंगवाकर झींगुर्दा कोयले के साथ मिलाया जाता है, ताकि कोयले की उत्पादन क्षमता और अधिक अच्छी हो जाय। ओबरा विद्युत् गृह में इस्तेमाल होने वाले कोयले में भी इसी प्रकार का निश्चय किया गया है और इस समय झींगुर्दा खदान के कोयले में जयन्त खान का कोयला मिलाकर उपयोग करने के प्रयत्न जारी हैं।

सोहावल गोरखपुर, मऊ, तालकटोरा, विद्युत् गृहों में कोयले का अभाव एवं बन्दी

१६—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोहावल, गोरखपुर, मऊ, तालकटोरा लखनऊ, मैनपुरी पावर हाउस कोयले की कमी से एक माह से बन्द हो गये हैं ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पावर हाउसों के बन्द होने की वजह से चार हजार कर्मचारी व अधिकारी बेकार हैं और डेढ़ करोड़ रुपया का रोजाना नुकसान नवम्बर से होता चला आ रहा है ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सोहावल, गोरखपुर, मऊ, तालकटोरा (लखनऊ) एवं मैनपुरी तापीय विद्युत् गृहों को कोयले की आपूर्ति बंगाल, बिहार स्थित कोयला खदानों से की जाती है और यह सारा कोयला रेल द्वारा विद्युत् गृहों तक भेजा जाता है। पिछले कई महीनों से रेलवे वैगनों के पूर्ण रूप से उपलब्ध न होने के कारण समय-समय पर कोयले की आपूर्ति में बाधा पड़ी है जिसके कारण समय-समय पर इन तापीय विद्युत् गृहों के विद्युत् उत्पादन में बाधा पड़ी है इस मामले में प्रवेश शासन की ओर से समय-समय पर भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है और इन प्रयत्नों से कोयले की आपूर्ति में कुछ सुधार

हुआ है और प्रायः इस समय प्रदेश के सभी तापीय विद्युत् गृह उत्पादन कर रहे हैं। यह सत्य नहीं है कि कोयले की आपूर्ति न होने के कारण कई कर्मचारी और अधिकारी इन विद्युत् गृहों पर बेकार हो गये हैं। प्रायः जब-जब भी कोई विद्युत् गृह कोयले की कमी के कारण बन्द करना पड़ता है तो उस समय वहां के कर्मचारी तथा अधिकारी विद्युत् गृह के रख-रखाव का कार्य देखते हैं। विद्युत् गृह के बन्द होने के कारण उत्पादन में कमी आती है और जिसकी वजह से आर्थिक हानि भी होती है। प्रदेश सरकार की ओर से समय-समय पर केन्द्रीय सरकार तथा रेलवे बोर्ड को इन समस्याओं के समाधान के लिए अवगत कराया जाता रहा है और यह प्रयास किये जाते हैं कि कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाय ताकि प्रदेश के विद्युत् गृहों के उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा न पड़ने पाये। माह दिसम्बर १९८० से जनवरी १९८१ तक जो छोटे-छोटे तापीय विद्युत् गृह कोयले की कमी के कारण बन्द करने पड़े थे उनका विवरण निम्न है—

विद्युत् गृह	बन्द रहने का समय
१—सोहावल	(१) १८ अक्तूबर, १९८० से ३१ अक्तूबर, १९८० तक
	(२) १२ नवम्बर, १९८० से १७ नवम्बर, १९८० तक
	(३) २८ नवम्बर, १९८० से २ दिसम्बर, १९८० तक
	(४) १० दिसम्बर, १९८० से २६ दिसम्बर, १९८० तक
	(५) १ जनवरी, १९८१ से १३ जनवरी, १९८१ तक
२—मैनपुरी	(१) २६ दिसम्बर, १९८० से ३० दिसम्बर, १९८० तक
	(२) १ फरवरी, १९८१ से १४ फरवरी, १९८१ तक
३—ताल कटोरा	(१) २७ नवम्बर, १९८० से ८ दिसम्बर, १९८० तक

ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की मशीनों का संचालन एवं बन्दी

१७—श्री उदल—

क्या विद्युत् मंत्री बतायेंगे कि ओबरा थर्मल पावर की जून से लेकर दिसम्बर तक कितनी मशीनें खोल दी गयीं और कितनी चालू रही हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जून, ८० से लेकर दिसम्बर, ८० तक ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की खोली गई तथा चालू की गई मशीनों का विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम संख्या	मशीन संख्या	क्षमता मे. वा.	मशीन खोलने की तिथि	मशीन चालू करने की तिथि	टिप्पणी
1	1	50	1-11-80	27-10-80	
2	2	50	26-9-80	22-10-80	—
3	3	50	10-9-80	26-9-80	—
4	4	50	29-6-80	13-9-80	—
5	5	50	15-12-80	17-2-81	—
6	6	100	8-7-80	15-11-80	—
7	7	100	—	—	यह मशीन नहीं खोली गई
8	8	100	—	—	तदैव
9	9	200	28-6-80	27-7-80	—
10	10	200	29-7-80	1-9-80	—
11	11	200	11-9-80	22-12-80	—

तहसील बांसी, जिला बस्ती में सूखा एवं बाढ़

१८—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के बांसी तहसील में वर्ष १९७८-७९ में तथा वर्ष १९७९-८० में सूखा तथा बाढ़ से कौन-कौन से ग्राम की खरीफ तथा रबी की फसलें किस प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हुई थीं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

बस्ती जनपद की तहसील बांसी में वर्ष १९७८-७९ में बाढ़ से ५०२ ग्रामों की खरीफ फसल प्रभावित हुई थी जिनमें से १५६ ग्रामों की खरीफ फसलें ७५ से १०० प्रतिशत, ३५

ग्रामों की ६० से ७४ प्रतिशत, १५७ ग्रामों की ५० से ५९ प्रतिशत तथा १५४ ग्रामों की ५० प्रतिशत से कम क्षतिग्रस्त हुई थी । इस वर्ष सूखे से किसी गांव की खरीफ अथवा रबी फसल प्रभावित नहीं हुई थी ।

वर्ष १९७९-८० में तहसील बांसी के कुल १,२२८ गांव सूखा से प्रभावित थे जिसके फलस्वरूप इन सभी गांवों की खरीफ फसल ७५ से १०० प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हुई ।

वर्ष १९७९-८० में तहसील बांसी कुल १,२२८ ग्रामों में सूखे का प्रभाव रहा जिससे तहसील के १७९ ग्रामों की रबी फसल ७५ से १०० प्रतिशत, १७० ग्रामों की ६० से ७४ प्रतिशत तथा ८७९ ग्रामों की ५० से ६० प्रतिशत क्षतिग्रस्त हुई ।

क्षति की प्रतिशतवार ग्रामों की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

बाराबंकी जिले के ग्राम किन्तूर निवासी श्री हाजी मोहम्मद बशीर का विद्युत् कनेक्शन

१९—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम किन्तूर विकास खंड रामनगर, जनपद बाराबंकी के श्री हाजी मोहम्मद बशीर को औद्योगिक कनेक्शन देने हेतु दिनांक १४-७-८० को एग्रीमेन्ट हो चुका है और कार्य की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उन्हें अब तक कनेक्शन न देने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सहायक आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय, अलीगढ़ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, श्री रोशन लाल की सेवा समाप्ति

२०—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रोशन लाल की नियुक्ति सहायक आयुक्त शासकीय बिक्री कर अलीगढ़ क्षेत्र, अलीगढ़ के द्वारा २१-१२-१९७५ को हुई थी ? और चतुर्थ श्रेणी के इस कर्मचारी की ३ वर्ष से अधिक लगातार सेवा के उपरान्त बिना कारण बताये संबंधित अधिकारी ने दिनांक २३-४-१९७९ को सेवा से मुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो सेवा समाप्ति का क्या कारण है ? और उसे पुनः सेवा में लेने का आदेश देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां ।

श्री रोशन लाल की राजकीय पद पर कार्य करने के लिए अपेक्षित मर्यादा का निर्वाह करने में असफल पाया गया । इसी कारण इनकी सेवाओं की आवश्यकता

विभाग को नहीं रह गई थी तथा इनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं । इसी कारण उन्हें पुनः सेवा में लिया जाना जनहित में न होगा ।

बदायूं जिले के सहकारी संघ प्रापर्टी का बकाया बिक्रीकर के फलस्वरूप नीलामी

२१—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के सहकारी संघ की "प्रापर्टी" का नीलाम १९८० में बिक्री कर के देयों को न देने के कारण हुआ है ? यदि हां, तो क्या क्या उक्त देय अब सरकार को वसूल हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो कितनी धनराशि संघ पर शेष है और उसकी वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बृह्मदत्त—

जनपद बदायूं के सहकारी संघ की प्रापर्टी की नीलामी ३१ दिसम्बर, १९८० को बिक्री-कर के देयों को न देने के कारण निश्चित की गयी थी परन्तु बोली अनुमानित कीमत से कम होने के कारण नीलामी को स्वीकृत नहीं किया गया । पुनः ३०-१-८१ को नीलामी निश्चित की गयी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश २९-१-८१ के अनुपालन में उपरोक्त नीलामी की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी । संस्था के ऊपर कुल बकाया (मूल कर तथा ३१-१-८१ तक का ब्याज) रु० १,९८,००० है ।

२२—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[६ठें शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा नेशनल स्क्रू एण्ड वायर प्रोडक्ट्स कलकत्ता, खेमका कोबल वर्क्स से कण्डक्टर की खरीद

२३—छत्तर सिंह—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के परचेज सर्किल २ लखनऊ के निविदा सं० ८५/१९७८ में डीजल कन्डक्टर के लगभग ६ करोड़ रुपये के आर्डर को, जो कि १,८३० रुपये प्रति किलोमीटर पर था, कलकत्ते की नेशनल स्क्रू एण्ड वायर प्रोडक्ट्स ने पूर्ति नहीं की और अब वही कन्डक्टर दूसरों से २,४५० रुपये प्रति किलोमीटर पर खरीदा जा रहा है ? जिसमें लगभग २ करोड़ रुपये का घाटा है ? क्या परिषद् ने नेशनल स्क्रू के खिलाफ रिस्क परचेज की या अन्य क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की तो क्यों ?

श्री बृह्मदत्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

२४—श्री छत्तर सिंह—

क्या जनवरी, १९८० में परिषद् के मुख्य अभियन्ता, श्री टी० सी० अग्रवाल से उपरोक्त कम्पनी ने कलकत्ते में कहा था कि लगभग १,००० किलोमीटर कन्डक्टर उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हैं ? क्या बाद में वह मध्य प्रदेश को दे दिया था ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सूचना एकत्रित की जा रही हैं ।

२५—श्री छत्तर सिंह—

क्या उपरोक्त कम्पनी से संबंधित खैमका कैबिल वर्क्स और बिहार कैबिल एण्ड वायर इन्डस्ट्रीज ने परिषद् के करोड़ों रुपये के कन्डक्टर के आर्डरों की पूर्ति नहीं की तथा परिषद् ने इन सब आर्डरों के बारे में केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभाग को लिखा था कि इन आर्डरों का एल्यूमिनियम न दिया जाय जिससे इन कम्पनियों को ब्लैक करने का अवसर मिलता हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सूचना एकीत्रत की जा रही हैं ।

तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में बन्दोबस्त

२६—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई में बन्दोबस्त हो रहा हैं और ५-५ वर्ष गुजर जाने के पश्चात् भी कोई ग्राम बन्दोबस्त प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर भी फाइनल नहीं हो पाया हैं तथा ग्राम के कागजात तहसील मुख्यालय पर नहीं पहुंचे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में भू-मापन क्रियाएं चल रही हैं किन्तु यह क्रियाएं वहां हुए पांच वर्ष की अवधि नहीं हुई हैं । इस तहसील के अधिकांश ग्रामों में कार्य पूर्ण हो गया हैं जो अब डिनोटिफिकेशन हेतु परिपक्व भी हो गये हैं । डिनोटिफिकेशन संबंधी कार्यवाही हो जाने पर अभिलेख आदि तहसील मुख्यालय पर भेजे जा सकेंगे ।

हरदोई जिले के रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्यालय को अवकाश के दिनों में खोले जाने का आदेश

२७—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की चारों तहसीलों में रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्यालय अवकाश के दिनों में भी खुले रहते हैं और कर्मचारी

कार्य करते हैं ? क्या उन कर्मचारियों को शासन की ओर से ओवर टाइम भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्यालय आवश्यकतानुसार कभी-कभी सार्वजनिक अवकाश के दिनों में खुलते हैं परन्तु कर्मचारियों को इसके लिए कोई ओवरटाइम देने का प्राविधान नहीं है ।

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सठियांव पर बकाया गन्ना मूल्य

२८—श्री पंचानन—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 'दि किसान चीनी सहकारी मिल्स लि० सठियांव' में गन्ना किसानों का कितना धन ३१ दिसम्बर, १९८० को बकाया है ? इस धन के शीघ्र भुगतान हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि० सठियांव पर गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य ३१ दिसम्बर, १९८० तक कुल रु० १४.३४ लाख रुपया बकाया है जिसमें से रु० ११.७६ लाख रु० वर्ष ८०-८१ का है । अवशेष धनराशि का भुगतान मिल द्वार पर खोल रखा है एवं निरन्तर किया जा रहा है ।

तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के नलकूपों का विद्युत् कनेक्शन

२९—श्री पंचानन—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में ३१ दिसम्बर, १९८० को कितने ऐसे राजकीय नलकूप थे जिनका निर्माण पूर्ण हो गया है और उन्हें विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया गया है ? इनमें से कितने ऐसे राजकीय नलकूप हैं जिनका निर्माण एक वर्ष पूर्व पूरा हो गया है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गाजीपुर जिले के ग्राम वीरपुर का विद्युतीकरण

३०—श्री पंचानन—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद की मोहम्मदाबाद तहसील में स्थित ग्राम वीरपुर का विद्युतीकरण कब किया गया ? क्या उक्त गांव की कि ताई आबादी का विद्युतीकरण अभी (१५ जनवरी, १९८१) तक नहीं किया गया है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में गृह अनुदान, बाढ़ सहायता एवं अहैतुक सहायता सम्बन्धी पत्र

२१—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में गृह अनुदान, बाढ़ सहायता वितरण व अहैतुक सहायता वितरण में व्यापक स्तर पर अनियमितता फर्जी सूची बनाकर हुई है ? क्या इस सम्बन्ध में स्वयं प्रश्नकर्ता एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अक्तूबर व नवम्बर माह १९८० में मुख्य मंत्री व जिलाधिकारी, गोरखपुर को पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

गोरखपुर जिले में गृह अनुदान, बाढ़ सहायता व अहैतुक सहायता फर्जी सूची बनाकर वितरित करने के सम्बन्ध में किसी सामाजिक कार्यकर्ता का कोई पत्र शासन व जिलाधिकारी को नहीं प्राप्त हुआ । माननीय विधायिका का मुख्य मंत्री जी का सम्बोधित इस आशय का एक पत्र, दिनांक ३-११-८० शासन को प्राप्त हुआ था जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी, गोरखपुर को यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई थी । जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में असहायों को निःशुल्क गेहूं वितरण में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके लिए एक सुपरवाइजर कानूनगो को लेखपाल के मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया गया तथा एक अन्य सुपरवाइजर कानूनगो व संबंधित लेखपालों को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त गृह अनुदान वितरण में चार नायब तहसीलदारों द्वारा कुछ अनियमितताएं प्रकाश में आयी थीं, जिनकी जांच की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले में बाढ़

२२—श्री पंचानन—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९८० में प्रदेश में बाढ़ से कुल कितनी क्षति हुई है और राहत कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा आजमगढ़ जिले में कुल कितनी क्षति हुई है ? और वहां पर राहत कार्यों पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

वर्ष १९८० में प्रदेश में बाढ़ से कुल ३६६.१९ करोड़ रुपये (१९० करोड़ ११ लाख ७६ हजार रुपये फसलों की क्षति के कारण, १०० करोड़ १२ लाख ४१ हजार रुपये मकानों के गिरने से तथा ७५ करोड़ १५ लाख रुपये सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि से) की क्षति हुई है। राहत कार्यों पर जनवरी, १९८१ तक विभिन्न मदों में कुल २५.५९ करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी है ।

जिला आजमगढ़ में बाढ़ के फलस्वरूप फसलों तथा मकानों की लगभग ९१६.६७ लाख रुपये की क्षति हुई है तथा राहत कार्यों पर अभी तक ४८,२९,५८२ रुपये व्यय किया जा चुका है।

२३—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[६ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जालौन जिले में बाढ़ एवं दिया गया गृह अनुदान

२४—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जालौन जनपद में अतिवृष्टि के कारण मकान गिर जाने से जो सरकारी सहायता अनुदान तथा तकावी के रूप में दी जा रही है उसका वितरण केवल तहसील मुख्यालय पर ही होता है तथा वितरण के लिये कार्यक्रम बनाकर जिन गांव के लोगों को बुलाया जाता है उनको भी कई बार वापस कर दिया जाता है, प्रमाणित व्यक्तियों की जो लिस्ट बनायी गयी है, उनमें भी भारी गोलमाल है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

बाढ़/अतिवृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को गृह अनुदान तथा आपदा तकावी का वितरण बाढ़ पीड़ितों की सहूलियत हेतु तहसील मुख्यालयों/विकास खण्ड मुख्यालयों के अतिरिक्त ग्रामों में भी कराया गया है। वितरण कार्यक्रम के अनुसार जिस स्थान पर जिन व्यक्तियों को भुगतान हेतु बुलाया गया उनको बिना भुगतान के वापस होने का अवसर नहीं उत्पन्न होने दिया गया।

प्रमाणित व्यक्तियों की जो सूची बनाई गयी थी उसमें जांचोपरान्त कुछ अनियमिततायें प्रकाश में आई जिसके लिये दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया गया है।

संग्रह अधिष्ठान, फैजाबाद के लिपिकों का स्थायीकरण

२५—श्री जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती'—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में संग्रह अधिष्ठान में कार्यरत लगभग दस लिपिक ऐसे हैं जो लगभग २० वर्षों से कार्य करते चले आ रहे हैं फिर भी स्थायी नहीं किये गये जबकि शासन का स्पष्ट आदेश है कि तीन वर्ष लगातार सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी स्थायी कर दिये जायं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

संग्रह योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले लिपिक कलेक्ट्रेट संवर्ग में सम्मिलित हैं। तीन वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत सभी कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची बना कर उस पर आपत्तियां प्राप्त की जा चुकी हैं जिन के निस्तारण के पश्चात् स्थायीकरण की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र की जायगी।

गढ़वाल जिले के कोटद्वार भावर के लेखपाल, श्री रणबीर सिंह की पेंशन एवं ग्रेच्युटी

३६—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार, गढ़वाल के रणबीर सिंह रावत एवं अन्य पटवारी जो १९७४-७५ में सेवा निवृत्त हुए उन्हें आज तक पेंशन ग्रेच्युटी एवं जी० पी० फण्ड क्यों नहीं दिया गया ? इस विलम्ब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? और क्या उक्त पटवारियों को अतिशीघ् पेंशन आदि देने का आदेश जारी करेंगी ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद गढ़वाल के कोटद्वार भावर में कार्यरत पटवारी/लेखपाल को उन पर लागू नियमावली के अनुसार पेंशन देय नहीं थी। अब शासन द्वारा उक्त क्षेत्र में कार्यरत पटवारी/लेखपाल को पेंशन दिए जाने हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिए गये हैं, जिसके अन्तर्गत अब उनको पेंशन देय हो गयी है। शासन के उक्त आदेशों के अन्तर्गत वर्ष १९७४-७५ में सेवा निवृत्त हुए श्री रणबीर सिंह रावत तथा अन्य पटवारियों के पेंशन/ ग्रेच्युटी संबंधी कागजात महालेखाकार को भेज दिये गये हैं। महालेखाकार से अधिभार पत्र प्राप्त न होने के कारण पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सका है। श्री रावत का भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान वर्ष १९७६ में किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पेंशन/ ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब के लिये कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी नहीं है।

छटनीशुदा, कृषि अमीनों की देवरिया जिले के संग्रह अमीनों के पद पर नियुक्ति

३७—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि आद्या शंकर, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या ५६७१/१/९/७५, तद्दिनांक २० अक्तूबर, १९७५ के अनुसार सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आदेश दिया गया था कि जनपदों में रिक्तियों में भर्ती छटनीशुदा कर्मचारियों में से की जायगी ? यदि हां तो क्या इसका पालन जनपद देवरिया में किया गया ? यदि नहीं, तो क्या छटनीशुदा कर्मचारियों को तत्काल भर्ती करने का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

३८—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्वमंत्री बतायेंगे कि सचिव राजस्व परिषद् ने अपने पत्रांक १७८४०/९५/२—९६ बी ६७, दिनांक २१ जुलाई, १९७७ के अनुसार समस्त जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया था कि कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीनों को वरीयता क्रम में स्थायी अमीन के पद पर नियुक्त कर दिया जाय ? यदि हां, तो इसका पालन देवरिया जनपद में किया गया या नहीं ?

श्री बँजनाथ कुरील—

परिषदादेश दिनांक २१ जुलाई, १९७७ में कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीनों को संग्रह विभाग में अमीन के पदों पर नियुक्ति में केवल वरीयता के आदेश थे, स्थायी नियुक्ति के संबंध में नहीं। परिषदादेश के अनुपालन में कृषि विभाग के ८५ छटनीशुदा अमीनों को संग्रह अमीन के सीजनल एवं अस्थायी पदों पर देवरिया में नियुक्त किया गया था। संग्रह अमीन के स्थायी पदों पर नियुक्ति उ० प्र० कलेक्शन अमीन सेवा नियमावली, १९७४ के अन्तर्गत की जाती हैं, जो दिनांक ९ अगस्त, १९७४ से प्रभावी हैं।

श्री राम स्वरूप सिंह, सुपरन्युमरेरी कानूनगो की नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति

३९—श्री हुकम सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही हैं कि ३८ सुपरवाइजर कानूनगो, जो दिनांक १-१-७८ से स्थायी हैं अब तक नायब तहसीलदार पर प्रोन्नत नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही हैं कि श्री राम स्वरूप सिंह, अस्थायी (सुपरन्युमरेरी) कानूनगो को नियमों के विरुद्ध प्रोन्नत किया गया हैं ?

श्री बँजनाथ कुरील—

जी हां। यह सही हैं कि १-१-१९७८ से कुछ सुपरवाइजर कानूनगो स्थायी किये गये हैं उनकी अब तक नायब तहसीलदार पद पर परिषद् द्वारा प्रोन्नति नहीं की गयी हैं इसका कारण यह हैं कि इन सब सुपरवाइजर कानूनगो का स्थायीकरण वर्ष १९७९-८० में पिछले अवधि की रिक्तियों में किया गया था। इनको नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियमानुसार की जाती हैं जिसके लिये आयोग द्वारा नियमित चुनाव की कार्यवाही कराई जा रही हैं। तदर्थ रूप से नियुक्ति के लिये भी परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा हैं।

यह सही नहीं हैं कि श्री राम स्वरूप सिंह, सुपरन्युमरेरी कानूनगो की प्रोन्नति नायब तहसीलदार पद पर परिषद् द्वारा तदर्थ रूप से की गयी। श्री सिंह की प्रोन्नति जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय प्रबन्ध में की गयी थी।

मेरठ मण्डल के संग्रह अमीन एवं सुपरवाइजर कानूनगो की पदोन्नति

४०—श्री हुकम सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् स्तर पर संग्रह अमीनों को एक वर्ष की सर्वे तथा लैन्ड रिकार्ड की ट्रेनिंग दिये बिना मेरठ मंडल के १५-२० संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नत किया गया हैं ? यदि हां, तो कैसे ? क्या यह सही हैं कि मेरठ मण्डल में ही दस स्थायी सुपरवाइजर कानूनगो, नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

परिषद् द्वारा नायब तहसीलदार सेवा नियमावली के अनुसार प्रदेश स्तर पर ५-१ के अनुपात में सुपरवाइजर कानूनगो एवं संग्रह अमीनों में से नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं जब तक कि लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत् चयन की कार्यवाही पूरी न हो जाय । स्थानीय प्रबन्ध में जिला अधिकारी द्वारा भी ५-१ के अनुपात से सुपरवाइजर कानूनगो एवं संग्रह अमीनों में से नायब तहसीलदार पद पर नियुक्तियां की जाती हैं । यह सही नहीं है कि परिषद् द्वारा मेरठ मंडल में १५-२० संग्रह अमीनों को प्रोन्नत किया गया है । मेरठ मंडल में १२ स्थाई सुपरवाइजर कानूनगो जो नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नत हेतु न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं, में से ७ सुपरवाइजर कानूनगो नायब तहसीलदार पदों पर कार्य कर रहे हैं, एक अन्य सुपरवाइजर कानूनगो की भी तदर्थ प्रोन्नति हुई है परन्तु उसने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है तथा एक को प्रोन्नति के पश्चात् विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप प्रत्यावर्तित किया गया है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम बैठवलिया की चकबन्दी की मांग

४१—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक निचलौल, ग्राम सभा बैठवलिया की चकबन्दी नहीं करायी गयी है ? चकबन्दी कराने हेतु भूतपूर्व विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल ने अक्तूबर, १९७८ तथा मई, १९७९ में लिखित दिया था कि उपरोक्त गांव को चकबन्दी में सम्मिलित कर लिया जाय ? क्या यह सही है कि आज तक ग्राम सभा बैठवलिया को चकबन्दी में नहीं लिया गया और न तो कार्यवाही से अवगत कराया गया ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां । प्रश्नगत ग्राम की चकबन्दी नहीं करायी गयी है क्योंकि यह ग्राम निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चकबन्दी योग्य नहीं पाया गया । जहां तक इस ग्राम की चकबन्दी कराने हेतु भूतपूर्व विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल द्वारा दिये गये कथित पत्रों का सवाल है इन पत्रों का प्राप्त होना नहीं पाया जाता । कथित पत्रों के प्राप्त न होने की स्थिति में कदाचित कार्यवाही से अवगत कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के ग्राम टेढ़वा की ग्राम समाज की भूमि का पट्टा

४२—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता एवं जन प्रतिनिधियों की शिकायत पर ग्राम सभा टेढ़वा, कानूनगो सर्किल धुधली, तहसील महाराजगंज, गोरखपुर में करीब एक सौ एकड़ ग्राम सभा की भूमि का अवैध पट्टा कई वर्ष पूर्व प्रकाश में आया जिसके फलस्वरूप ग्राम प्रधान एवं लेखपाल निलम्बित किये गये क्या यह सच है कि अभी तक उक्त भूमि पर अवैध कब्जा बना है एवं लेखपाल तथा ग्राम प्रधान बहाल कर दिये गए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

जी हां ।

ग्राम टेंढ़वा तहसील महराजगंज गोरखपुर में ९० व्यक्तियों को ७७-७२ एकड़ भूमि के पट्टे अनियमित ढंग से वर्ष १९७६ में किये गये थे, जिनके निरस्तीकरण का वाद अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में विचाराधीन हैं । उपरोक्त आबंटियों में से ८ व्यक्तियों ने स्वयं इसलिये कब्जा नहीं लिया कि आबंटित भूमि कृषि योग्य नहीं थी । बाकी आबंटियों से उस समय भूमि वापस ली जा सकती हैं जब उक्त न्यायालय द्वारा पट्टे अवैधानिक घोषित कर निरस्त करने के आदेश पारित हो जाएंगे । लेखपाल को प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन परगनाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक १०-२-७७ द्वारा इस निर्देश के साथ बहाल किया कि उन्हें निलम्बन काल का कोई वेतन देय नहीं होगा, साथ ही एक वर्ष की वेतन वृद्धि भी रोक दी गई तथा चरित्र पंजिका में सत्यनिष्ठा प्रमाणित न होने की प्रविष्टि भी कर दी गई हैं । परगनाधिकारी ने प्रधान को इस दृष्टिकोण के आधार पर बहाल कर दिया कि कम पढ़े होने के कारण उन्हें अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण ज्ञान नहीं था ।

गोरखपुर जिले के ग्राम सिंहपुर की भूमि का पट्टा

४३—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह भी सच हैं कि गांव सभा सिंहपुर, तहसील महाराजगंज, गोरखपुर में भी अवैध पट्टा प्रकाश में आया हैं जिसमें एक पट्टा करीब १२ एकड़ का उक्त लेखपाल टेंढ़वा के बाप श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव के नाम भी हैं ? जिसके पास गांव हरखा प्यास में काफी भूमि हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील—

श्री श्याम बिहारी लेखपाल, हल्का टेंढ़वा द्वारा श्री श्याम सुन्दर पुत्र काशी प्रसाद तथा अन्य ८ व्यक्तियों के नाम खतौनी ग्राम सिंहपुर, तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर १३८० फसली लगायत १३८२ फसली में बहौसियत भूमिधर फर्जी तौर पर अंकित कर दिये गये थे । यह ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं । चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक १५-५-७८ द्वारा आधार वर्ष की खतौनी से श्री श्याम सुन्दर आदि सभी उक्त खातेदारों का नाम खारिज कर दिया गया हैं ।

श्री श्याम बिहारी लेखपाल को अवैधानिक प्रविष्टि करने का उत्तरदायी मान कर परगनाधिकारी के आदेश दिनांक १९-१-८० के अन्तर्गत सेवा से पृथक कर दिया गया हैं ।

विद्युत विभाग, परसीपुर विद्युत लाइन, जिला वाराणसी का लखनपुर ग्राम का कनेक्शन

४४—श्री ऊदल—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परसीपुर फीडर विद्युत विभाग, वाराणसी में एक कनेक्शन नं० ११४ कई वर्षों से दिया गया हैं और उक्त कनेक्शन का

पता गांव लोकमनपुर दिया गया है जिसकी वजह से कनेक्शन के बिल का हजारों रुपया सालाना वसूल नहीं हो रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त कनेक्शन गांव लखनपुर उर्फ अभयनपुर में है ? यदि हां, तो इसको गलत गांव के नाम से क्यों दिया गया और अब तक जांच करके उसको ठीक क्यों नहीं किया गया ? विद्युत चार्ज क्यों नहीं वसूल किया गया ? इसके लिये कौन कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त—

यह सही है कि कनेक्शन नं० ११४ परसीपुर फीडर से विद्युत विभाग वाराणसी द्वारा दिनांक १५-८-७६ को दिया गया था। उक्त कनेक्शन गांव लखनपुर पोस्ट भदोही में है। जिसका पता गांव लखनपुर के बजाय लोकमनपुर दिया गया है।

यद्यपि उपभोक्ता ने अनुबन्ध में "लखनपुर" का नाम सही लिखा था परन्तु अवर अभियन्ता एवं उप खण्ड अधिकारी से प्राप्त लेजराइजेशन रिपोर्ट में गांव का नाम लोकमनपुर अंकित होने के कारण लेजर में भी गांव का नाम लोकमनपुर ही अंकित कर दिया गया था। उपभोक्ता का पता ठीक कर दिया गया है और भुगतान हेतु सही पते से पास-बुक भी उपभोक्ता को भेज दी गयी है जो उसे प्राप्त हो गयी है। बकाये की वसूली हेतु डिमाण्ड नोटिस अब सही पते पर भेजी गयी है। उपभोक्ता का कनेक्शन भी बकाये के कारण काट दिया गया है। इस प्रकार बकाये की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

गलत पते के लिये जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों की विवेचना की जा रही है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्याम बिहारी, हरिजन, ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ चौरी, जिला गोरखपुर की विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु

४५—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मृतक श्री श्याम बिहारी हरिजन, ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ चौरी, जिला गोरखपुर, जो बिजली का तार लग जाने से मर गया था उसके परिवार को क्या सहायता दी गयी ? क्या तत्कालीन विद्युत राज्य मंत्री जी ने अपने पत्र संख्या ५००/स० म० वि०/८०, दिनांक २३-७-८० के द्वारा प्रश्नकर्ता को मुख्य मंत्री कोष से सहायता के लिये आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अभी तक क्या सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

दिनांक १-७-८० को रामगढ़ फीडर का एक क्रास आर्म टूट जाने के कारण बिजली का एक तार नीचे लटक गया था। जमीन से दो फीट ऊपर रह जाने से इसमें विद्युत प्रवाह जारी था। मृतक अज्ञानतावश उक्त तार लांघने के प्रयास में विद्युत की चपेट में आकर मर गया।

मुख्य क्षेत्रीय अभियंता वाराणसी एवं अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल गोरखपुर को राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि वह मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति किये जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करें। जहां तक मुख्य मंत्री जी के कोष से सहायता दिये जाने का सवाल है मृतक के परिवार को एक हजार रुपये की क्षतिपूर्ति (ग्रेट बीटस रिलीफ) स्वीकृत कर दी गई है।

वाराणसी जिले के ग्राम देवराई के श्री लालचन्द्र मुसहर का लेखपाल पद हेतु प्रार्थना-पत्र

४६—श्री कुदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुसहर जाति के एकाध छात्र यदि वह हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएट हैं को उनकी नौकरी में नहीं रखा जाता है, ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि लालचन्द्र मुसहर, गांव देवराई, पोस्ट कनकपुर, जिला वाराणसी ने लेखपाल के पद के लिए कमिश्नर वाराणसी एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को सन् १९८० में प्रार्थना-पत्र दिया था ? इसको न लेने का कारण क्या है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण तथा योग्यतानुसार उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति की जाती है।

श्री लाल चन्द्र राम (मुसहर) पुत्र सहादुर राम ग्राम कुसना, पोस्ट कुसना, तहसील केराकत, जिला जौनपुर, हाल मुकाम मौजा देवराई, डाकखाना कनकपुर जिला वाराणसी ने लेखपाल प्रशिक्षण हेतु चयन किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया था। हाई स्कूल में उसका प्राप्तांक ५०-४ प्रतिशत था। इसलिये मेरिट पर इनका क्रम न आने के कारण चयन नहीं किया गया क्योंकि अनुसूचित जाति के वे अभ्यर्थी, जिनका प्राप्तांक ५८-६ प्रतिशत के ऊपर था, उन्हीं का चयन निर्धारित आरक्षण की संख्या तक किया गया है।

फतेहपुर सीकरी (आगरा) में खनन कार्य के कारण ऐतिहासिक भवनों को खतरे के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना

[समय ११ बज कर ५६ मिनट]

श्री अध्यक्ष—

आज नियम २०१ में १३ सूचनायें प्राप्त हुयीं थीं, ५ स्वीकार की गयी हैं।

***श्री बदन सिंह—**

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान एक अविलंबनीय लोक महत्व की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

फतेहपुर सीकरी (आगरा) के ऐतिहासिक भवनों की सुरक्षा को खतरा पहुंचने की आशंका से उनके आस-पास होने वाले खनान कार्य को कांदऊबारऊ पहाड़ के गाटा संख्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बदन सिंह—]

रु रकबा २८ बीघा ४ विस्वा पर पुरातत्व विभाग द्वारा रुकवा दिया गया था। पर यह खनन कार्य केवल कागजों पर ही रोका गया हैं मौंके पर एक पूंजीपति पट्टाधारी के हजारों मजदूर इस निषिद्ध एरिया में पत्थर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यह कार्य सरकारी अधिकारियों की शह से इस पूंजीपति (सच्चिदानन्द इटावा वाले) के द्वारा जारी हैं। कागज पर रुका हुआ यह कार्य पट्टेधारी को पहाड़ की रायल्टी कम करने में सहायक होगा और मौंके पर पत्थर तोड़ कर धन भी कमाया जा रहा हैं। इस तरह से सरकारी अधिकारियों की साजिश से बारूदी धमाकों द्वारा पुरातत्व विभाग के ऐतिहासिक विश्वविख्यात भवनों की सुरक्षा जिनमें भारत की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति निहित हैं, खतरे में पड़ गयी हैं।

मेरी शासन से मांग हैं कि फतेहपुर सीकरी (आगरा) के पुरातत्व विभाग के ऐतिहासिक भवनों को खतरे से बचाने के लिये तुरंत ही इस खनन कार्य को रोकवा दिया जाय और पट्टेधारी से साठ-गांठ रखने वाले जनपद आगरा के उच्च अधिकारियों को दंडित किया जाय।

प्रदेश के महाविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में विधान भवन के सामने प्रदर्शन के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय सदन व सरकार का ध्यान एक अविलंबनीय लोक महत्व की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आज समस्त प्रदेश के महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की ओर से विधान भवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर एक विशाल प्रदर्शन हो रहा हैं। महाविद्यालयों के प्रवक्तागण अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके अमल कराने के लिये विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगों में मकान भत्ता वर्तमान वेतन मानों में संशोधन या जब तक संशोधन हो कोई तदर्थ सहायता दिया जाना, ३ वर्षीय डिग्री कोर्स सभी कालेजों में समान रूप से एक साथ लागू किया जाना, सरकार द्वारा अपने पूर्व घोषित आश्वासनों को अविलंब पूरा किया जाना। जैसे शारीरिक शिक्षा अधीक्षकों व कोडोग्राफर्स को यू० जी० सी० स्केल दिया जाना, सन् १९७४ से परीक्षा पारिश्रमिकों का भुगतान किया जाना, विश्वविद्यालय अधिनियमावली में व्यापक सुधार जैसे प्राइवेट प्रबंध मंडलों पर अधिक अंकुश इत्यादि हैं।

मान्यवर, महाविद्यालयों के प्रवक्ता अपनी मांगों को मनवाने के लिये शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यदि सरकार ने शीघ्र सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाकर प्राध्यापकों की मांगों को स्वीकार न किया तो एक आंदोलन शुरू हो जायगा जिससे पूरे प्रदेश का अहित होगा।

अतएव आपसे आग्रह है कि आप सरकार को प्राध्यापकों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करने का निर्देश दें।

लोअर गंगा कैनाल की नहर सिकन्दरा रजबहा के फट जाने से कानपुर के कतिपय ग्रामों में फसल को क्षति के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं नहर विभाग की लापरवाही से हुई किसानों की भीषण हानि को सदन के सामने लाना चाहता हूं। लोअर गंगा कैनाल की नहर सिकन्दरा रजबहा के मील ४ पर फट जाने से जमुंआ मिरगांव, हरवंशपुर नदना और नसीरपुर, जिला कानपुर की सैंकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। पटरी १९/२० फरवरी को फटी और किसानों ने जाकर नहर की कोठी नसीरपुर से तुरन्त तार देकर नहर को बन्द करने व मरम्मत करने के लिये तार देने को कहा किन्तु उन्होंने कहा कि तार की लाइन खराब है तब सिकन्दरा जाकर ओवर-सियर से कहा कि तार दें किन्तु उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि रात में तार नहीं देंगे दिन में देंगे। इस प्रकार विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से नहर डेढ़ दिन चलती रही। फलस्वरूप उक्त गांवों की सैंकड़ों बीघे भूमि जलमग्न हो गयी है और किसानों में भारी क्षोभ एवं रोष व्याप्त है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त स्थान के आस-पास बीस महीने के अन्दर तीन बार पटरी फट चुकी है फिर भी अधिकारी किसानों की रक्षा के लिये कृत संकल्प न होने के कारण यह विनाश लीला हुई।

अतः माननीय सिंचाई मंत्री नहर अधिकारियों के कारण हुई फसल की बरबादी के बारे में स्पष्टीकरण दें और दोषी अधिकारियों को दंडित करने के साथ-साथ किसानों को उनकी फसल का मुआवजा दिलायें।

राजेन्द्र नगर, लखनऊ निवासी श्री श्याम सुन्दर गावा के घर में डकैती के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन—

महोदय, २५/२६ की रात में राजेन्द्र नगर के क्षेत्र पी० एस० नाका, लखनऊ में आठ सशस्त्र डकैतों ने श्री श्याम सुन्दर गावा के मकान में जो दूसरी मंजिल पर है घुसकर ४० हजार रुपये की डकैती की। मालिक मकान, श्री श्याम सुन्दर गावा के घर के दूसरे लोगों को जबरदस्ती एक कमरे में बन्द कर दिया और भारी आबादी के क्षेत्र में यह घटना करके निकल भागे। ज्ञात हुआ है कि पुलिस ने इस डकैती को चोरी में तब्दील करने की कोशिश की है और केवल ३ चोरों के द्वारा हुई यह चोरी दिखलायी गयी है। जबकि एस० पी० सिटी और कैंसरबाग के सी० ओ० इस डकैती की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे और कुत्ता स्क्वायड को भी साथ ले गये। परन्तु अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इस शहर के बीच में सनसनी खेज गम्भीर घटना होने के कारण हर शख्स को हर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबर हुसैन—]

प्रकार का खतरा मालूम होने लगा है। जिसकी वजह से व्यापक रूप से असंतोष और अविश्वास उत्पन्न हो गया है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम २०१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

बम्बई से प्रकाशित 'करेंट' साप्ताहिक के संवाददाता श्री गिरधारी लाल पाहवा प्रधान सम्पादक श्री अयूब सैयद एवं सम्पादक श्री महाबीर अधिकारी के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय।

श्री अध्यक्ष—

श्री मोहन सिंह व श्री राम आसरे वर्मा, सदस्यगण विधान सभा ने बम्बई से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र "करेंट" के संवाददाता, श्री गिरधारी लाल पाहवा, प्रधान सम्पादक श्री अयूब सैयद एवं सम्पादक, श्री महाबीर अधिकारी के विरुद्ध सदन की अवमानना के प्रश्न की एक सूचना दिनांक २५ फरवरी, १९८१ को दी है। उक्त सूचना में माननीय सदस्यों ने २१ फरवरी, १९८१ के उक्त पत्र के अंक में पृष्ठ २ पर "उत्तर प्रदेश के रंगीले मंत्रीगण" शीर्षक के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के संबंध में कुछ आक्षेपात्मक समाचार छापे जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे सदन की प्रतिमा धूमिल हुई है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, सूचना को तो पढ़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं।

श्री मोहन सिंह—

मंत्री कौन हैं, इसकी सफाई तो होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जांय, मैं खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

यह हमारे अधिकारों का हनन है।

श्री अध्यक्ष—

यह मेरे भी अधिकारों का हनन हैं। मैं खड़ा हूं और आप खड़े हो गये हैं। मेरे भी तो अधिकार हैं, उसको भी आप हनन न कीजिये।

श्री मोहन सिंह—

वह कौन मंत्री हैं, यह बताया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जांय। क्या बहुत जरूरी बात हैं नाम बताना ? उत्तर प्रदेश के सदन के बारे में, इसकी प्रतिमा जो धूमिल हुई हैं, इस संबंध में काफी ज्ञान आपको हैं, विशेष ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं हैं, आप निर्णय सुनें।

इसी सदन में दिनांक ४ सितम्बर, १९७९ को श्री गुरु दत्त सोलंकी के मामले में मंज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टस, हाउस आफ कामन्स तथा इस देश की संसद के दृष्टान्तों एवं निर्णयों को देखते हुए यह स्पष्ट दिया गया हैं कि किसी सदस्य के कदाचारपूर्ण आचरण का संबंध सदस्य की हैसियत से उसके कर्तव्यों से संबंधित होना आवश्यक हैं, तभी सदन द्वारा उस पर कार्यवाही की जा सकती हैं। मैंने इस संदर्भ में सूचना के साथ संलग्न उक्त साप्ताहिक पत्र के सन्दर्भित समाचार को देखा। इसमें कहीं भी सदस्य की हैसियत से उसके कर्तव्यों से संबंधित किसी मामले का उल्लेख नहीं हैं। साथ ही, इस सदन का यह भी निर्णय हैं कि केवल किसी साप्ताहिक या समाचार-पत्र में छपे समाचार के आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना या अवमान का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अतः मैं इस सदन की अवमानना के इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता।

[समय १२ बज कर १० मिनट]

इटावा जिले के अछल्दा थाने की पुलिस द्वारा ग्राम नगला बीरबाब निवासी श्री उदल को उनके घर से पकड़ ले जाने और बाद में पेड़ से बांधकर गोली से उड़ा दिए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

नियोजन मंत्री (श्री बूह्म दत्त)—

दिनांक १९-२-८१ की शाम को थानाध्यक्ष अछल्दा जनपद इटावा को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात डकैत ज्ञानी का गिरोह ग्राम मानिकपुर के पास बम्बे के किनारे एक बगिया में एकत्र होगा। इस सूचना पर थानाध्यक्ष, पांच उप निरीक्षक एवं आठ कानिस्टैबिलों को लेकर तत्काल मौके के लिए रवाना हुए और मौके पर पहुंचकर पुलिस छिपकर इन्तजार करने लगी। कुछ समय पश्चात् एक-एक करके डकैत इकट्ठा होने लगे। इन एकत्रित व्यक्तियों की बातचीत से पुलिस को यह विश्वास हो गया कि यह एक डकैतों का गिरोह हैं। अतः थानाध्यक्ष ने डकैतों को चैलेन्ज करते हुए उनसे अपने हथियार डालने को कहा।

[श्री बृह्म दत्त—]

इस पर डकैतों ने फायरिंग प्रारम्भ कर दी। पुलिस ने भी गोली चलाई। फलस्वरूप एक डकैत मौके पर मारा गया। शिनाख्त से मृतक डकैत का नाम ऊदल ज्ञात हुआ।

उपरोक्त मुठभेड़ की घटना के संबंध में थानाध्यक्ष की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना अछल्दा पर दिनांक २०-२-८१ को अभियोग अन्तर्गत धारा ३९९/४०२/३०७ भा० दं० वि० एवं २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

इस समस्त मामले की जांच अपराध अनुसंधान शाखा को सौंप दी गई है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को कुख्यात डकैत बताया जा रहा है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है ? उसके खिलाफ कितने और केसेज हैं ?

श्री बृह्म दत्त—

मान्यवर, इस व्यक्ति की क्रिमिनल स्टडी सन् १९७४ से शुरू होती है और ८१ तक चलती है। २३ केसेज हैं उसके खिलाफ जिसमें से ६ केसेज चल रहे हैं। दो केसेज ऐसे हैं जिनमें गुन्डा ऐक्ट के मातहत कार्यवाही की गई। ३ यू० पी० गुन्डा ऐक्ट में ५-८-७९ को जिस समय पहली सरकार थी और इस समय ३९५-३९७ का केस है जो विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यह वक्तव्य है और इस पर जिन लोगों ने प्रश्न किये थे वह स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं, लेकिन यह कोई प्रश्नों का समय नहीं है। इस पर प्रश्नोत्तर नहीं हो सकता।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें यह है कि डाकू एक-एक करके इकट्ठा हुए और डाकू आपस में बातचीत कर रहे थे जिसको पुलिस वाले सुन रहे थे तो वहां पर कितने डाकू थे जो इकट्ठा हुए और जब फायरिंग शुरू हुई तो क्या उसमें कोई पुलिस का आदमी भी जख्मी हुआ ?

श्री बृह्म दत्त—

मान्यवर, समस्त मामले की जांच सी० आई० डी० को सौंप दी गई है। जांच पूरी हो जाने पर सब तथ्य प्रकाश में आ जायेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन् जब यह प्रश्न इस सदन के सामने उठाया गया था तो मैंने एक टेलीग्राम शासन किया था जो मेरे पास उसके भाई का आया था। यह जो पूरी रिपोर्ट आई है इसमें कहीं भी उस चीज का उल्लेख नहीं किया गया है क्या इसे स्पष्ट करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, रिपोर्ट तो मैंने नहीं पढ़ी और न ही यह कोई जांच रिपोर्ट है, यह वक्तव्य है। यदि कोई स्पेसिफिक मामला नेता विरोधी दल जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा।

श्री मुईद अहमद—

अभी माननीय सदस्य मोहन सिंह जी ने पूछा कि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है और माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया कि वह तमाम मामलों में जैसे ३०७, ३९९ और गुन्डा एक्ट आदि कई केसेज उसके खिलाफ थे तो क्या जो क्रिमिनल हैं प्रदेश के अन्दर उनको संरक्षण देना ही आपका काम है ? विरोध पक्ष से उनको संरक्षण दिया जाता है।

(व्यवधान)

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठ जायं। (शोर) मैं माननीय नेता सदन से चाहूंगा कि वह इस बात का जरा ध्यान रखें की सदन की कार्यवाही ठीक रूप से चले।

श्री मोतीलाल देहलवी—

इसमें और प्रश्न नहीं करने दिये जायेंगे . . (व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगन की १० सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

१—पहली श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की गत २२/२३ फरवरी, १९८१ की रात्रि को ग्राम भगवतपुरा थाना सदर बाजार, जनपद झांसी के निकट ओरछा, मध्य प्रदेश की सीमा पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गोली चला देने से एक युवा ग्रामीण लल्लू की मृत्यु के संबंध में है। माननीय मोहन सिंह की भी यही सूचना थी। इसके अतिरिक्त—

२—माननीय मित्र सेन यादव, माननीय किरन पाल सिंह, माननीय रियासत हुसैन की सूचना है जो दिनांक २६ जनवरी, १९८१ को रात्रि में लखनऊ से आगरा जा रही बस को बदमाशों द्वारा गुरुसहाय गंज तथा छिपरामऊ जिला फर्रुखाबाद के बीच बस लूटने,

[श्री अध्यक्ष—]

गार्डों को घायल करने तथा उनकी राइफल छीनने तथा चार लड़कियों का अपहरण करने के संबंध में है। इसी विषय में एक सूचना नियम ५१ में स्वीकृति हो गयी।

२—माननीय दलगंजन सिंह, की सूचना फूलन देवी व बाबा मुस्तकीम के सम्मिलित गैंगों द्वारा विगत २२ दिसम्बर, १९८० को ग्राम जगम्मनपुर थाना रामपुरा, जनपद जालौन के ३ व्यक्तियों के अपहरण कर लिये जाने के संबंध में है। तथा

४—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की सूचना प्रदेश के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यालयों के १० हजार प्राध्यापकों द्वारा अपनी न्यायोचित मांगों के समर्थन में विधान भवन के सामने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन के संबंध में है।

इस विषय को २०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाया जा चुका है।

५—श्री प्रदीप कुमार यादव की सूचना लखनऊ शहर के राजेन्द्र नगर मोहल्ले में दिनांक २५-२-८१ की रात में श्री श्याम सुन्दर गावा के घर से डकैतों द्वारा लगभग ४० हजार की सम्पत्ति लूट ले जाने से शहरी क्षेत्र में व्याप्त असुरक्षा एवं आतंक के संबंध में। यह नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लायी जा चुकी है।

६—श्री खैरुल बशर एवं श्री राम आसरे वर्मा की सूचना-जनगणना के महत्वपूर्ण कार्य में उर्दू भाषा की उपेक्षा से उत्पन्न विषम स्थिति के संबंध में है। नियम ३०१ के अन्तर्गत २० फरवरी, १९८१ को सदन के संज्ञान में यह सूचना लाई जा चुकी है।

अतः सभी सूचनायें अस्वीकार हुई।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी .....

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय ओझा जी बैठ जाइये। आप लोग बैठ जाइये। ये सभी सामान्य प्रशासन से संबंधित हैं और आप का यहां चल भी रहा है। कई सूचनायें आ भी चुकी हैं। यह प्रतिदिन का नियम नहीं बनेगा कि कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश करें और प्रतिदिन इस पर सुना जाय। जब कभी कार्य स्थगन प्रस्ताव में ऐसी बातें आती हैं कि सुना जाय तो उन पर मैं सदा सर्वदा आप को अवसर देता हूं और देता रहूंगा। एक परम्परा बना ली जाय कार्य स्थगन पर सुने जाने की, ऐसा संभव नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह सामान्य प्रशासन का विषय नहीं है....।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

डकैतों ने . .

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठ जायं . . .

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

केवल एक मिनट । मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा . . .

श्री मित्र सेन—

लड़कियों का अपहरण हो रहा है . . . ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । कृपया बैठ जायं । माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी, आप क्या कह रहे थे ?

आप सब लोग कृपया बैठ जायं ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि २२/२३ फरवरी की रात में झांसी से ६ मील दूरी पर मिलिटरी चारों तरफ खड़ी हुई थी । गांवों में रात के ६ बजे से लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी सुरक्षा के लिये खड़ी होती है और उसके दो फर्लांग की दूरी पर मध्य प्रदेश की पुलिस खड़ी होती है । उस दिन देवी की पूजा के लिये गांव के लोग गाते हुये और ढोल बजाते हुये मंदिर में जा रहे थे । इतने में मध्य प्रदेश की पुलिस आकर के उनको पकड़ना चाहती है और गांव वालों के सामने ही वहां की पुलिस ने एक व्यक्ति को गोली से मार भी दिया और ५ लोगों को वहां से पकड़ कर ले गई । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां यह घटना घटित हो रही थी, वहां से एक फर्लांग की दूरी पर खड़ी थी और वह कुछ न कर सकी । जैसे ही मुझे यह समाचार मिला, मैं यहां की, कल की कार्यवाही को छोड़कर झांसी पहुंचा । मान्यवर, झांसी जिले के ५० गांव ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से चारों तरफ से घिरे हुये हैं । वहां पर डकैत पुलिस की वर्दी में रहते हैं । वहां पर आज यह स्थिति है कि गांव के लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, आतंक का वातावरण छाया हुआ है । इसलिये मैं इस सम्बन्ध में शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(स्वायत्त शासन मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। और वह यह है कि अभी कार्य स्थगन की सूचनाओं के सम्बन्ध में कई सूचनाओं का जिक्र आपने किया और उन सूचनाओं में से एक सूचना का विवरण सुनने के लिये आपने एक माननीय सदस्य को अनुमति दे दी। मान्यवर, दूसरे भी अहम् मसले हैं। प्रदेश में उर्दू का सवाल है। उसके सम्बन्ध में नियम २०१ में सूचना पढ़ी गई थी . . . (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा—

आज जिलों से उर्दू के सम्बन्ध में शिकायतें आ रही हैं। . . .(व्यवधान)। आप कृपया हमको भी सुन लें। जैसे आपने उनको मौका दिया और आपने सुना . . .(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। माननीय वर्मा जी, मैं समझता हूं कि जब मैंने कार्य स्थगन के प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये और उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि इन विषयों पर सदन में चर्चा हो चुकी है और आगे भी बजट में चर्चा की जा सकती है लेकिन इसके कहा। इनमें से दो-तान सूचनायें तो न्यिम ५१ के विषया पर है और कुछ सूचानायें कहा। इनमें से दो-तीन सूचनाएं तो नियम ५१ के विषय पर हैं। और कुछ सूचनाएं सदन के संज्ञान में लायी जा चुकी थीं। लेकिन श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना का जो विषय था यह आज ही सदन के संज्ञान में आया था। इसलिये मैंने उनको बोलने के लिये इजाजत दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिना सोचे हुये आप यह कह दें कि आपने उनको क्यों अनुमति दी ठीक नहीं है। मैं उनको अनुमति दे सकता था और मैंने दी।

श्री धर्म सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और मैं उसे उपस्थित करना चाहता हूं। मैं बहुत देर से खड़ा हो रहा हूं। . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय देने के बाद अभी कोई घटना नहीं घटी जिस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय। पुरानी घटनाओं के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है (व्यवधान)

श्री धर्म सिंह—

मान्यवर, हम लोगों ने नियम ५६ के अंतर्गत सूचना दी है वह सदन में कब आयी। उसको स्वीकार किया गया है या नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय नेता विरोधी दल और नेता सदन से कहूंगा कि वह अपने दल के सदस्यों को कहें कि बैठ जायं।

[समय १२ बजकर २६ मिनट]

१९८१-८२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ९-स्वायत शासन एवं नगरपालिका अनुदान संख्या ४२-आवास एवं नगर भूमि, अनुदान संख्या ७९-स्वायत शासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ११२-स्वायत शासन-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या ११३-आवास विभाग-ऋण और अग्रिम

स्वायत शासन मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिस से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९-स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४२,७५,४१,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४२-आवास एवं नगर भूमि विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,५२,५०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७९-स्वायत्त शासन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,००० रुपये अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११२-स्वायत्त शासन विभाग ऋण और अग्रिम के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,७४,४०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री श्रीकृष्ण गोयल—]

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११२-आवास विभाग-ऋण और अग्रिम के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १९,२७,९६,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इस समय ६५८ स्थानीय निकाय हैं। वे सारे के सारे सुपरसीडेड हैं और यह ३१ दिसम्बर, १९८१ तक के लिए हैं। प्रथम बार वर्ष के अंदर २ करोड़ रु० की धनराशि उनको उपलब्ध कराई गयी। शासन की ओर से प्रयास किया गया कि उन नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज को जहां पर कि कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन वितरित नहीं हुआ था उनको वेतन दे दिया जाय।

श्री धर्म सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और यह जो बजट है, उसके संबंध में है। कृपा करके सुन लीजिये।

नियम के अनुसार प्रत्येक मंत्री को जो हमारे यहां बजट प्रस्तुत किया जाता है उसकी प्रतियां हमारे पास पिजन होल में मिलती हैं वह उसी दिन मिलती हैं जिस दिन माननीय मंत्री जी का बजट प्रस्तुत होता है। यहां की परिपाटी, आप हमेशा देखों, पुरानी प्रोसीडिंग को देखों तो यह एक दिन या दो दिन पहले होना चाहिए। दिन के दिन प्रातःकाल रखने से माननीय सदस्यों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अब यह नई परम्परा नहीं पड़नी चाहिए, इसको आप देखों और सरकार को या मंत्रियों को हिदायतें दें कि यह समय पर २-१ दिन पहले पिजन-होल्स में ही रख दी जाया करे। जहां कोई विशेष दिक्कत न हो, रुकावट न हो, प्रतियां पहले मंगा ली जाएं ताकि माननीय सदस्यों को यह एक दिन पहले प्राप्त हो सके।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना—

बराबर कहा गया है, लेकिन मंत्री जी इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रतियां बंटी हैं या नहीं, इस पर आप ध्यान दें ....।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रतियां बंटी हैं, लेकिन आज शिकायत है कि वे आज ही बंटी हैं, तो इस पर आगे ध्यान दिया जाएगा।

९—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका, अनुदान संख्या ४२—आवास एवं नगर भूमि, अनुदान संख्या ७९—स्वायत्त शासन विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ११२—स्वायत्त शासन—ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या ११३—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

श्री विजय सिंह राना—

इसको बराबर उठाया गया है, लेकिन कोई असर नहीं होता है। आप आज सदन स्थगित कर दीजिए और कल इस पर बहस हो।

श्री खैरुल बशर—

इसके अलावा जो सूचनाएं दी गई हैं, वे बिलकुल अधूरी हैं। नगरपालिकाओं के बारे में जो दिया गया है उनकी संख्या १८८ है, लेकिन इसमें १२८ का जिक्र है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। व्यवस्था का प्रश्न है, उत्तर में दे रहा था, लेकिन आप बीच में खड़े हो गये। हमेशा सदन में और विशेष रूप से जब हमारा वित्तीय आय-व्ययक सम्बन्धी कार्य चल रहा है, तो यह आवश्यक है कि उसकी प्रतियां कम से कम २ दिन पहले बंट जाएं। भविष्य में मैं चाहूंगा कि यह समय से बंटे। इसका ध्यान रखा जाए।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

महापालिकाओं और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए और काम में प्रगति लाने के लिए डिवीजनल मीटिंग्स का आयोजन भी प्रारम्भ किया गया है और इस चीज का शुभारम्भ लखनऊ डिवीजन की मीटिंग से हो गया है। यह इसलिए किया गया है कि जिससे उनके वित्तीय संसाधनों पर जानकारी हासिल करके उसे ठीक किया जा सके और जो मामले शासन स्तर पर पड़े हैं, जिनका निस्तारण शीघ्र होना चाहिए, उनका निस्तारण शीघ्र किया जा सके।

इसके अतिरिक्त सफाई मजदूरों के लिए स्थापित कल्याण-कोष में धन जुटाने की व्यवस्था की गई है। हमारी महापालिकाओं और नगरपालिकाओं का कूड़ा जो बिकता है, उसमें से एक-चौथाई धनराशि उनके कल्याण-कोष में जमा की जाएगी। इस धनराशि से उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सड़कों की मरम्मत और नालियों के सुधार के लिये वर्ष १९८१-८२ में १२ करोड़ रुपया अनुदान के रूप में नगरपालिकाओं व महापालिकाओं को दिया गया है, जिससे वह अपनी सड़कों और नालियों का रखरखाव ठीक कर सकें। सफाई और रोशनी के लिए भी विशेष ध्यान शासन की ओर से दिया जा रहा है और बड़े-बड़े नगरों और महानगरों में कूड़े को उठाने के लिए लोडर्स व ट्रैक्टर्स आदि की व्यवस्था की जा रही है। कानपुर में कूड़े की समस्या को हल करने के लिए एक कम्पोस्ट-प्लाण्ट की स्थापना की जा रही है। जब वह वहां सुचारु रूप से कार्य करने लगेगा, तो लखनऊ, आगरा व इलाहाबाद में भी इसी प्रकार के प्लान्ट्स लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

[श्री श्रीकृष्ण गोयल—]

कानपुर में विद्युत शवदाह गृह तैयार हैं और लखनऊ तथा इलाहाबाद में भी शवदाह गृह बनाये जाने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। बड़े-बड़े नगरों में स्थानीय निकायों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह अपने यहां कामर्शियल काम्पलेक्स की स्थापना करें, ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी हो सके। करों के संबंध में भी एक समिति का गठन किया गया है, जिससे इस मामले में महापालिकाओं और नगरपालिकाओं के मध्य अनुरूपता लाई जा सके और इसका ठीक से निर्धारण हो सके।

मान्यवर, शासन ने एक और फैसला किया है। अभी तक इस विभाग का नाम लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट था। लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट जब कि देश में अंग्रेज थे उस समय तो ठीक था लेकिन अब उनके चले जाने के बाद ऊपर से नीचे तक एक ही गवर्नमेन्ट है। अतः इस विभाग का नाम लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट से बदलकर अरबन डेवलपमेन्ट या नगर विकास कर दिया गया है।

मान्यवर, जहां तक हाउसिंग का संबंध है, इसमें भी काफी प्रगति प्रदेश में हुई है। मार्च १९८५ तक १४.८४ लाख आवासीय इकाइयों की कमी का अनुमान है। आवास एवं विकास परिषद् द्वारा वर्ष के अन्त तक ५७ हजार भवनों तथा भूखण्डों को विकसित आवासीय इकाइयों का निर्माण कराने का विचार है और शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि जो मकान बनेंगे उनकी ७५ प्रतिशत समाज के दुर्बल आय वर्गों के लिये सुरक्षित किए जायेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक परिषद् १.२५ लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कर लेगी जो कि राज्य की आवासीय योजना का ४० प्रतिशत होगा। आवासीय योजना में जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है, वह भूमि अर्जन की है। उसको भी दूर करके और प्रगति लाने की चेष्टा की जा रही है।

जहां तक सहकारिता के माध्यम से जो लोग आवासीय इकाइयां या समितियां बना रहे हैं, उनको भूमि उपलब्ध करने और उन्हें सहायता देने के लिए भी शासन की ओर से प्रिफ्रेन्स दिया जा रहा है। आवास की समस्या केवल शासन के स्तर पर ही पूरी नहीं हो पायेगी, उसके लिये और भी लोगों को शासन का हाथ बंटाना चाहिए तभी यह समस्या हल हो पायेगी। हर वर्ष प्रदेश में आबादी बढ़ रही है। उसके लिए भी आवास काफी कम है।

मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार के अन्तर्गत तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले सात नगरों की मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार में तेजी लायी गयी है और अब तक ६.७ लाख जनसंख्या लाभान्वित हुई है। मार्च, १९८० तक ६.२१ करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी है। छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रदेश के एक लाख से ऊपर जनसंख्या वाले सभी २२ नगरों में इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव है। वर्ष १९८१-८२ में २०० लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। कानपुर नगर विकास परियोजना प्रथम चरण में विश्व बैंक की सहायता से साइड एण्ड सर्विसेज के भूखण्ड १५,००० तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले बीस हजार परिवारों की दशा में सुधार लाने हेतु प्रस्तावित किया गया है और वर्ष १९८१-८२ में ६.७४ करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

वर्ष १९८१-८२ में प्रस्तावित कार्यक्रम में आवास एवं विकास कार्यक्रमों हेतु २४२३.०५ लाख रुपये बजट में प्राविधान प्रस्तावित हैं। इसमें २,१८० मकानों के निर्माण का लक्ष्य हैं। मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार हेतु इस वर्ष १९८१-८२ में १,३३,४०० व्यक्ति लाभान्वित होंगे। कानपुर नगर विकास परियोजना के अन्तर्गत ६७४ लाख की लागत से ३,४२७ साइड एण्ड सर्विसेज के भूखण्ड विकसित किए जावेंगे और ६,००० मलिन बस्ती परिवार लाभान्वित होंगे।

जहां तक श्रीमन्, पेयजल एवं सीवर का मामला हैं सन् ४७ से पूर्व राज्य में केवल २७ नगरों में पेयजल सुविधा उपलब्ध थी। मार्च, १९८० तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में ३५०५६ पेयजल की दृष्टि से अभावग्रस्त ग्रामों में से १००५६ ग्रामों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी। मार्च, १९८१ तक अतिरिक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल सुविधा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिनमें से गत सितम्बर, १९८० तक शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा सकी। वित्तीय वर्ष १९८१-८२ में २१०० अतिरिक्त ग्रामों में पेयजल सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय। माननीय मंत्री जी देखकर पढ़ रहे हैं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, केवल देख रहा हूं। वैसे जो नगरपालिकायें और महापालिकाओं की भूमि हैं, उस पर बहुत से लोग कब्जा किये हैं, उस पर हम एंटी इन्क्रोचमेन्ट ड्राइव चलाये हैं और चलाने वाले भी हैं। उनके खिलाफ शासन कड़ी कार्यवाही करने जा रही हैं। शासन के विचाराधीन यह मामला भी हैं कि एक नजूल डायरेक्ट्रेट बनाया जाय जिससे जो हजारों एकड़ नजूल जमीन पूरे प्रदेश के अन्दर हैं, उसका हिसाब किताब रखा जा सके। नजूल के अन्दर कानपुर के अन्तर्गत सर्वे भी कराना शुरू कर दिया हैं।

आवास विकास के अन्दर इस वक्त रिजर्वेशन विधायकों और पार्लियामेन्ट के मेम्बर, का नहीं हैं। इसके लिए भी यह मामला विचाराधीन हैं कि जिस तरह से और भी कैटे-गिरीज का रिजर्वेशन हैं, उसी तरह से आवास भूमि खण्ड माननीय विधायकों और संसद सदस्यों के लिए आरक्षित की जा सके और उनको उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार से जैसे कुछ प्रदेशों में और दिल्ली में माननीय संसद सदस्यों और माननीय विधायकों के लिए आवास विकास परिषद् द्वारा या दिल्ली डेवलपमेन्ट एथारिटी द्वारा कुछ कालोनीज बनाई गयीं और उनको इन्सटालमेन्ट बेसिस पर दिया गया। उसी तरह से यहां पर यह चीज विचार की जा रही हैं। यह शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा कि यहां पर एम० एल० एज० के लिए यह कालोनीज बनाई जायं और इन्सटालमेन्ट बेसिस पर एम० एल० एज० को दे दिया जाय। मान्यवर, यह चीज विचाराधीन हैं। इसके संबंध में मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस अनुदान को स्वीकार करने का कष्ट करें।

*श्री कन्हैया लाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२—आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७९—स्वायत्त शासन विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११२—स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११३—आवास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने कुछ घोषणायें की, उन घोषणाओं में एक मुख्य घोषणा जिस पर उधर के सदस्यों ने मेजें थपथपाई, आवास विकास में एम० एल० ए० तथा पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स के लिये मकान सुरक्षित करने की बात कही है । माननीय मंत्री की दृष्टि से यह सुझाव अच्छा हो सकता है लेकिन जो आवास विकास विभाग की कार्यशैली चल रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री जी विधायक और पार्लियामेन्ट के सदस्यों को भी उन अफसरों के सामने, जिनका आजकल इस विभाग में एक छत्र राज्य चल रहा है, लाइन में खड़ा कर देना चाहते हैं और उनकी खुशामद करवाना चाहते हैं ।

अभी माननीय मंत्री जी ने एक बात और कही कि इस विभाग का नाम बदलकर स्वायत्त शासन से नगर विकास या कुछ ऐसा कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, इसका नाम स्वायत्त शासन जो था उसके अन्दर एक सेन्कटिटि थी । ४७ के पहले देश की आजादी के पूर्व जब हम लोग पूज्य गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य पाने में रत थे तो अंग्रेजों ने सबसे पहले यह टाउन एरिया म्यूनिसिपैलिटीज और महापालिका, जिनको आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहते हैं यह भी म्यूनिसपैलिटी थी, की व्यवस्था के लिये इसका शासन चलाने के लिये हम लोगों को प्रोत्साहित किया था और इस तरह से देखना चाहा था कि आप में शासन चलाने की योग्यता है या नहीं। पूज्य गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया था और जब लोगों ने शासन चलाया था। इसीलिये इसका नाम स्वायत्त शासन पड़ा। माननीय मंत्री जी नाम बदल रहे हैं वह अपने विचार से बदल रहे हैं क्योंकि आज स्वायत्त शासन नाम की कोई चीज रह नहीं गयी है। एकतन्त्र राज्य चल रहा है म्यूनिसिपैलिटीज और टाउन एरिया ८-८, ७-७ साल से सुपरसीडेड पड़ी है मेरठ, अलीगढ़, बरेली में २० साल से चुनाव नहीं हुए केवल एक जो होता है अफसर आई० ए० एस० वही काम करता है। शासन चलाता है। उत्तर प्रदेश में कोई स्वायत्त शासन नाम की बात रह नहीं गयी है। अपनी झेंप मिटाने के लिये अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिये इसका नाम बदल रहे हैं इसका नाम बहुमत के आधार पर, सरकार के आधार पर बदल लेंगे मुझे एतराज है और इसका नाम स्वायत्त शासन होना चाहिए। ताकि सभी लोगों को शासन समझने का, इसमें जन प्रतिनिधि चुने जाते हैं, का मौका मिले।

मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो हमारे संस्थायें हैं लोकल बाडीज हैं, यह तो एक प्रकार से हमारे यह जो नता हैं, इनको एक शिक्षा ग्रहण करने के लिये कार्य क्षेत्र में आने के लिये एक फील्ड थी। एक दफा हमारे गवर्नर ने कहा था कि लोकल बाडीज में बी इस्काइब्ड एज मिनियचर लेजिसलेचर्स वेयर अवर फ्यूचर पार्लियामेन्टेरियन गेट देयर ट्रेनिंग तो इस चीज को उन्होंने खतम कर दिया। हमको वहां से ट्रेनिंग मिलती थी .....

श्री अध्यक्ष—

इसका हिन्दी अनुवाद कर दें।

श्री कन्हैया लाल—

इसका मतलब है लोकल बाडीज से हमको जो पार्लियामेन्ट या असेम्बली में जो आते हैं चुनकर, उनके लिये एक शिक्षा का एक क्षेत्र बने। वहां से सीख कर आयें। पिछले वर्ष माननीय खन्ना जी ने इसी बजट को पेश करते हुए कहा था कि हम बहुत शीघ्र एक कमेटी बनायेंगे। चुनाव के लिए कहा था कि चूंकि जनगणना हो रही है, इस कारण चुनाव नहीं हो सकते हैं। फिर कहा कि एक कमेटी बनायेंगे हर टाउन एरिया, नगर पालिका में नामिनेट करेंगे जो कि उसका प्रबंध करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप हममें से नामिनेट करें, अपने में से करें लेकिन जो एकतंत्रवाद में हम लोग फंस गये हैं, उससे हमको निकालें। वहां कोई चुना हुआ आदमी नहीं है, इसलिए जो वहां बने हुए हैं ४-६ माह के लिए आते हैं और जब तक स्थानीय समस्याओं को समझते हैं तब तक उनकी बदली कर दी जाती है। तो एक प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है जनता की समस्याओं के साथ।

[श्री कन्हैया लाल—]

यही कारण है कि हमारी म्यूनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज की हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है।

मान्यवर, जो हमारे इन मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें ५ तो महापालिकायें हैं, १८८ नगर पालिकायें हैं, ४८ नोटीफाइड एरिया और ४१७ टाउन एरिया हैं। उन सब में इस वक्त जो काम चल रहा है वह एक डायरेक्ट्रेट बना हुआ है वह चलाता है। अध्यक्ष महोदय ६२-६३ में इसी विधान सभा में एक प्रस्ताव आया था कि वहां की जो सर्विसेज हैं, नगर पालिकाओं की, उन सबका प्राविंशियलाइजेशन किया जाये। समझा यह गया था कि जो वहां रहते हैं, सैनेटरी इन्सपेक्टर्स, हैडक्लर्क्स आदि, वहां के आदमी होते हैं, वहां पर बसे होते हैं इसलिए वहां उनके इन्ट्रेस्ट वेस्टेड होते हैं, इसलिए यह सोचा गया था कि उनके पद ट्रांसफरेबिल किये जायें। शायद मैंने भी उस समय इसका स्वागत किया था लेकिन आज देखने में आ रहा है कि इसका निदेशालय जो काम कर रहा है वह एक तरह से कोई भी कर्मचारी किसी जगह से कहीं भी आना जाना चाहे तो निदेशालय में पहुंच जाये अपनी अटैची में नोट भर कर, जिस प्रकार के चाहे आर्डर हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इस वक्त जब इसका स्वागत किया था तो इस बात को नहीं सोचा था कि इसका इतना दुष्परिणाम होगा।

आज स्थिति यह कि डायरेक्टरेट भी उसे सम्भालने में नाकामयाब हो रही है। जिस समय डायरेक्टरेट बनी उसके तीन मुख्य काम थे—एक तो प्रशासनिक क्षमता में सुधार विकास एवं उत्थान की परियोजनाएं बनाना, बजट को संचालित करना। प्रशासनिक क्षमता के सुधार की जो बात कही, वह जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया, प्रशासनिक क्षमता सुधरी नहीं बल्कि निदेशालय की वजह से रसातल को पहुंच गयी। किसी प्रकार की अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रही। अब तो वहां चुने हुए आदमी नहीं हैं, कोई भी एस० डी० एम०, डिप्टी कलेक्टर प्रशासन का काम चलाते हैं, लेकिन अगर सुचारु रूप से चुने हुए प्रतिनिधि भी वहां बैठें तब भी निदेशालय की वजह से उनका काम करना मुश्किल हो जाता है। अनुशासन नहीं रहता है। इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अपने निदेशालय की स्थिति को सम्भालें। नगर विकास विभाग का यह विभाग बिल्कुल रसातल को पहुंच जायगा और किसी मतलब का नहीं रहेगा। अब गोयल साहब आये हैं, बड़े अनुभवी हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि कोई चीज अभी तक वे कर नहीं पाये।

अध्यक्ष जी, स्थानीय निकायों से जो सुविधायें जन साधारण को मिल सकती हैं—रोशनी है, स्कूल है, पानी है, सप्लाई है इस प्रकार की इसमें मुख्य बात जो आज बनके रह गयी है, वह पानी की समस्या है। पानी की समस्या के निराकरण के लिये जल निगम बना हुआ है। जल निगम हमारे और भी निगम हैं, विद्युत परिषद् है और बहुत सी परिषद् हैं। लेकिन जितनी बदनामी विद्युत परिषद् की और परिषदों की है, उससे आपके जल निगम की बदनामी कम नहीं है। जल निगम का करीब-करीब ८५-९० लाख रुपये का बजट है।

एक सदस्य—

ज्यादा तो नहीं है।

श्री कन्हैया लाल—

इसका काम है टंकी बनाना, पाइप लाइन डालना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी का प्रबन्ध करना और फिर बनाकर उसको वहां के वाटर वर्क्स को म्यूनिसपैलिटीज में और महा पालिका में जो जल संस्थान बने हुए हैं, उनको दे देना। श्रीमन्, यह ८०—९० करोड़ रुपये का जो प्राविधान है इसमें बड़े घुटाले होते हैं। इस तरह इस बजट को श्रीमन् पाइप खरीदने में खर्च किया जाता है। मेन काम है पाइप खरीदना और टंकी बनाना। कुछ ऐसे मामले हुए हैं मंत्री जी भी जानते होंगे, इनके पड़ोस का मामला है कि पाइप सप्लाई करने की एक मोनोपोली है। बरेली की एक फर्म है। वह केवल मोनोपोलीज ही नहीं करती है लेकिन उसका इतना बड़ा होल्ड है कि यहां पर एल० एस० जी० डी० डिपार्टमेन्ट किस मंत्री को दिया जाय, इसको भी वही संचालित करती है। पाइप बनाने की तीन फर्में हैं, जो पाइप बनाती हैं। ये हैं—

(१) रूहेलखण्ड पाइप फैक्ट्री

(२) हैदराबाद ऐसबेस्ट्स फैक्ट्री, और

(३) लक्ष्मी सीमेण्ट पाइप फैक्ट्री

यह तीनों फर्म जो बनाती हैं उसकी एजेंसी एक व्यक्ति के पास है। आप ६०-७० करोड़ रुपये का पाइप खरीदते हैं, यह वर्ल्ड बैंक का पैसा है। आपको चाहिए कि इसका टेंडर इंटरनेशनल मारकेट में इनवाइट करें। ऐसा किया जाता है कि टेंडर देने का समय १०-२० दिन रखते हैं जितने समय में विदेश की फर्में टेंडर नहीं दे सकती हैं। दूसरी बात यह कहानी है कि जो सप्लायर है वह यहीं का है। यह पाइप बनाने की फर्में भारतवर्ष की ही हैं। इनसे पाइप डाइरेक्ट नहीं लिया जाता है बल्कि एजेंट के जरिए से लिया जाता है जिससे १० परसेंट खर्च ज्यादा बैठता है। अगर पचास करोड़ का माल लिया जाता है तो ५ करोड़ उसको मिल जाता है। इसलिए वह पार्टी हावी है और लखनऊ तक धावा बोलती है। पालीटिकल असर बन गया है जिसको चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिले।

यह सफेद हाथी जो जलनिगम है, इसने पिछले दिनों कुछ काम किया है। मथुरा जिले में सादाबाद में टंकी बनाई है, वह टेढ़ी है, रायबरेली में जो टंकी बनी है, वह भी टेढ़ी है,। इंदिरा गांधी की कांस्टीटवेंसी में दो टंकी बनी, वह गिर गयी। इसी तरह से झांसी में २ टंकी गिर गयी और गंगोह, जिला सहारनपुर में जो टंकी बनी है, वह टेढ़ी है। इस तरह से शासन का लाखों-करोड़ों रुपयों का अपव्यय होता है। जिन इंजीनियर्स ने यह टंकियां बनवायी, वह असिस्टेंट इंजीनियर से सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर हो गये और जो सुपरिन्टेंडिंग

[श्री कन्हैया लाल—]

इंजीनियर थे वह आज जल निगम के सेक्रेटरी बने हुये हैं। इस काम का उनको यह इनाम मिला है।

मैं मंत्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूं, जल निगम ने कुछ सीवर लाइनों का काम लिया है। मुरादाबाद में ५० लाख रुपये की लागत से सीवर लाइन बनी लेकिन चोक पड़ी है। कांडला एक जगह मुजफ्फरनगर में है वहां उन्होंने सीवर लाइन डाली है जो उल्टा पड़ गयी है नीचे की तरफ से ऊपर को। वह भी बंद पड़ी है। उसको असिसटेंट इंजीनियर बी० के० गुप्ता ने बनाया था वह आपके विभाग में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हो गये हैं, उनको यह इनाम मिला है इस काम को करने का। बस्ती जिले में सीवर लाइन चोक है, गोरखपुर की सीवर लाइन चोक है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस सफेद हाथी को आप कब तक पालते रहेंगे। जनता के टैक्स के पैसे से कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे। कब तक इन लोगों को कमीशन दिलवाते रहेंगे। आपसे बड़ी आशा है आपको अनुभव है इस डिपार्टमेंट का। आप कुछ करेंगे ऐसा हम समझ कर चलते हैं। अगर आप भी इंजीनियर्स के बहकावे में बह गये तो इस प्रदेश का ईश्वर मालिक है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य २२ मिनट हो चुके हैं, समय का जरा ध्यान रखें।

श्री कन्हैया लाल—

अध्यक्ष जी एक बात और है कि जो जल निगम है, जो हमारा इरीगेशन डिपार्टमेंट है अगर वह ट्यूबवेल बनाता है तो उसमें ८० हजार रुपया लगता है लेकिन जल निगम जो ट्यूबवेल बनाता है उसमें डेढ़ लाख का खर्च आता है इसकी क्या वजह है ?

कुछ और भी ऐसे काम हैं जो यहां से ही चल रहे हैं और स्थानीय आदमियों का सहयोग लेना वह अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। उन्होंने कुछ टंकिया बनाई हैं। मथुरा जिले में छाता में ट्यूबवेल और टंकी बनाये गये। बिल्कुल खारा पानी है। टंकी बन गयी, लाइन पड़ गयी लेकिन नल लगाये गये जबकि पानी खारा है। इसी प्रकार ५ गांव हैं मथुरा जिले में, जहां रिफाइनरी बन रही है। टाउनशिप वहां है। १२०० क्वार्टर्स भी हैं। बाद गांव में सीवेज बना है, वहीं उसके पास सेप्टिक टैंक बनाया गया है उसी सेप्टिक टैंक के पास ट्यूबवेल बना दिया गया है। उस पानी का पीना तो दूर किनार है आप उसे सूंघ तक नहीं सकते। टंकी लग गयी, नल लग गये और यह हो गया कि इतने गांवों के पानी का प्रबन्ध कर दिया। यह जल निगम की कुछ कारगुजारियां हैं।

वाटर वर्क्स की बात सन् ४७ के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कही थी। मैं भी ४७ में मथुरा जिले की म्यूनिसिपैलिटी का मेमबर था। उस वक्त अगर तीन दफा नल चलता था अगर एक टाइम किसी दिन भी नहीं आया तो वाटर वर्क्स सुपरिन्टेंडेंट को बुलाकर पूछा जाता था, उसे सस्पैंड कर दिया जाता था। आज हालत यह है कि तीन-तीन दिन पानी नहीं मिलता, कोई पूछने वाला नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वह पिक्चर

देखते हैं या सोते रहते हैं। शहर के नागरिक पानी के लिये तरसते हैं और प्यासे रहते हैं। टेलीफोन उठा कर रख दिया जाता है। इसका क्या कारण है ? माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जरा इसकी गहराई में जायं। पहले हर वाटर वर्क्स पर एक लाग बुक रहती थी। उसमें हिसाब रहता था कि कौन सी मशीन कितने घंटे चली, उसकी क्या कैपेसिटी है। उसका आज कुछ पता नहीं है। जल निगम वाले इसका हिसाब रखते हैं कि नहीं पर कैपिटा कितना पानी होना चाहिए, कितना उपयोग होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए ऐसा कुछ पता नहीं लगता। आज उन मशीनों को देखने वाला कोई नहीं है। पहले एल० एस० जी० डी० के पास वीकली तथा मंथली रिपोर्ट हर ट्यूबवेल की आती थी लेकिन आज उसको कन्ट्रोल करने वाला कोई नहीं है। यह भी नियम था कि हर ट्यूबवेल के जरूरी पुर्जों को हर म्यूनिसिपैलिटी को रखना पड़ता था लेकिन आज वह चीज नहीं है क्योंकि प्रशासक यह चाहता है कि चीज खत्म हो जाय, तो उसके लिये चार दिन काम रुका रहे और फिर सस्ता मद्दा, जैसा भी हो, इससे खरीद लेते हैं, तो उन चीजों को वहां कोई देखने वाला नहीं है। लाइन इन्सपेक्टर हैं नहीं। जो पाइप लाइन डाली जाती है वह ए क्लास की पाइप लाइनें पड़ती हैं। ए क्लास पाइप केवल कन्डून पाइप होता है, वह जिस काम में आता है, वह काम रद्दी होता है, सबसे ज्यादा बी० क्लास की पाइप लाइन पानी के काम में आनी चाहिए, लेकिन कोई कन्ट्रोल नहीं है।

अध्यक्ष जी, प्लम्बर्स के ऊपर भी इनका कोई कन्ट्रोल नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब का अपने प्लम्बर्स पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। इसीलिए जो थर्ड क्लास की पाइप लाइनें पड़ती हैं, वह लीक करने लग जाती हैं पहले ही जल्दी से, लेकिन साथ में जहां जहां वे पाइप जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी के सिविल कोर्ट में उनका हरजाना देना पड़ता है। वे लाइनों की तादात देखते हैं और उन पर हरजाना देना पड़ता है। वाटर पाइप की ओर इनकी दृष्टि नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसको जरूर देखें और इसमें कुछ काम करें।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ जल संस्थान हैं, जैसे लखनऊ का ही जल संस्थान है, इसमें जो जनरल मैनेजर हैं, उनकी बड़ी शिकायतें हैं, बहुत पहले से हैं, वहां पर जम हुए हैं। एल० एस० जी० डी० डिपार्टमेन्ट में उस वक्त थे बाद में जनरल मैनेजर हो गये। उनकी शिकायतों के बारे में सरकार को ज्ञान है कि वे सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं। सरकारी गाड़ियों पर चलते हैं, अपने निजी काम में लाते हैं और फिर कनवेयन्स एलाउन्स चार्ज करते हैं, टी० ए० वगैरह लेते हैं। इसी तरह से स्टोर में गड़बड़ियां हैं, ८०० मीटर पाइप गायब हैं, उसको कोई पूंछने वाला नहीं है। यह सब धांधलियां सरकार के नाक के नीचे हो रही हैं। जब इस तरह की बातें सरकार के नाक के नीचे हो रही हैं और कोई देखने वाला नहीं है, तो ईश्वर ही मालिक है इस विभाग का।

[श्री कन्हैया लाल—]

अध्यक्ष जी, अभी आवास विकास परिषद् का जिक्र हुआ । यह जो हाउसिंग बोर्ड हैं, उसी के एक आयुक्त हैं विकास प्राधिकरण के, आवास विकास परिषद् के अन्दर में यह काम करते हैं । अभी मंत्री जी ने कहा था कि सरकार का ही काम नहीं है कि वह सबके लिये आवासीय व्यवस्था करे, दूसरे लोगों को भी हाथ बंटाना चाहिए । हां, कोआपरेटिव हरिजन सोसाइटीज की बात कही थी । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि नोटिस में लिखा हुआ है कि मथुरा में दो हरिजन सोसाइटीज हैं एक का नाम है कृष्णानगर हरिजन सोसाइटी और दूसरे का नाम है गोविन्दनगर हरिजन सोसाइटी । उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वह पहले कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट में थे दो ढाई साल पहले उनका ट्रान्सफर हो गया मुरादाबाद अब वे बैठे हुए हैं मुरादाबाद में ढाई साल से और वे ही एडमिनिस्ट्रेटर हैं मथुरा की दोनों समितियों के ।

(शेम-शेम की आवाजें)

वे मथुरा के प्रशासक हैं और सर्विस कर रहे हैं मुरादाबाद में । कोई इन सब बातों को देखने वाला नहीं है, क्या हश्र होगा क्या नहीं, कोई ध्यान नहीं इस ओर हमारी सरकार का । प्लाटों पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं । लेकिन कोई देखने वाला है ही नहीं, तो मैं मंत्री जी से पूंछता हूं कि इस तरीके से कैसे गाड़ी चलेगी ?

अध्यक्ष जी, कुछ चुंगियों की जो आर्थिक स्थिति है, वह बड़ी ही दयनीय है । उसके लिये मैं कहूंगा कि तीन बातें जो हमारे बोर्ड में हैं, हमारे डाइरेक्ट्रेट में बजट संकलित करने की बात है, वह हमारे बोर्ड की है । हम देखते हैं कि टाउन एरिया में ३०-३०, ४०-४० महीने से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है । आप इतने लोगों को वेतन नहीं देंगे तो क्या होगा ? आपने उन्हें वेतन दिलाने के लिए क्या प्रबंध किया ? लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप गरीब हरिजनों के वेलविशर हैं । आप इस तरह से उनके वेलविशर बनना चाहते हैं ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि क्या यह बात संविधान में लिखी हुई है कि सफाई कर्मचारियों को तीन-तीन साल तक तनख्वाह न देकर उनसे बेगार ली जाय ? उनसे बिना तनख्वाह के काम कराया जाय ? आप तो बेगार खत्म कर रहे थे और आज बेगार में काम करा रहे हैं । यह चीजें सभी टाउन एरिया में हैं, महानगरिका में हैं ।

दिवाली पर अध्यक्ष जी, मथुरा म्युनिसपैलिटी में उन कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए एक लाख रुपया दिया गया था और वह रुपया निकाल लिया गया और ठेकेदारों को वह रुपया बांट दिया गया । जब कि यह कानून है कि ठेकेदारों को कभी नगद पैसा नहीं दिया जाता है और न ही दिया गया । यहां से जो पैसा गया था, वह ठेकेदारों को दे दिया गया और गरीब बेचारे रह गए उनको एक भी पैसा नहीं मिला । इसी प्रकार कर्मचारियों की भविष्य निधि का लाखों रुपये का पता नहीं है कि वह कहां गया । इसके लिए मेरा निवेदन है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे कुछ ऐसे स्टेप उठाएं ताकि यह नगरपालिकाएं सेल्फ सपोर्टिंग स्थिति में आ जायें इसके लिये

बहुत बातें हैं। इसके लिये पावर हाउस के लाइसेन्स दिए जा सकते हैं, और भी बहुत से काम हैं। सीवेज फार्म का काम ऐसा है कि इसके जरिए आमदनी हो सकती है।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए।)

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली दफे जब बजट पास हुआ था तो खन्ना जी ने यह घोषणा की थी कि सीलिंग लैण्ड जो सीलिंग की जमीन बची हुई है उसके प्रापर डिस्ट्रीब्यूशन के लिये एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई जायेगी। आज दूसरा बजट आ गया लेकिन अभी तक हम लोगों को यह पता नहीं चल पाया कि उसका क्या हुआ। वह अरबन सीलिंग की जमीन बंटी कि नहीं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से मंत्री जी से कि आज चारों तरफ मकान बन रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं और आज स्थिति यह है कि १ रु० सालाना पर शहर के मध्य से ११ एकड़ जमीन ली गयी और कहा यह गया कि स्कूल का होस्टल बनेगा लेकिन बजाय स्कूल और होस्टल के, उसमें दूकानें बनवाई गयीं। मैं कहना यह चाहता हूं कि उसको वापस लिया जाय और अगर वापस न लें तो उन दूकानों का अधिग्रहण करें क्योंकि उन्होंने हमारी शर्तों की अवहेलना की और उससे हमारी म्यूनिसिपैलिटी की पूंजी को बड़ा भारी धक्का लगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि जो आरक्षण की बात कही गयी और जो हरिजनों का आरक्षण नगरपालिका में किया गया है उसकी किताब आज मिली है यदि यह दो दिन पहले मिली होती तो कुछ और सुझाव देता। अभी तक आरक्षण जैसा होना चाहिए नहीं हुआ। किसी-किसी नगरपालिका में तो जीरो है। मथुरा में कुल २४३ कर्मचारी हैं। १२८ सफाई कर्मचारी हैं जिनमें से एक हरिजन है। वृन्दावन में एक भी नहीं है। इसी तरह से अलीगंज तथा हरिद्वार आदि की भी स्थिति यही है। ऋषिकेश में केवल ३ हैं। आपने यह अच्छा किया कि इसमें अलग से सफाई कर्मचारियों का एक्स्ट्रा कर दिया। वरना होता यह कि सफाई कर्मचारियों के साथ हरिजन नाम भी लिखा रहता है। पारसाल की किताब आप की है। कहीं ८० प्रतिशत, कहीं ५५ प्रतिशत, कहीं पर ६० प्रतिशत और सफाई कर्मचारियों में सबको सम्मिलित कर दिया जाता था। मैं कहता हूं इसको आपने कर दिया है ठीक है, वरना मैं तो यह कहता कि अगर सफाई कर्मचारियों का परसेन्टेज लगाना है तो उसे केवल १८ प्रतिशत रखें और ८२ प्रतिशत सफाई के काम के लिये दूसरे लोग रखें। अगर इस परसेंटेज में सबको सम्मिलित कर दें तो मैं तो निवेदन करूंगा कि यह जो २ प्रतिशत और ० प्रतिशत है उसको उठाकर अधिक से अधिक आदमी उसमें रखें। इस प्रकार के आप अपने आदेश प्रसारित करें।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने समय बहुत ले लिया आप फरमा रहे हैं अतः इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव है, उसे पास किया जाय और इनको खर्च करने के लिये एक रुपया दिया जाय।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

इसमें झाड़ू भी नहीं लगेगा ..

श्री मोहन सिंह—

वह तो करोड़ों खर्च करके भी नहीं लग रहा है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वायत्त शासन बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

मान्यवर, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो बजट सदन में रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। विरोधी दल के हमारे माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसे असंगत मानते हुए हृदय से उसका विरोध करता हूं।

मान्यवर, एक ओर जहां इस स्वायत्त शासन बजट का हृदय से स्वागत और सम्मान है वहीं दूसरी ओर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि कम से कम वह अपने विभाग की ओर तो देखें कि यह विभाग है या जीवित व्यभिचार और पापाचार का दुर्ग है। मान्यवर, इस विभाग का कहना ही क्या है। गली, कूचों की सफाई की बात करके इस विभाग की सारी सम्पदा आई० ए० एस० अधिकारियों के घरों में कैद है। मान्यवर, इस लखनऊ नगर की समस्या से आप परिचित होंगे कि गली कूंचों में भी लोग रहने के लिए तरस रहे हैं मगर एल० डी० ए० की सारी की सारी जमीन इस उत्तर प्रदेश के आई० ए० एस० आफिसरों के पास कैद है, इनके नाम पट्टे हैं। गरीबों का हक मार करके महापालिका और एल० डी० ए० के नाम पर इन आई० ए० एस० आफीसरों ने जमीन हथिया ली है। कोई विधायक और कोई गरीब व्यक्ति अगर चाहता है कि उसे मकान चाहिए तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उनमें से एक ऐसा अभागा आपके सामने मैं विधायक के रूप में बोल रहा हूं। २६-४-९२ को मुझे एक मकान आवंटित हुआ था। २६-४-९२ से इन आई० ए० एस० आफीसरों के कान में जूं नहीं रेंगी।

मान्यवर, आप के माध्यम से मंत्री जी को बता दूं कि तीन सौ मकानों पर लोगों का अवैध कब्जा है और माननीय मंत्री जी हृदय पर हाथ रख कर कह दें कि इन तीन सौ मकानों का एक पैसा महापालिका में जमा होता है (नहीं) यह इस महापालिका और एल० डी० ए० के आफिसरों, बाबुओं के बीच में राजकीय धन के साथ प्रमाद हो रहा है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि माननीय मंत्री जी में क्षमता है। मंत्री होने से पहले भी मैं इनकी प्रशंसा करता था और आज भी इनकी कार्य प्रणाली से मैं बहुत प्रभावित हूं। मुझे विश्वास है कि वह अंकुश लगायेंगे। लेकिन किस तरह का अंकुश लगायेंगे वह तो समय बतायेगा।

मलिन बस्ती सुधार के नाम पर आपके विभाग में एक ऐसा इंजीनियर है जो सन् ५२ से इंजीनियर बन बैठा है उसके पास डिप्लोमा भी नहीं है, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, और सब राजकीय संपत्ति का शोषण कर रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपके अधिकारी झूठी सूचनायें दे देते हैं सदन को। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के आदेशों को सचिव महोदय ने लिख दिया कि कोई आदेश नहीं दिये गये।

(समय १ बजकर २५ मिनट)

अब सब आदेश खुल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि और सुधार तो होते ही रहेंगे लेकिन मूलभूत मशीनरी को आप पहले सुधारें जो आज इस विभाग में आई० ए० एस० अफसरों का साम्राज्य व्याप्त है। एल० डी० ए० में एक सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी हैं, उनको सचिव बना दिया गया। लखनऊ शासन के लोग हैं। शाहों के शाह शाहंशाह। एल० डी० ए० में सचिव के पद पर आसीन हैं। मंत्री जी के पास ३ बजे फाइल लेकर के आते तो हैं। इससे पहले के मंत्रियों के आदेशों के बावजूद भी वे कभी फाइल लेकर उनके पास नहीं आये। आज वे आते तो हैं। यह एक परम्परा हो गई है। मान्यवर सचिव तो बहुत बड़ी चीज हैं, एक मामूली स्तर का व्यक्ति भी जरा सा अपने शरीर को घुमाने की कोशिश नहीं करता है कि देखों कौन आया है।

मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक ओर तो कहा जाता है कि महापालिकायें दिवालिया हैं, उनके पास पैसा नहीं है। माननीय मंत्री जी भी इसी धरती के ही हैं। उनको भी व्यवहारिक रूप देना चाहिए। कभी-कभी कष्ट करिये और चुंगी नाकों में जाकर चेक कीजिये। आप देखेंगे कि जो आपके चुंगी अधीक्षक हैं, उनकी क्या आमदनी है। दो हजार रुपया दैनिक वह कमाता है यानी ६० हजार रुपये महीना। जब कि भारत के राष्ट्रपति को १० हजार रुपया महीना ही मिलता है। यह सब किसका धन है? इसको भी आप देखें और इनको भी टच करें इससे आपकी कीर्ति बढ़ेगी। मंत्री जी ने जो व्यावहारिक बजट पेश किया है, वैसे उससे इस विभाग के पापाचारों और व्यभिचारों पर कुठाराघात तो अवश्य किया है।

मान्यवर, सन् १९७६ में आगरा में स्वर्गीय संजय गांधी ने एक व्यापारिक केन्द्र का उद्घाटन किया था और उसकी मूल धारणा यह थी कि उस केन्द्र में छोटे व्यापारियों को ही स्थान मिलेगा और उन्हीं लोगों को उसमें रखा जायेगा जो उसके आस-पास के रहने वाले लोग होंगे। लेकिन इस बात की अवहेलना की गई और उसमें ऐसे लोगों को रखा गया जो दक्षिण भारत के लोग हैं। उनको आवंटित किया गया। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसकी जांच करें और देखें कि आखिर इस तरह की क्यों विसंगतियां हो रही हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उसमें यह निश्चय हुआ था कि हर खन्ड में एक हरिजन भाई को आवंटित किया जायेगा लेकिन उनके लिये एक अलग कालोनी बना दी जाती है और उस व्यापारिक प्रतिष्ठान में हरिजनों की दुकानें अलग कर दी गईं। हरिजनों को हमसे इतनी दूर क्यों किया जा रहा है जब कि वे हमारा गौरव हैं, महात्मा गांधी की भावना है (व्यवधान) मान्यवर, दो मिनट के बजाय मैं डेढ़ मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं तो अपनी भावनाओं को मंत्री जी को बताना चाहता हूं।

मान्यवर, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसके मुख्य बाजारों को आप देखें। महापालिका के जो कर्मचारी हैं वे अदालतों की साँठ-गांठ से उनके लिये एक कागज के टुकड़े में लिख देते हैं कि फलों को आवंटित कर दो, तो वे वैसा कर देते हैं। उसके बाद आपका विभाग एक नाटक करता है, कब्जा हटाता है और फिर मुंसिफी से स्टे ले आता है। मान्यवर, अमीनाबाद की सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। मंदिरों

[श्री श्याम लाल वाजपेयी—]

के आस-पास भी जमीन घेर ली गई हैं। महानगर में मान्यवर, १०० फिट चौड़ी सड़क थी लेकिन उसमें बस्ती बसने लगी हैं और लोगों ने सड़कों में भैंस पालना शुरू कर दिया हैं। सड़कों पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया हैं। उन सभ्य नागरिकों को आप कब राहत देंगे। मैं मानता हूं कि अधिकारीगण आपका सहियोग नहीं करो हैं मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं गोयल साहब और माननीय कुशवाहा जी कि आपकी जो भावना हैं जिस तरह की घोषणायें आप करते हैं यदि उसी तरीके की भावना कायम रहेगी तो सदन का प्यार आपको मिलेगा और उसके साथ ही शासन ठीक हो पायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

आधा मिनट और दें दीजिये। मुझे आपने नगर पालिका के इस कूड़े विभाग पर बोलने का अवसर दिया तो उसके लिए कुछ समय तो चाहिए। उधर टूटाफूटा जल निगम हैं किस-किस की बात कहूं। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विभाग को आप देखें और यह जो आई० ए० एस० आफिसरों के दुराचार और पापाचार से भरा हैं और नगरपालिका की सारी जमीनों को अपने बच्चों के नाम लिखा दिया हैं, उसको ठीक करें और जो नाजायज कब्जा हैं उसको उठायें और जो ७ लाप्लास नाम से लिखी हैं उसको जरा देखें। अंत में माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का हृदय से स्वागत करता हूं।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने यह बात बड़े अभिमान के साथ कही हैं कि नगरपालिकायें जो हैं वह प्रजातंत्र की आधारशिला हैं। अगर उनकी कल्पना में जिस प्रकार की आज की नगरपालिकायें हैं उनको प्रजातंत्र की आधारशिला समझने में वह गौरव समझते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उन्होंने प्रजातंत्र की बड़ी अच्छी मजाक उड़ाई हैं। आज प्रदेश के अंदर चाहे नगरपालिकायें हों चाहे महापालिकायें हों, चाहे टाउन एरियाज हों, उनकी स्थिति इस समय इस प्रकार की बन गयी हैं जैसे वैतरणी के अंदर कोई डुबकी लगा रहा हो। ७ महीने हो गये हैं आज उत्तर प्रदेश की ३० प्रतिशत ऐसी नगरपालिकायें हैं जहां पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश की कई नगरपालिकाओं में जाने का अवसर मिला। लेकिन जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र हैं जिसे माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं, वहां की नगरपालिका का विवरण इस पुस्तिका में दिया ही नहीं गया हैं। झांसी एक ऐतिहासिक क्षेत्र हैं लेकिन झांसी नगरपालिका की प्रगति का इस पुस्तिका में कहीं भी विवरण नहीं दिया गया हैं। इससे स्पष्ट दिखाई पड़ता हैं कि आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन की हिम्मत नहीं है कि झांसी नगरपालिका की स्थिति इस पुस्तिका में प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि ऐतिहासिक नगरी की दुर्दशा आज हो रही है।

मैं दोनों मंत्रियों की भावनाओं से परिचित हूं शायद वे अपने बजट में उसकी दुर्दशा के बारे में बोल भी नहीं पाते। मैं शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से लगभग ५० बार मिल चुका हूं और अनेकों बार इस प्रकार के आश्वासन मिल चुके हैं कि जिन नगरपालिकाओं में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त नहीं हुए उनके आदेश हो चुके हैं लेकिन अभी तक वे वहां नहीं पहुंचे हैं और काम चल रहा है, जूनियर इंजीनियर नियुक्त नहीं हैं, अधिषाशी अधिकारी की नियुक्ति नहीं है, सेनेटरी इंस्पैक्टर की नियुक्ति नहीं है, केवल बाबू लोग ही अपने मनमाने ढंग से स्थान-स्थान पर नगरपालिकाओं का शासन चला रहे हैं।

टैक्स चोरी के बारे में अभी माननीय सदस्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैं कई बार इसको लिखित रूप में दे चुका हूं, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। चुंगी टैक्स से प्राप्त होने वाली आमदानी ६० प्रतिशत ही सरकारी कोष में जाती है और ४० प्रतिशत आमदनी स्वायत्तशासी कर्मचारियों के जेब में जाती है। उसका एक कारण है। जब मैंने उनसे इस पर पूछा कि प्रति दिन की आमदनी चुंगी की क्यों घट गई है तो उन्होंने बड़ी हिम्मत से कहा और मैं भी इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दे सका। उन्होंने बताया कि उन्हें समय पर मासिक वेतन नहीं मिलता है, ऐसी नगरपालिकाएं हैं जहां ३-४ महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। सबसे कम वेतन पाने वाले स्वायत्तशासी कर्मचारियों की सेवायें भी राजकीय सेवाओं के अन्तर्गत नहीं गिनी जाती हैं और उनका जो प्राविडेन्ट फण्ड है, उसका कोई हिसाब नहीं रहता है, उसे विभाग खर्च कर डालता है। हमारे राज्य मंत्री जी के झांसी में जाने का प्रेस-नोट छपा है मालूम पड़ता है कि उन्होंने वहां की स्थिति को अच्छी तरह से सोचा समझा है कि उत्तर प्रदेश की शान झांसी है। स्वतंत्रता आन्दोलन के अन्तर्गत बुन्देलखंड का इतिहास अग्रणी रहा है और उसका केन्द्र बिन्दु झांसी रहा है वह एक ऐतिहासिक नगर है, उसकी दुर्दशा अगर मंत्री जी देखें तो मैं कह सकता हूं कि यह झांसी के इतिहास के अंदर एक बड़ी बात हो जाएगी।

अब मैं पेयजल की व्यवस्था पर आता हूं बुन्देलखंड में जो पेयजल की व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं कि वह काफी नहीं है मैंने उस पर आज एक प्रश्न पूछा है कि वहां पर बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं, जहां पर पानी सप्लाई के लिए लाइनें तक नहीं पड़ी हैं। अब गरमी का समय आ गया है। ललितपुर जनपद तो अभी से पीने के पानी के लिए तरस रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए आप एक समिति गठित करें, जिसकी रिपोर्ट में यह आये कि वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए और तदनुसार सरकार उस दिशा में शीघ्र कदम उठाये। मंत्री जी ने यह अच्छी बात कही है और उनको दुःख भी है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका जो रवैय्या है उसमें यदि सुधार नहीं होता है तो यहां से जो भी पैसा जाता है, वह खर्च ही नहीं होता है, वह बेकार पड़ा रहता है इसलिए इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि जो पैसा आपने जिस कार्य के लिए भेजा है वह उस कार्य पर और उस समय में

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—]

खर्च हो जाए, वरना वह अधिकारी उस जिले में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह अयोग्य हैं। वह वहां रहने के योग्य नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठ जायं।

श्री धर्म सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो स्वायत्त शासन मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं और माननीय कन्हैया लाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका विरोध करता हूं।

अगर हम स्वायत्त शासन विभाग की ओर जायें और उसके इतिहास को देखें तो जो व्यक्ति शहरों में निवास करते हैं या शहरों से लगे गांवों में रहते हैं, ७५ प्रतिशत शहर में और २५ प्रतिशत पास के गांवों में अर्थात् नगरपालिकाओं या टाउन एरियाज में रहते हैं उनकी समस्याओं की ओर देखा है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री और उनके राज्य मंत्री जिन्हें अपने-अपने पद भार ग्रहण किए हुए थोड़ा सा ही समय हुआ है, दोनों योग्य व्यक्ति हैं, लेजिस्लेटिव और पिछली सरकारों का भी तजुर्बा है, इस थोड़े से समय में ही उन्होंने जो निर्णय लेने की बात की है, मैं उनका आभारी हूं।

३० जून, १९७३ को जो यहां की नगरपालिकायें और टाउन एरियाज हैं, समाप्त हो गयी थीं। जो जनता द्वारा चुन कर वहां पर प्रतिनिधि जाते थे, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर या डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुए। बहुत सी सरकारें आयीं और चली गयीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा हो कि जो कुछ निर्णय वे लें, सोच समझ कर लें। आपने जहां जहां अपने प्रशासक लोग बैठा रखे हैं, अगर उनको हटाकर, दूसरे शब्दों में जो अधिकारी वहां पर हैं, उनको हटाकर आप अगर जन प्रतिनिधियों को चुनने का मौका दें और उनको वहां पर पहुंचने दें तो मैं आपका आभारी हूंगा।

अभी सदन में भाई कन्हैया लाल जी ने रिजर्वेशन इत्यादि की ओर इशारा किया मैं भी उनसे सहमत हूं। आप सफाई कर्मचारियों को लगाकर परसेन्टेज बताते हैं कि वह ७० प्रतिशत हैं। लेकिन वास्तव में जो हरिजन हैं, जन जातियों का तो पता ही नहीं हैं, मेहतर हैं, या जो लोग मेहतरों का काम करते हैं, उनके बारे में जो सरकार की रिजर्वेशन की पालिसी है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मान लीजिए कि अगर १०,१४२ मजदूर हैं जिनमें से ५१०५ मेहतर हैं और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जिनको हरिजन कहते हैं, उनकी संख्या ८९२ है। मैं इन्साफ आप पर ही छोड़ता हूं १०,१४२ कर्मचारियों में केवल ८९२ हरिजन लोग हैं। जहां तक जल निगम का संबंध है, इस पुस्तिका में जो दिया हुआ है, वह जीरो है कहीं भी इस पुस्तिका में इसके आंकड़े नहीं दिए गये हैं जल निगम में उनका क्या प्रतिनिधित्व है।

जहां तक एन्क्रोचमेंट का संबंध है, मैं माननीय वाजपेयी और सदन के दूसरे सदस्यों से सहमत होते हुए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि स्वर्गीय संजय गांधी ने यहां पर एक नया प्रोग्राम लाकर एक बहुत बड़ा काम किया और बाद में जनता सरकार और दूसरी सरकारों के समय में फिर एन्क्रोचमेंट पूरी तरह से हो गया। जनहित में जब इलाहाबाद में श्री बट साहब एडीमिनिस्ट्रेटर थे और जब वे यहां पर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने इसको हटवाया था। मैं तो आपसे मंत्री जी कहता हूं कि आप को गोली खाने के लिए तैयार होना चाहिए। माननीय मंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री जी आपको अगर गोली भी लगे तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए लेकिन जनहित में जो एन्क्रोचमेंट है, उसको आप हटवा दें। उसमें चाहे गरीबों को भी नुकसान हो, अमीरों को चाहे फायदा हो या नुकसान। जहां तक इस प्रदेश का संबंध है एन्क्रोचमेंट को हटवाना चाहिए। जहां तक माननीय सदस्यों का संबंध है चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों सौ फीसदी आपके साथ रहेंगे इन एन्क्रोचमेंट के हटवाने में।

मान्यवर, मेहतर का पेशा एक बहुत नाजायज तरीके से इस इंसानियत के ऊपर पेश किया जाता है। मैं जानता हूं कि मोहन लाल गौतम जी जब एल० एस० जी० मिनिस्टर थे, उस वक्त भी मैं इस सदन का सदस्य था। मान्यवर, उस समय भी मैंने निवेदन किया था। आजादी प्राप्त होने के बाद ४७ में हमलोग आजाद हुए, ५२ में हमारे यहां बराबरी कांस्टीट्यूशन लागू हुआ। हमने कसम खाई कि हम लोग इस देश के गरीब आदमियों को संरक्षण देंगे। जिस पाखाने को, पेशाब को देख नहीं सकता, पास में बैठ नहीं सकते, यहां पर इन्सान जिसको मेहतर कहा जाता है वह अपने सिर पर उठाये नाक और सिर का फासला कितना होता है? एक बालिस्त से भी कम। जहां पर आप निकलते हैं, वहां पर नाक आपकी सिकुड़ने लगती है। इसका इन्तजाम कीजिएगा, आपको चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, चाहे कितनी परेशानी उठानी पड़े। यह एक इन्सान से काम लिया जाता है, तो कोई बुरा काम नहीं है। महात्मा गांधी की थ्योरी के अनुसार कोई बुरा काम नहीं है। लेकिन बराबरी के नाते मैं मानता हूं कि मेहतर काम करता है, लेकिन यह खास कौम के ऊपर यह जो पेशा चला आता है, उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जब ४ बजे पाखाने की टोकरी उठा कर मेहतर या मेहतरानी ले जाती हैं, तो देखना पड़ेगा, उनके लिए रहने का भी कोई इन्तजाम है? मान्यवर, मैं दोनों माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इसमें इन्कलाब लायेंगे, आप इसमें तबदीली लायेंगे, वरना इस प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे स्वायत शासन के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कुछ समय दिया। मैं माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुन रहा था, परन्तु मैं अपने विचार से यह नहीं समझ पाया कि माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे जिन समस्याओं से हमारा प्रदेश ग्रसित है, उनका कोई निराकरण हो सकेगा, यह दूर होगी या जो योजनाएं पिछली सरकार ने बनाई थीं, उनको

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव—]

पूरा करने में कोई दिलचस्पी यह शासन ले रहा है ? आपने अपना भाषण प्रारम्भ करने के पहले यह बात कहीं कि हमने २ करोड़ रुपया, इस शासन ने आवंटित किया है कि जो पिछली सरकार में टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को सुविधा नहीं दी गयी थी, उसको दी जाय । इस संबंध में माननीय मंत्री जी, आप यह जान लें कि जब यहां पर राम नरेश यादव जी की सरकार थी और यह टाउन एरिया के बैरियर्स समाप्त किये थे तो जो टाउन एरियाज थीं, उनकी आमदनी समाप्त हो गयी थी । तो उस समय शासन ने ३ करोड़ रुपया उसी समय दिया था कि जो उन पर भार आ पड़ेगा, उनकी आमदनी बंद करने से, उसको वह पूरा करें । उसके उपरान्त जब दूसरी सरकार श्री बनारसी दास जी के नेतृत्व में आई, उस समय कुछ टाउन एरियाज के कर्मचारियों ने यहां आकर शिकायत की कि उन्हें वेतन नहीं मिला । उस समय भी निश्चित रूप से यह आदेश शासन ने दिया था और मुझे अच्छी तरह से याद है, चूंकि विभाग उस समय मेरे पास था । मैंने यह कहा था कि यह कोई बनिया की दूकान नहीं है कि यह कह कर कि मुझे लाभ नहीं हो रहा है, आमदनी नहीं हो रही है, कर्मचारियों को वेतन न दिया जाय । या तो उन्हें दूसरे स्थान पर भेजा जाय या तो उनके वेतन का तत्काल प्रबन्ध किया जाय । उस समय ऐसा ही निर्देश दिया गया था । मुझे खेद है कि पिछले शासन ने इस विभाग में जो कार्य करने के निर्णय लिये थे उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया ।

जहां तक मेरा अनुभव है स्वायत शासन विभाग और आवास विकास विभाग जिसके अलग-अलग सचिव काम करते हैं उससे बड़ी कठिनाई होती है । आवास विकास कोई योजना बनाता है गृहों का निर्माण होता है और आवास बनाकर स्वायत्त शासन को सौंप दिया जाता है । ऐसी संख्या कम है जहां आवास-विकास विभाग ने कोई नई कालोनी बनाकर स्वायत्त शासन विभाग को दे दिया हो परन्तु वहां पर पूर्ण रूप से सीवर ठीक काम कर रहा हो या पाइप लाइन पूर्ण रूप से लगी हो । वहां पर रहने वाले कर्मचारी जब स्वायत्त शासन विभाग से कहते हैं तो विभाग के कर्मचारी कहते हैं यह मकान आवास विभाग ने बनाये हैं यह सब उन्हीं का काम है उन्होंने काम पूरा करके इस विभाग को नहीं दिया । और आवास विकास विभाग से पूछा जाता है तो वह विभाग कहता है कि हमने तो सब पूरा कार्य करके स्वायत्त शासन विभाग को सौंप दिया अब मैं नहीं करूंगा . मंत्री जी इस बात को भली भांति समझ लें कि बहुत से ऐसे नये मुहल्ले हैं जो आवास विकास विभाग ने बनाये हैं उनको साधन उपलब्ध होने चाहिए वह नहीं मिल पा रहे हैं । यह केवल आवास विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के झगड़े की वजह से ऐसा होता है ।

दूसरी बात कृपया मंत्री जी इस बात की भी जानकारी करें कि दिसम्बर एवं जनवरी ८० में बनारस, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ में मैंने स्वायत्त शासन मंत्री के रूप में ४ मीटिंगें की थीं और उन मीटिंग में समस्त अधिकारियों को बुलाया गया था उसकी जो मीटिंग हुई थी उसकी पत्रावली तैयार कराई थी और वह कार्यवाही हर शहर के स्थानीय निकायों के कार्यालय में मौजूद होंगी । उनमें ३ निर्णय लिये गये थे पहला

तो यह कि कैसे पीने का पानी उपलब्ध हो किस प्रकार नगरों को स्वच्छ रखा जाये, तथा जो टैक्सों की चोरी होती है उसे किस प्रकार रोक कर निकायों की आमदनी को बढ़ाया जाय। और जो रुपया टैक्स के रूप में शासन को नहीं मिलता। इन तीन बातों पर मुख्य रूप से विचार हुआ सुझाव लिये गये और महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। मेरा विश्वास है कि वह शासन न हटता तो ३ माह के अन्दर उन निर्णयों का कार्यान्वयन हो जाता। इस बात का मुझे बड़ा दुःख है कि सत्ता परिवर्तन से विकास एवं अच्छे निर्णय भी रोक दिये गये।

एक बात इस सम्मानित सदन को परामर्श के रूप में बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी सत्ता परिवर्तन हो तो आर्थिक नीति में परिवर्तन होना चाहिए लेकिन जो योजना-बद्ध विकास के लिये कार्य हो रहे हों उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए और न अधिकारियों की ओर से इस प्रकार ढिलाई हो कि वह यह कहे कि यह निर्णय तो पिछली सरकार का है। इसलिए इसे दुबारा स्वीकृत कराना पड़ेगा। हमने एक निर्णय लिया कि इलाहाबाद में प्रत्येक घर में पानी पहुंचे, ५० प्रतिशत टैक्स विभाग को नहीं मिलता था, उसके लिए एक निर्णय लिया गया था। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी देखों एडीमिनिस्ट्रेटर इलाहाबाद को बुलाकर एवं सचिव को बुलाकर जनवरी ८० के मीटिंग के संबंध में पूछें कि पिछली सरकार द्वारा इस संबंध में जो निर्णय लिये गये थे उनको क्यों पूरा नहीं किया गया ?

मैंने एक बात का और निर्णय लिया था कि बनारस में अंतिम घाट पर गंगा के, जो नाला गिरता है, वह सीवर से कनेक्ट कर दिया जाय। उसके अतिरिक्त कानपुर में ३ गन्दे नाले गंगा नदी में गिरते हैं। मैंने अधिकारियों से कहा था कि उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी सेवा होगी कि ऋषिकेश से बस्ती तक गंदे नाले गंगा में न गिरें। कानपुर नगर में गंगा इतनी छोटी हो जाती है कि तीन नाले गिरने से गंगा जल दूषित हो जाता है। शीशामऊ नाले को मरमठ पम्पिंग स्टेशन से कनेक्ट करना था। परन्तु पम्पिंग सेट को चालू करने के लिए जिस कम्पनी से गाजियाबाद से सामान आना था वह नहीं आ पाया। मैंने निर्देश दिए कि अधिकारी स्वयं जाएगा और स्वतः सामान लेकर आयेंगे। तो मान्यवर अगर सरकार न समाप्त होती तो उस आदेश उस बात को पूरा किया जाता और आज कम से कम कानपुर में गंगा नदी में गंदे नाले का गिरना बंद हो जाता। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर कार कोई तो जिम्मेदारी अधिकारियों की है। अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो क्या सारी योजनाएं कूड़े में फेंक देनी चाहिए ? इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी हम सब राजनीतिक लोग हैं उनमें आपस में एक समझौता होना चाहिए कि देश के विकास में ये नौकरशाही बाधक न बनने पाए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर विचार करेंगे और यह कहकर मैं खेद के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

कुछ देर इन्तजार करने के बाद मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत सालों के बाद किसी मंत्री ने एक ऐसा बजट पेश

[श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—]

किया हैं जो जनता के साथ साथ कर्मचारियों का भी जिसमें ध्यान रखा गया हैं। मंत्री जी ने कर्मचारियों को वेतन दिलाने, सफाई मजदूरों को मकान दिलाने की व्यवस्था की हैं। ग्रामीण अंचलों में पेय जल की व्यवस्था की बात कही गयी। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने डिवीजन की बात कही तो मेरा सुझाव यह हैं कि डिवीजन में मीटिंग में अधिकारियों के साथ-साथ डिवीजन के विधायकों को भी बुलाया जाये।

सबसे पहले मैं मंत्री जी का ध्यान नगरपालिका हरदोई की ओर ले जाना चाहता हूं। वह इस प्रदेश की सबसे पिछड़ी नगरपालिका हैं और कर्जे में डूबी हैं। पिछले साल ३ लाख रुपया उसको मिला था और इस वर्ष भी ३ लाख रुपया ही मिला हैं। मेरा निवेदन हैं कि इस धन को और बढ़ाया जाये। हमारे यहां सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं हैं। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं हैं। मैंने पहले एक प्रश्न किया था कि सीवर लाइन की व्यवस्था कब तक हो जाएगी तो उत्तर मिला था कि बहुत शीघ्र। जहां तक आवास विकास की बात हैं हमारे यहां २ साल पहले जमीन ली गयी थी लेकिन आज तक वहां उसकी शुरुआत नहीं की गयी हैं। मेरा निवेदन हैं कि वहां आवास-विकास की स्कीम को जल्दी शुरू करें। मंत्री जी ने लखनऊ के अड़ोस-पड़ोस के गांवों को अधिक लिया हैं जहां पीने के पानी की व्यवस्था हैं। हमारे यहां का एक भी गांव नहीं लिया गया हैं तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरदोई जिले को क्यों तिरस्कृत किया जा रहा हैं। मेरे हरदोई नगर में पानी की बड़ी समस्या हैं और कुछ मोहल्ले बड़ी ऊंचाई पर हैं जहां बोरिंग नहीं हो सकती हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां २ ट्यूब-वेल्स की व्यवस्था करें अन्यथा इस गर्मी में वहां पानी का बड़ा संकट पैदा हो सकता हैं।

स्वायत्त शासन विभाग तीन विभागों का त्रिकोण हैं। नगरपालिका, आवास-विकास और जल निगम। तीनों विभाग आपस में फंसे हुए हैं। उनके विभाग में नगर पालिका को अगर हम नरक पालिका कहें तो गलत नहीं होगा। उसका कार्य होता हैं सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कें, लाइट, मच्छरों से बचाव। लेकिन आज नगर पालिकाएं उनके जस्ट उल्टा काम कर रही हैं। न कोई सफाई हैं, मच्छर तो शायद मंत्री जी के निवास स्थान पर न हों लेकिन जहां हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं वहां बहुत हैं। फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। हरदोई के भी आंकड़े फर्जी हैं। मैं इनको स्पष्ट चैलेन्ज करता हूं। मेरी हरदोई नगरपालिका में कोई कार्य नहीं हुआ। मेरे ख्याल से प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं का यही हाल होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन हैं कि वे जो भी कार्य करें वह कागजी न करें बल्कि जनता की सुविधा के लिये करें।

मान्यवर, आवास विभाग के तीन उप विभाग होते हैं :—

(१) नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग,

(२) विकास प्राधिकरण, और

(३) आवास एवं विकास परिषद्,

नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग का काम मास्टर प्लान तैयार करना होता है। इस पर अभी तक ३ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन इसने अभी तक कुल ७-८ मास्टर प्लान ही बनाये हैं, जो कि अभी लागू भी नहीं हुए हैं।

आवास विभाग के दो अधिकारी हैं, एक हैं श्री जे० पी० दुबे और दूसरे हैं श्री बी० जी० खोदायजी। प्रदेश का सौभाग्य है कि ये रिटायर होने वाले हैं। इन्होंने इस विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को एक्सटेंशन बिलकुल न दें। नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग के अध्यक्ष, दुबे जी के खिलाफ आरोप लगे थे, विभागीय जांच में आरोप सही पाये गये। फाइल नं० ६९ एन०/एन०/७२ पर १९७९ में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने सतर्कता विभाग से जांच कराने के आदेश दिये। दुर्भाग्य से वह फाइल सतर्कता विभाग में न जाकर श्री खोदायजी के यहां ही वापस लौट आयी। मैं नहीं समझ पाया कि श्री खोदायजी का आफिस सतर्कता विभाग कब से हो गया। आवास विकास सचिव श्री खोदायजी शायद ईश्वर से बड़ी ताकत रखते हैं।

मान्यवर, मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। मास्टर प्लान के अन्तर्गत जमीन यूज किस परपज से होगी, इसको नियत किया जाता है। यदि उसे बदलना होता है तो आपत्तियां पेश की जाती हैं। लेकिन माननीय खोदायजी इन चीजों को नहीं मानते हैं। डी० एल० एफ० स्कीम, गाजियाबाद, जिस जगह पर स्वीकृत थी, उसको चेंज कर दिया जब कि टाउन प्लानर ने उसके विरोध में रिपोर्ट दी। संजय पिक्चर्स को लाज-पतराय अस्पताल, कानपुर सिनेमा बनाने की स्वीकृति दे दी। ट्रैवल कारपोरेशन आफ इंडिया, गोरखपुर को होटल बनाने की स्वीकृति दे दी। के० डी० ए० के चेयरमैन और अधिकारियों ने जो जमीन हैं, उसकी बिक्री न करके उसे आपस में बांट लिया।

मान्यवर, एल० डी० ए० ने १० प्रतिशत मकान एवं जमीन अपने कर्मचारियों के लिए निश्चित कर दिया। एच० आई० जी० स्कीम का एक मकान श्री बाबूराम को इस आधार पर दे दिया क्योंकि वे हरिजन आई० ए० एस० हैं। गाजियाबाद डेवलपमेण्ट अथारिटी में जितने भी प्रशासक नियुक्त हुए, उन्होंने अपनी-अपनी जमीन ले ली और अपने मकान बनवा लिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि प्रशासकों के पास जमीन कहां से आयी, उनके पास मकान कहां से आये। जल निगम भी एक सफेद हाथी बना हुआ है। लखनऊ में १६ ट्यूबवैल बोर हुए, जो कि पानी की जगह बालू दे रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और माननीय कन्हैया लाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री खैरूल बशर—

मान्यवर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं श्री कन्हैया लाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन

[श्री खैरूल बशर—]

करता हूं और अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं । मैं सबसे पहले मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बगैर इनकी नीयत पर कोई शुबहा किये हुए, कि जब तक नगरपालिका को देखने वाले अधिकारी ठीक नहीं होंगे तब तक नगरपालिका का इंतजाम ठीक नहीं होगा । यह बड़ा भ्रष्ट विभाग है । मिसाल की तौर पर मैं अपनी नगरपालिका की बात कहूं, मैंने पिछले साल भी बजट के मौके पर शिकायत किया था और सारी बातों को बताया था । अब मैं यह सोचता हूं कि दोबारा उन्हीं चीजों को क्यों दोहराऊं क्या कहूं, दोहा पढ़ूं या मर्सिया पढ़ूं, किस बात का हमारे मंत्री जी के दिल पर असर पड़ेगा । मैं सही कहता हूं कि हम लोग जिस नगरपालिका में रहते हैं उस मऊ नाथ भंजन का इस पुस्तिका में जिक्र नहीं है । आजमगढ़ को छोड़कर किसी भी टाउन एरिया का जिक्र नहीं है ।

मऊ नाथ भंजन, मैं कहना चाहता हूं कि वह मच्छर और मक्खी पालन केन्द्र है । हमारे जो अनुदान दिये जाते हैं उन अनुदानों का यही फायदा हो रहा है कि मच्छर और मक्खी वहां पाली जा रहीं हैं । वहां पर लगभग डेढ़ लाख की आबादी है वहां पर एक भी सफाई गाड़ी नहीं है जिससे मलमूत्र बाहर किया जा सके । वहां पर कहीं मेला भी लगता है तो वहां के सैनिटेशन का प्रबंध किया जाता है लेकिन वहां सैनिटेशन का अरेंजमेंट बहुत ही खराब है । वहां पर २ स्पिनिंग मिलें हैं, रेलवे जंकशन है, पावर लूम और हैंड लूम का यह, प्रान्त में सबसे बड़ा केन्द्र है । वह मजदूरों का नगर है लेकिन वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है । वहां पर ऐसा कुछ प्रबंध नहीं है जिसे हम कह सके कि नगरपालिका है । वहां पर नगरपालिका में एक इक्जीक्यूटिव अफसर है, वह हर साल लाखों रुपयों का गबन कर लेते हैं । वहां के जो प्रभारी अधिकारी हैं, वह बड़े बेईमान और लुटेरे हैं । वह भदोही के रहने वाले हैं, वहां के लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांच मैनेजर भी भदोही के रहने वाले हैं । उनसे उन्होंने सिफारिश करवायी कि मेरे विरुद्ध शिकायत न करें । मैंने कहा कि यहां जितने भी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, चाहे कांग्रेस आई के हों या जनता पार्टी के हों, कोई भी आदमी कहे कि यह आदमी अच्छा है तो मैं शिकायत नहीं करूंगा । वहां का इक्जीक्यूटिव बड़ा भ्रष्ट है, एक चुंगी नाके से १८ सौ रुपया, दूसरी चुंगी नाके से ९ सौ रुपया और एक चुंगी नाके से ५ सौ रुपये लेता है । उसके पापों को जब यहां उठाया गया और जब वहां एक अधिकारी जांच करने गये तो उसने उनके घर में १२ हजार रुपये का फर्नीचर बनवाकर भिजवा दिया, वह ठंडे पड़ गए । उसका घेराव भी किया गया तो वह कमरे में छिप गया । अगर वह बाहर आ जाते तो न जाने क्या दुर्गति होती । पता चला कि उनके पैन्ट में टट्टी हो गयी । मैंने डी० एम० से कहा कि आप बता दीजिए कि यह आदमी सुधर सकता है कि नहीं । मैंने कहा कि सुअर की तरह हाथ पैर लाठी में बांधकर नाली में डुबो कर नरई बांध के उस पार फेंक आएंगे, इस बार छोड़ देते हैं ।

यहां पर एक जगह सोनिया पाड़ा है । वहां पर गंदगी का पहाड़ बन गया है । १० फीट ऊंचा मैले का पहाड़ बन गया है । एक आदमी का मकान जो उसी जगह पर है, उसने मुझे

दिखाया, उसकी दीवार के ऊपर से होकर गंदा पानी उसके घर में आ रहा था लेकिन उसका कोई इंतजाम नहीं हुआ। वहां पर सड़कों का ऐसा हाल है कि पिछले तीन सालों से सड़क बनाना तो दूर रहा उसकी मरम्मत भी नहीं हुयी है। मैंने इस संबंध में कहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां के अधिकारी भ्रष्ट हैं, डी० एम० ने मुझको तीन बार सूचना दी कि वह बेईमान अधिकारी हैं मैं क्षमा नहीं करूंगा। उसका तीन बार ट्रांसफर हुआ, पता चला कि यहां पर कोई अधिकारी हैं जो उस भ्रष्ट अफसर को संरक्षण देते हैं। मैं अपनी भावनाओं को बाजपेयी जी की भावनाओं से संबद्ध करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि वह बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है। तो ऐसे अधिकारी हैं जिनके रहते हुए वहां सुधार नहीं हो सकता।

मुबारकपुर टाउन एरिया के एक अधिकारी बाबर खां हैं जो १७ बार सस्पेंड हो चुके हैं। उन पर गंभीर चार्जेज हैं। दो तीन साल तक फाइल दबी रहती हैं और फिर वह बहाल हो जाते हैं। इसी तरह एक इंडस्ट्रियल टाउन है कोपागंज। जब तक उसे म्युनिसपैलिटी नहीं बनाया जायेगा तब तक उसकी तरक्की नहीं हो सकती। वहां पर प्रदेश की बहुत बड़ी गल्ला मंडी है लेकिन बड़ी गंदगी रहती है, उसे दूर किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि मेरी बातों पर ध्यान दिया जायगा।

*श्री कैलाश टंडन—

मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। यह बात बिलकुल सही है कि मैं नगर महापालिका, वाराणसी का सभासद रहा हूं। नगरपालिकायें चाहे छोटे शहरों में हों या ५ नगरों में नगर महापालिकायें हों उनमें नर्क ही नर्क विराजमान है और वे काजल की कोठरी के समान हैं। अच्छे से अच्छा अफसर जाता है लेकिन भ्रष्ट हो जाता है और लूट खसोट का बाजार गर्म हो जाता है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। विधायक चुने जाने के बाद ८०-८१ का फार्म बी-१ में प्रोग्राम बनाया गया और मुझे प्रशासक महोदय ने बुलाया और बुला कर कहा टंडन जी कि अब शहर के दक्षिण में ये-ये रोड्स तथा गलियों के लिए १६-१७ लाख रुपये का काम कराने जा रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर सरस्वती फाटक की जाने वाली त्रिपुरा-सेखी मार्ग सुधार, लक्सा रोड से लक्ष्मी कुंड होते हुए नई सड़क का सुधार, रामापुर बांच रोड (देवकीनन्दन हवेली से लक्सा रोड) तक का सुधार, मीरघाट नथा विश्वनाथ मंदिर को जाने वाली गली का सुधार, मैदागिन से मछोदरी तक सड़क सुधार, लोहटिया सड़क का सुधार, लंका क्रासिंग से सामने घाट चुंगी तक सड़क सुधार, लंका क्रासिंग से असी तक सड़क सुधार, जल संस्थान गेट से खोजवां बजार तक सड़क सुधार, रवीन्द्रपुरी कालोनी की रोड गली नं० १, ५ तथा ८ का सुधार, भैंसापुर रोड का जी० टी० रोड से लेकर राजघाट क्रासिंग तक सड़क, पटरी व नाली का सुधार, फाटक काजी तकी अली खां लेन का सुधार कराने की बात प्रशासक ने कही जिसमें १६ लाख रुपये खर्च किये जाने थे। बाढ़ के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री कैलाश टंडन—]

कारण कुछ बरसात में जो क्षति हुई उसके लिये प्रशासक महोदय को मंत्री जी से २० लाख रुपया अलग से दिया गया लेकिन सुन कर आपको आश्चर्य होगा कि कहीं भी काम शुरू नहीं किया गया और बीच में कई दफा मैंने फोन किया, स्वतः गया और पूछा काम कब शुरू होने वाला है तो बताया गया कि तारकोल नहीं मिल रहा है आसाम के प्राब्लम के कारण । जब मैं नगर महापालिका का सभासद था तो महानगरों के लिए एक मास्टर प्लान बना था । आप देखें कि गोदौलिया से लोहरावीर तक का प्रोग्राम बनाया गया था । जिन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था उन्होंने १४० फुट की सड़क दिखा दी ।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता था .....

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं, अभी कोरम नहीं है ।

(गणपूर्ति के लिए घण्टी बजायी गयी और गणपूर्ति होने के उपरान्त सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री कैलाश टण्डन—

तो मान्यवर, जो मास्टर प्लान बने, वह सही नहीं बने । ऐसी-ऐसी जगहों के मास्टर प्लान बना दिये हैं जहां सैकड़ों वर्षों बाद तक, सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी विकास का काम नहीं हो सकता है । यदि विकास का काम कराना चाहते हैं, कम से कम यदि विकास वाराणसी में कराना चाहते हैं तो मास्टर प्लान के नियमों और कानूनों को बदलना होगा । मैंने अभी आंकड़े देखे, उसमें लिखा है कि १९७७-७८ में ४२ एकड़ भूमि पर आज तक उन्होंने कब्जा ले लिया है और ५१३ एकड़ भूमि पर उनको कब्जा और लेना है ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान वहां के ला आफिसर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । दिक्कत यह है कि जब मुकदमें दीवानी अदालतों में जाते हैं, तो उन पर फैसला जल्दी नहीं होता है, लटकाये रहते हैं । जब उन पार्टियों से पैसा ले लेते हैं तब जा कर काम होता है । यही कारण है कि जमीनों का नगरमहापालिका कब्जा नहीं ले सकती है । आपसे मेरा आग्रह है कि लॉ आफिसर को वहां से हटाया जाय । जब मैंने वहां पर इस बात का विरोध किया तब जा कर वहां पर सारे वकील हटाये गये तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक वहां से लां आफिसर को नहीं हटाया जायेगा, तब तक वहां की नगरमहापालिका के मुकदमों की बराबर यही हालत बनी रहेगी ।

अधिष्ठाता महोदय, आप ही ने देखा है कि वाराणसी नगर में पवित्र गंगा बहती है । तो गंगा की पवित्र वाहिनी की स्थिति यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का छपा

हुआ पत्र मिला जिसमें लिखा है कि गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए योजना बनाई जा रही है । अब क्या योजना बनाई जा रही है, इसका उसमें उल्लेख नहीं है ।

(इस समय २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता; श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब तक गन्दे नालों का पानी पम्पिंग करके निकालने की स्थायी व्यवस्था नहीं की जायेगी तो गंगा की पवित्रता कैसे बनी रह सकेगी । गन्दे नालों से पानी पम्पिंग द्वारा स्थायी रूप से निकाला जाय, इसकी स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए । इस बारे में संसद सदस्यों का एक डेलीगेशन वाराणसी आया था । एक नगुआ गन्दे नाले के पानी की समस्या है दूसरे अहिल्याबाई गन्दे नाले के पानी की बात है, तीसरे दशाश्वमेध घाट के गन्दे नाले के पानी निकालने की बात है, चौथे पचगंगा गन्दे नाले के पानी निकालने की बात है । आज गंगा की जो शोभा है उसे आप नष्ट न करें । अभी १४ लाख कुछ रुपया आपने भेजा है । मैं ऐसा समझता हूं कि इतने पैसे से गन्दे नाले के पानी की पम्पिंग करनी चाहिए और इस काम को जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय पूरा हो रहा है ।

श्री कैलाश टण्डन—

श्रीमन्, हमारा समय तो घण्टी ने ही ले लिया । बस अभी केवल दो-एक बातें कह कर समाप्त करता हूं । एक बात और कहना चाहता हूं श्रीमान जी काशी की महिमा के बारे में, काशी के घाटों के बारे में । काशी के जो घाट हैं उनकी अपनी एक महिमा है और उसको आप भी स्वीकारते हैं । देश-विदेश से पर्यटन के लिए लोग यहां आते रहते हैं और हालत यह होती है कि क्लार्क्स होटल, बनारस होटल और काशी नरेश का नया फाइव स्टार होटल बना है उसमें पर्यटकों की इतनी भीड़ रहती है कि जगह नहीं मिलती है । लेकिन शासन का ध्यान काशी के घाटों की ओर नहीं है । कई बार मैंने इस पर कहा तो कभी कह दिया जाता है कि यह सिंचाई विभाग के अन्तर्गत है और सिंचाई विभाग वाले कह देते हैं कि यह नगरपालिका के अन्तर्गत है । काशी के घाटों को बनवाने के लिए शासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है, यह बरसात की वजह से काफी खराब हो गये हैं । जब तक इनके लिए कोई ऐसी अच्छी योजना नहीं बनाई जायेगी तो काशी का जो आकर्षण बिन्दु, जो आकर्षण केन्द्र काशी के घाट हैं, वह खत्म हो जायेंगे ।

[श्री कैलाश टंडन—]

इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान काशी के नागरिकों के कष्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। काशी के नागरिकों को पेयजल का बड़ा कष्ट है। वहां के रहने वालों को पेयजल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मैं वहां की एक-एक गलियों का नाम गिना सकता हूं। आज मान्यवर, आलम यह है कि चैत के महीने में यदि आप देखें तो भदैनी, देवनाथ, मदनपुरा, गोदौलिया, रेवड़ी, बंगाली टोला, सरस्वती फाटक, ऊंचे मोहाल, पक्का मोहाल आदि सब जगहों पर पानी का घोर संकट व्याप्त रहता है। बड़े दुख की बात है कि काशी नगरी में जहां गंगा बहती है, वहां के नागरिकों को पेयजल का संकट है। मैं चाहता हूं कि काशी के इस कलंक को, जहां गंगा बहती है, जहां गंगा का निर्मल और शुद्ध जल बहता रहता है, वहां के रहने वालों के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था होनी ही चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं स्वायत्त विभाग के इस बजट को जो माननीय स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, इस बजट का समर्थन करता हूं और माननीय सदस्य जी से कहूंगा कि इस प्रकार की आलोचनायें तो होती ही रहती हैं, यदि वह इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लें तो ज्यादा अच्छा होगा और मेरा पूर्ण विश्वास है कि गोयल साहब हमारी तकलीफों को देखेंगे और दूर करेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा मऊनाथभंजन के बारे में।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री कैलाश टण्डन—

मैं यह कहना चाहता हूं कि बनारस ही नहीं पूर्वांचल के सब जगहों पर माननीय मंत्री को ध्यान देना होगा।

*श्री बदन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वायत्त शासन विभाग का जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उस बजट का हृदय से विरोध करने के लिए और श्री कन्हैया लाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं स्वायत्त शासन विभाग के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में कुछ भी नहीं कहूंगा। यह जगत जाना हुआ सबूत है कि इस विभाग के बराबर भ्रष्टाचार किसी दूसरे विभाग में नहीं है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वह फतेहपुर सीकरी क्षेत्र है। वहां पर सम्राट अकबर ने १५८१ ई० से १५८४ ई० तक इसको १३ वर्ष शासन की राजधानी बनाकर इस नगर में शासन किया था और उसके पुत्र जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में यह कहा है कि वह अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम का विद्रोह दबाने के लिए गया तो वहां पानी की कमी की वजह से लौट आया। स्वायत्त शासन मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, संसदीय कार्य

[समय २ बजकर २५ मिनट]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री अम्मार रिजवी साहब हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस नगर की पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए तीस वर्ष के कांग्रेसी शासन ने कोई प्रयत्न नहीं किया और दो वर्ष की जनता पार्टी का शासन रहा तो उसने वहां पर तीन बोरिंग कराये। मीठे पानी के बोरिंग थे। लेकिन उन बोरिंग को उस नगर के पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए चालू नहीं किया गया। मैंने इस माननीय सदन में प्रश्न भी किया था कि इस नगर के पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए नलकूप कब चालू किये जायेंगे। उत्तर दिया गया था कि ३१ अक्तूबर, ८० तक चालू कर दिये जायेंगे। मान्यवर, ३१ अक्तूबर, ८० को यह तमाशा किया गया। फतेहपुर सीकरी में तमाशा किया गया था 'यादगारे सुलह कुल का' जिसमें हमारी प्रधान मंत्री. . . . .

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह "कौशल"—

सड़कें बन गईं आप के इलाके में . . . .

श्री बदन सिंह—

श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को धोखा देने के लिए ३१ वर्ष के शासन में उस दिन फतेहपुर सीकरी के अन्दर पानी की व्यवस्था की गई पम्पिंग प्लान्ट को दूसरी जगहों से ला करके। और तब से फिर वह पानी की व्यवस्था खत्म हो गयी। वहां पर तीन टैंक हैं। दस, दस हजार के दो टैंक हैं और एक टैंक पचास हजार गैलन का बनाया गया है। दोनों दस हजार गैलन वाले पुराने टैंक हैं, उनका जीवन खत्म हो गया है। उनके ढक्कन सड़ गये हैं, उनमें दूषित पानी आता है। जो पचास हजार गैलन का टैंक बनाया गया है उस से पानी रिसता है और वह नगर की आवश्यकता के लिए अभी तक प्रयोग नहीं किया गया। तो मैं यह कहना चाहूंगा माननीय रिजवी जी से कि जहां पर फतेहपुर सीकरी सजाई गई थी वहां का जन-जीवन आज प्यासा मर रहा है। नलकूप चलाने के लिए विद्युत् भी नहीं दी जा रही है। अगर विद्युत् नहीं दे सकते हैं तो कम से कम इस नगर को जो एक ऐतिहासिक नगर है जिसको सुन्दर बनाने के लिए दस करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं, जिसके गीत गाते हैं, उसके जनजीवन को अधिक न टोलकर वहां पर पानी की व्यवस्था तो कर दीजिए।

मानयवर, एक बात और कहना चाहूंगा। केवल फतेहपुर सीकरी ही नहीं, फतेहपुर सीकरी का क्षेत्र जहां से मैं चुन कर आता हूं, उसमें २९१ गांव हैं। केवल १२ गांवों पानी मीठा है। २८० गांवों का पानी खारा है। उस क्षेत्र में एक नदी भी है। २८० गांवों का पानी खारा है। उस क्षेत्र में एक नदी भी पड़ती है जिस का नाम ही खारी नदी है। उस क्षेत्र में अभी तक ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत कोई भी काम नहीं कराया गया। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश का इतना पिछड़ा हुआ इलाका है जिसमें पानी का अत्यन्त अभाव है ६० गांव फतेहपुर सीकरी के ऐसे हैं जहां पर खारे पानी के अलावा पीने के पानी का अभाव है। वहां पर पशु प्यास से मर गये हैं। अकेले गिरोह में आठ पशु

[श्री बदन सिंह—]

प्यासे मर गये हैं। मनुष्य भी मरने लगेंगे। डाक्टर साहब आप तो शहर में रहते हैं। आप गांव की बात सुन तो लीजिये। मेरे क्षेत्र में एक गांव ऐसा है मंत्री जी नोट कर लें जिसका नाम मंगोला मंगोली है। वहां पर एक तालाब है जिसमें नहर से पानी भरा जाता है। उस के किनारे किनारे पर कुएं हैं। बड़े बिचित्र कुएं हैं। एक हिस्से में सूखा रहता है और तीन हिस्सों में जो तालाब की तरफ है उनमें ६ इन्च पानी रहता है। इस तालाब से नहर का पानी पीने के लिए आदमी इच्छुक नहीं है।

इसके साथ ही अब मैं आपका ध्यान अछनेरा नगर पालिका की ओर ले जाना चाहता हूं। इस नगर पालिका के विकास कार्य का कोई जिक्र इस कार्य विवरण में नहीं है। मान्यवर, अछनेरी में जलोत्सारण प्रोजेक्ट १९७१ में २७ लाख रुपया खर्च करके बनाया गया था और बाद में उसको नगर-पालिका को हस्तांतरित कर दिया गया। मैं आपको यह बात इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और आप इन छोटे- छोटे नगरों की समस्याओं को हल करते हैं और उनकी तरफ ध्यान देते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक वह प्रोजेक्ट चालू नहीं किया गया है। नगर का जो गन्दा जल है, उसको पम्प आउट करके तालाबों में नहीं पहुंचाया गया है। इसमें २७ लाख रुपया खर्च किया गया है। "मैं जानता हूं कि आप एक योग्य मंत्री हैं लेकिन आपके अधीन जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी वजह से प्रदेश का लाखों रुपया बेकार जा रहा है और जो योजनाएं जनता के हित के लिए बनायी गयी थीं, वे वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। मान्यवर, गत वर्ष सूखा पड़ा था। हमारे ८ ग्रामों में मनुष्यों के पानी पीने के लिए बोरिंग किया गया था, ये आठ गांव हैं—नगला बलेहा, नगला सराय, भोपुर, ओलैंडा, गोठरा बसेरी, काजी, गिलाँय और भेंधों। इसमें बोरिंग करायी गई थी और इंजन लगाया गया था ताकि पीने का पानी मिल सके। लेकिन उनमें समुचित पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मान्यवर, फतेहपुर सीकरी ऐतिहासिक दृष्टि से वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है इसलिए वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए वहां पर पेयजल की व्यवस्था को आप सुधारें।

*श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

मान्यवर, मैं अपने स्वायत्त शासन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय सदस्य कन्हैयालाल जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो अपने बजट भाषण में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और जो बहुत सी घोषणाएं हमारे देश और प्रदेश में रहने वाले नगरों के लिए की हैं मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रथम बार किसी मंत्री ने नगरों के हित और प्रदेश के हित के लिए बहुत सी योजनाएं रखीं हैं। मंत्री जी ने सर्वप्रथम इस प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन देने हेतु दो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। सड़कों की मरम्मत, नई नालियों के निर्माण, सफाई और उसके लिए नये-नये साधन, हमारे अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लिए नये आवास की घोषणाएं जो उन्होंने की हैं, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव भी उनके समक्ष रखना चाहता हूं और उसके लिए उनका ध्यान आगरे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, आगरा एक ऐतिहासिक नगर है जहां लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं और इसीलिए हमारे यहां आगरे में जो ताजमहल है और ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनकी वजह से हमारी प्रदेश और केन्द्र की सरकार का ध्यान उस तरफ जाता है। लेकिन जब मैं अपने नगर की ओर देखता हूं कि वहां पर जो दुर्दशा सफाई और सड़कों की टूटी-फूटी हालत है तो हमें बड़ा अफसोस होता है। मान्यवर, वहां पर ताजमहल के समीप एक ताज कम्प्लेक्स की स्थापना की गयी थी जिसमें कुछ व्यवसायिक दूकानों और रेस्टोरेन्ट की स्थापना की बात थी जिस पर महापालिका द्वारा काफी रुपया व्यय किया गया था। लेकिन अभी तक वह होटल नहीं उठाया गया है जिससे हजारों रुपयों का नुकसान हमारी महापालिका को हो रहा है। इसलिए मंत्री जी का ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। इसको बने हुए २ साल पूरे हो गये हैं और अभी तक नहीं उठाया गया है। मैं मांग करता हूं कि आप उसकी इन्क्वायरी कराइये।

इसके अलावा उसके आस-पास के जो क्षेत्र हैं, उनको विकसित और सौंदर्यीकरण की बात है। इसके अतिरिक्त जमुना के किनारे एक फूलों की घाटी बनाने की भी योजना थी और उस स्थान को खूबसूरत बनाने का प्रस्ताव भी स्वर्गीय संजय गांधी ने रखा था लेकिन जनता रिजीम के आने पर वह योजना खटाई में पड़ गई थी। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि फाइलों से निकलकर वे इन अधूरी योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। माननीय कन्हैयालाल जी कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे। स्वायत्त शासन मंत्री ने जो अंग्रेजों ने लोकल सेल्फ विभाग नाम रखा था उसको बदल कर नगर विकास नाम इसका रखा तो उनको इसका बुरा लगा उसका कारण है कि यह लोग हमेशा अंग्रेजों के दोस्त रहे हैं उनका रखा नाम बदलना क्यों पसन्द आयेगा? जो लोग देश के वफादार हैं उनको इसके लिए खुशी होनी चाहिए।

आपने विधायकों के लिए सुविधा की बात कही वह अच्छी बात है जो एक नयी बात होगी जो कि आप प्रदेश के अन्दर करने जा रहे हैं। एक बात और जो चुंगी का रुपया महापालिकाओं को विकास कार्यों के लिए मिलता है उसके बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं वे बिलकुल गलत हैं। चुंगी की जो दरें पहले थीं जो अब डेढ़ गुनी बढ़ा दी गयी हैं, उसकी इनकम दी गयी है उससे आप यह पता लगाइये कि इससे २५ प्रतिशत आमदनी कैसे घट गयी है।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट में खत्म करिये।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

हमारे यहां पथकर डेढ़ रुपया के हिसाब से लिया जाता है, जिसको कि ताजमहल के विकास के लिए यूज किया जायेगा। लेकिन उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनायी गयी है, पता नहीं कि उस रुपये का क्या होता है? मेरा सुझाव है कि पथकर के लिए एक कमेटी बने जिसमें प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष और वहां के माननीय विधायक शामिल हों, जिससे वह अपने नगर के विकास के लिए जो रुपया खर्च किया जा रहा है, उससे परिचित रहें और देखें कि वह रुपया सही खर्च हो रहा है या नहीं। मान्यवर, विकास प्राधिकरण की जो कमेटियां बनी हुई हैं उसमें भी विधायकों का इनवाल्वमेन्ट होना चाहिए जिससे हमें मालूम हो कि नागरिकों के आवास योजनाओं का विकास किस तरह से हो रहा है, वह मालूम रहे। आई० ए० एस० और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी जैसा चाहें उस हिसाब से प्राधिकरण की मीटिंग में तय कर लेते हैं और जो चीजें बुरी लगती हैं उसे खत्म कर देते हैं और उसी तरह के नियम बना देते हैं। अगर इस तरह की मीटिंगों में आई० ए० एस० अधिकारी रहेंगे तो लोगों को मकान नहीं मिल पायेंगे।

मान्यवर, हमारे यहां नगरपालिका और विकास प्राधिकरण के दो विभाग हैं लेकिन उनका चीफ इन्जीनियर एक ही है जबकि राज्यपाल के शासन में दो चीफ इन्जीनियर के पद सृजित किये गये थे लेकिन वह भरे नहीं गये। एक मुख्य अभियन्ता दोनों का काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक अलग से मुख्य अभियन्ता और नियुक्त किया जाय। मान्यवर, चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और जो माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं और उनको बधाई देता हूं। तथा माननीय सदस्य, श्री कन्हैयालाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह उसे वापस ले लें।

*श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वायत्त शासन विभाग के बजट पर बोलने का जो आपने मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और जो विरोध पक्ष की ओर से कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों की बात सुन रहा था, तो यह लगा कि मंत्री महोदय एक शरीफ आदमी हैं और एक दलदल में पता नहीं अचानक कैसे फंस गये हैं। अभी उनके एक सदस्य कह रहे थे कि यह नगरपालिका नहीं नरकपालिका है और उस हिसाब से उनका पद निर्धारित किया जाए तो यह नरकपाल हो जायेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जैसे सीधे साधे मंत्री एक ऐसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट में फंस गये हैं कि या तो आप इसको ठीक करें या उसमें से निकलने का प्रयास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कर्ं। इस विभाग के अन्तर्गत ५ नगर महापालिकायें हैं, १८७ नगरपालिकायें, १४७ नोटी-फाईड एरिया और ४१७ टाउन एरिया हैं। इनको सबको ठीक करने के लिए स्थानीय निदेशालय की स्थापना की गई थी। इसके जिम्मे तीन काम थे—इनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने, उत्थान और विकास की योजनाएं बनाने और इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास करने का काम इनके जिम्मे था। अब देखना यह है कि यह स्थानीय निदेशालय-निगम क्या कर रहा है और इसके जिम्मे जो तीन काम थे, उस सन्दर्भ में इस निगम ने क्या किया है।

अभी विरोधी पक्ष के सदस्य बोल रहे थे कि आज तक एक पैसे का काम भी इसके लोग नहीं कर पाये हैं, इसलिए मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि निदेशालय रूपी जो सफेद हाथी आपने पाल रखा है, उसको भंग कर दिया जाये। और इसके स्थान पर सदन के विधायकों की नहीं तो कम से कम सत्ता-पक्ष के ही ईमानदार आदमियों का आप एक बोर्ड बना दें और उन विधायकों के अन्तर्गत आप इस निदेशालय को दे दें। यह सार्वजनिक निर्माण के भी तमाम काम करते हैं—विद्यालय भवन, सड़कें, विद्युत् शवदाह गृह, वाचनालय-पुस्तकालय आदि बनवाने का यह काम करते हैं तथा मूर्तियां स्थापित करने का काम करते हैं। लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अपने दिल पर शान्ति से हाथ रखकर सोचें कि जहां पी० डब्लू० डी० में १२ प्रतिशत कमीशन लेने का रेट है, आपके विभाग में ४० प्रतिशत का रेट है। यहां नालियां ऊपर बना दी जाती हैं, नीचे नहीं बनाई जाती हैं। दवाओं के छिड़काव में भी यह अव्यवस्था है। लखनऊ प्रापर तक में यही स्थिति है, एक बाल्टी लेकर सुबह से शाम तक मुख्य सड़क पर एक आदमी घूम जाता है; लेकिन वास्तव में सब जगह दवा छिड़कने का कोई काम कभी नहीं किया जाता है। स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं का जहां तक प्रश्न है, बड़े-बड़े नगरों में महापालिकाओं में उसका कुछ काम है, उसकी सुविधा है, लेकिन नगरपालिकाओं के अन्तर्गत उसका कुछ काम नहीं है। छोटे जिले में आपके अस्पताल न होने के कारण स्थानीय जिला अस्पताल में ही सारा बोझ बढ़ जाता है, वे जिला चिकित्सालय की सुविधा उठाते हैं।

बलिया में लाखों की आबादी है, लेकिन एक भी अस्पताल नगरपालिका की ओर से वहां काम नहीं करता है, (लालबत्ती होने पर) श्रीमन् दो मिनट और, तो मैं यह निवेदन कर रहा था, यह पुस्तका विभाग की ओर से छपी है, हमारे जिले से २ मंत्री बनाये गये हैं, पूरे-पूरे मंत्री नहीं हैं, राज्यमंत्री यह लोग बनाये गये हैं। उनमें से एक बलिया प्रापर से हैं। मान्यवर, जब वे मंत्री हुये थे तो हमारे जनपद में गये थे और कहा था कि वे सीवर स्कीम को चालू करवायेंगे लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें वहां की सीवर स्कीम का नाम भी नहीं है। केवल ढपोलशंख करके ये आश्वासन दे देते हैं। दूसरे जो मंत्री हैं, उनके यहां पर एक सिकन्दरपुर और मनिहर नगरपालिकायें हैं।

[श्री गौरी शंकर भैय्या—]

गनिहर तो उनका घर है। अधिकारी लोग मंत्री जी के घर भी घूम आये हैं लेकिन इस पुस्तिका में दोनों नगरपालिकाओं का नाम भी अंकित नहीं किया गया है। हमारे क्षेत्र की नगरपालिका का नाम अंकित न किया जाता तो कोई बात नहीं थी लेकिन मंत्री जी की नगरपालिका का नाम तो अवश्य ही अंकित होना चाहिए था।

आज शहरों की पटरियों पर एन्क्रोचमेन्ट हो रहा है, नजूल लैण्ड जो है, उसकी चोरी हो रही है। पहले ९९ वर्ष का एक पट्टा हुआ करता था कि आप जमीन लीजिए और अपने मकान बनवाइये। देखने में आता है कि पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी, लोगों ने उस जमीन पर अपने-अपने मकान बनवा लिए लेकिन उसके पुनर्वितरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

आप देहातों में तो सीलिंग का कानून लागू कर देते हैं कि १२ एकड़ जमीन जिसके पास है, उससे अधिक नहीं रहेगी, उससे फालतू जमीन ले ली जायेगी और उसे बांट दिया जायेगा लेकिन शहरों में जिनके पास १२ एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनसे जमीन न लेने के लिए आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। यह कार्य आपके विभाग द्वारा होना चाहिए। आप किसानों की बहुत बात करते हैं लेकिन नगर में रहने वालों को दूसरी निगाह से और गांवों में रहने वालों को दूसरी नजर से देखते हैं। मेरी प्रार्थना है कि शहरों में भी सीलिंग होनी चाहिए।

इसके अलावा मैं मांग करता हूं कि गोरखपुर की जो नगरपालिका है उसको नगरमहापालिका बनाया जाय। मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि रतसड़ा को भी टाउन एरिया और मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र चिलबड़ा गांव है उसमें सफाई मजदूरों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, वह तुरन्त दिलाया जाय। वहां पर जितने भी अधिकारी हैं वे उतने ही भ्रष्ट हैं जितना कि हम प्रदेश के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बारे में सुनते हैं। गंदगी के मामले में आप पायेंगे कि अंग्रेजों के जाने के बाद उस टाउन एरिया में कभी भी सफाई नहीं हुई है। उसके बारे में भी इस पुस्तिका में कोई जिक्र नहीं आया है।

अन्त में मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो स्वायत्त शासन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया मैं आपका आभार प्रकट करती हूं और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका हृदय से समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह किताब जिसमें लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय प्रजातंत्र की आधारशिला है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक सुविधाओं जैसे सफाई, पेयजल, रोशनी, सड़कों का निर्माण, जलोत्सारण, चिकित्सा आदि की सुविधाएं अपने नागरिकों को समुचित रूप से उपलब्ध कराना है। सार्वजनिक जीवन में स्थानीय निकायों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद में अब इन चीजों के ऊपर जिनको इस पुस्तिका में स्वीकार किया गया है, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। किसी भी तरफ से यदि इन किताबों को उठाती हूं तो यह नहीं लगता है कि कहां से शुरू हुई है मलिन बस्ती योजना। इस देश और प्रदेश में और खासकर लखनऊ के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि यह एक मुसीबत बनी हुई है। मलिन बस्ती योजना के नाम पर जो धन आता है, मान्यवर, वह कहां खर्च होता है? यह तो नहीं पता चलता है। लेकिन यह तो नगरमहापालिका न होकर, वह जनता के लिए नरक महापालिका बनी हुई है। उसके माध्यम से कोई काम नहीं होते हैं, जो मान्यवर, इस भूमिका में मैं कहना चाहती हूं। आज से कई वर्ष पहले जितने जमादार और जितने हमारे सफाई भाई काम कर रहे थे, वहां पर उतने ही सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। उससे आगे नहीं बढ़े, क्योंकि कारण उसका यह है कि जहां इनका ध्यान नहीं जाता है, वहां काम की बात कैसे हो। जहां हजरतगंज की बात हो, जहां सम्मानित अधिकारियों के नाक के नीचे की बात हो, बड़ी सफाई, बड़ा पानी, रोशनी होगी। लेकिन जरा दूर चले जाइये, आपको यह सब नहीं दिखाई पड़ेगा। टैक्स सब एकसा देते हैं, चाहे हजरतगंज के रहने वाले निवासी हों और चाहे सब सड़क पर रहने वाले आदमी हों, चाहे उस बस्ती के नाम पर नरक में रहने वाली जनता के साधारण व्यक्ति हों, टैक्स के मामले में सभी बराबर हैं। यही नहीं, पानी हो तो टैक्स, पानी कोसों दूर, तब भी टैक्स चला आता है। जिनके घर में पानी नहीं होता, उनके घर पर टैक्स का एक कागज चला आता है। टैक्स के बारे हम लोग बराबर संस्तुति करते हैं कि इनके यहां पानी नहीं है, इनसे टैक्स न लिया जाय।

हमारे यहां एक विकास प्राधिकरण है, मान्यवर, मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहती हूं। हमारी नीयत बहुत अच्छी है। हमारी सरकार की नीयत बहुत अच्छी है। लेकिन होता क्या है कि काम इस तरह के होते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। एक रामतीर्थ मार्ग, मछली मोहाल के पास है, १३ स्टोरीज बिल्डिंग वहां पर बन रही है। यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसकी जमीन किसकी है, यह पता नहीं है। उससे किस व्यक्ति विशेष का लाभ हो रहा है? एल० डी० ए० का इससे बिलकुल लाभ नहीं हो रहा है। यह पर्चा है आपके पास भेजना चाहती हूं। इसको आप देखें और देखने के बा आप कहेंगे कि इसके बारे में क्या भावना है। यह ५९ से लखनऊ नगरपालिका के अन्तर्गत आ गया।

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी—]

एक हमारे अम्मार साहेब हैं जो ग्राम्य विकास के नाम पर अच्छी बात बताते हैं। दूसरी चीज है अन्दर होती है, जिसको इक्सपैंडेड के नाम से कहते हैं, वहां की जो परेशानियां हैं, रत्ती बराबर उसमें फर्क नहीं आया है। अभी मैं देख रही थी कि मलिन बस्ती के नाम पर जो किताब है इसका मैं पेज १५ देख रही थी और उसमें मैं देख रही थी कि बनारस और लखनऊ को मिलाकर कुल १३२ मकानों को मलिन बस्ती योजना के अन्तर्गत सुधार के लिए लिया है और ८० और लेने की योजना है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहती हूं कि केवल ८० मकान मलिन बस्ती की योजना के अन्तर्गत है। क्या उससे वह भावना पूरी हो जायेगी, जिसको कि एक अधिनियम के आधार पर उसको पूरा सहरी क्षेत्र में विकास के रास्ते पर लाने के लिए बनाया था। क्या उसका सपना साकार हो सकता है? ऐसी कुछ चीज मान्यवर, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

इसके बाद एक चीज मैं और कहना चाहती हूं। प्रकाश की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि प्रकाश उस जगह पर है जहां प्रकाश या तो उन लोगों को दिखाई देता है जो प्रकाश करने वाले हैं या वहां प्रकाश दिखाई देता है जिनका डर है। लेकिन जहां पर किसी का कोई प्रभाव अथवा डर नहीं है, वहां पर मान्यवर, ध्यान नहीं जाता है। वहां मान्यवर, ध्यान नहीं जाता अगर एक बल्ब लटका दिया गया तो दूसरे दिन फ्यूज हो जाता है। ए० सी० करेन्ट तो वहां अभी आया ही नहीं है। यह जो चीजें हैं, इससे काम नहीं चल सकता है। एक चीज और कहा है बड़े जोर से इस किताब में ८०-८१ में जो आंकड़े दिये गये हैं उन आंकड़ों में ७९ के आंकड़े थे। ८० में वह आया है। ८० के आंकड़े ८१ में दीखिये। मैं निवेदन करना चाहती हूं माननीय मंत्री जी से कि इस ओर ध्यान करना चाहिए और इन चीजों को देखने की कोशिश करें। एक स्कीम आज कितने वर्षों से चली आ रही है बार-बार इस किताब में छपती है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय श्री कृष्ण गोयल जी और उनके जो सहयोगी राज्य मंत्री हैं इस ओर ध्यान दें और वास्तव में उस स्वप्न को साकार करेंगे, दल के। अन्त में मैं इस बजट का स्वागत करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री छत्तर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वायत्त शासन विभाग के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस विभाग को वह सम्भाल रहे हैं उसमें वितरण ही सही नहीं है। पिछले दिनों मैं एल० एस० जी० के डायरेक्टर से मिलने गया उन्होंने कहा मैं इस चीज को डील नहीं करता हूं। पता चला कोई सेक्रेटेरिएट का क्लर्क डील करता है। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, अपने विभाग का वितरण सही करें। कौन किसको डील करता है किस समस्या के सम्बन्ध में किस आदमी से मिलना है यही पता नहीं चल पाता है। आपने म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव तो कराये नहीं हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर बैठाल दिया। हर जगह नौकरशाही बैठी हुई है। माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जिले की म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताया वहां के अधिकारियों के बारे में बताया कि उनके व्यवहार की हालत क्या है, कार्यकुश-

लत्ता, रिश्वत लेने की हालत कैसी हो गई है। मैं अपने जिले बुलन्दशहर के बारे में बताता हूं वहां पर एक डिप्टीगंज सड़क है जिसके बगल में गंदगी का ढेर है उधर से रिक्से से निकलना मुश्किल है। इन्क्रोचमेन्ट की हालत यह है कि ठेले और पटरी वाले सड़क को घेर रखे हैं। बताया यह जाता है कि पुलिस चौकी के चौकीदार और पुलिस का महीना बंधा हुआ है। इन्क्रोचमेन्ट कैसे हट पायेगा। मेरा ख्याल है यह हालत सभी जगह पूरे प्रदेश में होगी। लोगों को सड़क पर यातायात में असुविधा होती है और कभी-कभी दुर्घटना भी हो जाती है।

(इस समय २ बजकर ५१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मेरे यहां २ टाउन एरिया हैं एक स्याना और दूसरी खानपुर। स्याना के बारे में मैं बताना चाहता हूं इसमें कहा गया है कि ४८० मीटर सड़क बनी है आज से करीब २ साल पहले काम हो चुका है अब वहां कोई काम नहीं हुआ है और इसी पुस्तिका में है कि १.३३ किलोमीटर का एक पक्का नाला बना है चूंकि ऐसा कोई नाला नहीं बना, इसलिए मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे कामों की जांच करालें। यही नहीं कि केवल बजट में पैसा पास करके भेज दिया। मगर वहां फर्जी बिल और बाउचर बख्सी ने पेस कर दिया और सारा पैसा उसकी जेब में चला गया। बख्सी वहां सर्वेसर्वा है।

इस देश के हरिजनों, जो घरों की सफाई करते हैं, पूरे शहर की सफाई करते हैं, अगर वह वर्ग न हो तो प्रदेश एक नरक बन जाये। मगर मंत्री महोदय उनके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वह बख्शी को रिश्वत न दें तो उनको टाइम से पहले निकाल दिया जाता है यह कह कर कि तुम अस्थाई हो। मेरी टाउन एरिया में पहले ७२ कर्मचारी थे और आज ५३ हैं। तकरीबन १९ आदमी हिसाब से निकाल दिये गये। जो इन्दिरा गांधी हरिजनों का दम भरती हैं, रोजगार तो दे नहीं सकतीं तो कम से कम उनको निकाला तो न जाये। नालियों की सफाई ८-८ दिन नहीं होती। मैंने तो कभी कलई या दवाई पड़ते नहीं देखा। दवाइयों के छिड़काव का, सफाई का अभियान चलाया गया, मच्छर मारने का अभियान चलाया गया। मंत्री महोदय को ज्ञात होना चाहिए कि यह परिस्थिति वहां के निवासियों ने ला दी थी। एस० डी० एम० को गलियों में घुमाया गया, उनका घेराव किया गया था, जब उनकी पैंट घुटने तक सनी तभी उन्होंने आदेश दिये थे। जुलाई में एक बार सफाई करायी गयी थी उसके बाद नहीं हुई। दो गाड़ियां हमारे यहां मैला ढोने के लिए हैं। रिकार्ड को उठाकर आप देखें एक भी गाड़ी बुक्की गाड़ी नहीं है। कस्बे की गलियों में कूड़े के ढेर बने हुए हैं। कस्बे की दुर्दशा सुनने के लिए कोई है ही नहीं। केवल टैक्स लिया जाता है।

प्रकाश की व्यवस्था यह है कि खन्ना जी जब मंत्री थे, हमने प्रश्न किया था कि प्रकाश कि व्यवस्था बहुत खराब है तो उन्होंने उत्तर दिया था कि बिजली वालों का कुछ बकाया है।

[श्री छत्तर सिंह—]

मैं कहता हूं कि इसके लिये तो आपका विभाग जिम्मेदार है। नागरिकों को सुविधायें क्यों नहीं दी जातीं। हालत यह है कि हर जगह डकैती और चोरों का साम्राज है। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री नाममात्र के हैं असली मुख्य मंत्री तो फूलन देवी हैं (व्यवधान)। आप जो मंत्री उनका नाम मनुष्यमारक मुख्यमंत्री महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष —

माननीय सदस्य, यह तो स्वायत्त शासन पर बजट है।

श्री छत्तर सिंह—

मैं तो वही कह रहा हूं कि अंधेरा रहेगा तो प्रशासन खराब होगा ही। इस पर उनको गौर करना चाहिये। हर म्यूनिसपैलिटी में प्रकाश की व्यवस्था की जाती है जिससे वहां के पुलिस और नागरिक देख सकें। सुरक्षा में सहयोग मिल सके। स्वास्थ्य के नाम पर कुछ कहना चाहता हूं। मलेरिया इस प्रदेश में दुबारा पनप रहा है। हमने सोचा यह नारा बिल्कुल खाली है। जब तक मच्छर रहेंगे, मलेरिया तो रहेगा ही। स्थानीय निकायों को चलाते हैं उनको मच्छर को भी खत्म करना पड़ेगा। यह जो नयी-नयी बस्तियां बन रही हैं, उनमें इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं कि आदमी सो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। मच्छर से अपना बचाव करने में ही आदमी व्यस्त रह जाता है।

अब मैं जल निगम पर आता हूं, जल निगम की हालत यह है कि वह लोगों को पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। केवल फर्जी बिल पानी के बनाकर भेज दिये जाते हैं। एक तो पीने के लिए पानी नहीं मिलता और ऊपर से उनकी जेब काटी जाती है। सफाई व्यवस्था के नाम पर सीवर बहुत ही कम संख्या में इस प्रदेश के जनपदों में लगाये गये हैं, जहां लगाये भी गये हैं वहां वे काम नहीं करते। इस सम्बन्ध में जो सीवर होल बनते हैं, उनकी ही सफाई की समस्या बन जाती है, उनकी ही गंदगी का ढेर वहां पर हो जाता है।

सरकार का एक यह भी धर्म हो जाता है कि म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा दी जाय। वहां पर स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि वहां पर टाट-पट्टी नहीं हैं और वहां शिक्षक ही नहीं जाते। वहां की शिक्षा इतनी गिरी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। म्यूनिसपैलिटीज के स्कूलों में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भेजते समय आप शर्म महसूस करते हैं। हालत यहां तक पहुंच गई है कि टैक्स अन्धाधुन्ध लगा दिये जाते हैं। वहां के बख्शी मनमाने ढंग से टैक्स लगा देते हैं। शासन टैक्स थोप रहा है बिना इस बात का ध्यान रक्खे हुए कि उनकी इनकम इतनी है या नहीं। बख्शी ..... हर काम में मालिक है। मैं सोचता हूं कि लखपति से क्या कम होगा। उसके बच्चे तो पढ़ने के लिए स्कूल भी रिक्शे से जाते हैं। २०० रुपये का कर्मचारी ४ रुपये रोज रिक्शे पर खर्च कर देता है। भंगियों को ४० महीने की

तनख्वाह एक साथ मिली। जब बख्शी ने कहा कि तुम्हारी तनख्वाह तब बनाउंगा जब ५ प्रतिशत अपनी तनख्वाह का दे दोगे। जिसने मन्जूर कर लिया है उसका चेक तुरन्त दे दिया।

अमर शहीद, चन्द्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष—

सत्ता पक्ष से और विरोध दल से दोनों तरफ से यह मांग आयी थी कि अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की शहादत का ५०वां वर्ष है, उसके लिये सदन श्रद्धांजलि अर्पित करे।

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, हर शहीद परिवर्तन का प्रतीक होता है। भविष्य को आहूत करके वह वर्तमान से लड़ता है। यह भी बात सत्य है कि ऐसी लड़ाई में तत्कालीन शक्तियों से उसकी शिकस्त होती है और वही उस शहीद का बिन्दु होता है। लेकिन जहां उसकी शारीरिक शिकस्त होती है वहीं उसकी विजय का भी बिन्दु होता है क्योंकि इतिहास जो है शहीदों के ही द्वारा मुखरित होता है और आज जब हम अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो हम लोग अपने ही इतिहास को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह बात सही है कि चन्द्रशेखर आजाद जी ने जो रास्ता अपनाया बहुतों को उसमें मतान्तर भी हो सकता है। लेकिन क्रांति चाहे हिन्सात्मक क्यों न हो हर क्रांति करुणा पर आधारित होती है। चाहे कोई क्रांति हो उसका मौलिक आधार करुणा होती है। उस वृहद करुणा को अपने में समेट कर, जो वर्तमान स्थिति से रोष होता है उस रोष को ले करके चन्द्रशेखर आजाद जी ने अपने जीवन को समर्पित किया और जब यह प्रश्न इतिहास से पूछते हैं कि किस परिवर्तन के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी तो उन्होंने जो उपमा दी है वह पूरी लड़ाई का द्योतक है, उनकी मंशा का द्योतक है, उनके जीवन का द्योतक है।

मान्यवर, जिस राष्ट्र में शहीदों के मकबरे उजड़ते हैं वह राष्ट्र उजड़ता है। इसलिए आज उनकी याद में हम जितनी शक्ति से जितने साधन से, जितने संकल्प से अपने को अर्पित कर सकें, उतना हम अपने राष्ट्र को बना सकते हैं। लेकिन उस स्थान तक जाने में अपने दिल में हिम्मत होनी चाहिये। क्या हम उतना त्याग कर सकते हैं यह अपने हृदय से प्रश्न करना चाहिये। और उस प्रश्न का उत्तर, बड़ी बड़ी इमारतों और साइनबोर्ड के द्वारा नहीं, बल्कि इन्सान का स्मारक इंसान ही हो सकता है बिल्डिंग और इमारतें नहीं हो सकतीं। हमको चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—]

इन शब्दों के साथ मैं अपनी श्रध्दांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उद्गार और जो भाव व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, आजाद साहब ने, स्वर्गीय आजाद ने ब्रिटिश शासकों से इस देश को छुड़ाने में जो क्रांतिकारी भूमिका अदा की है, देश के इस महान सपूत के प्रति मैं और मेरा दल आज उनकी स्मृति में नतमस्तक हैं । श्रीमन्, देश का वह सपूत गंगा के किनारे जमुना और गंगा के किनारे ही उसकी गोद में इलाहाबाद में वह गंगा की गोद में समर्पित हो गया । श्रीमन्, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा आज इस आजाद हिन्दुस्तान की लड़ाई में उन्होंने एक बड़ी भूमिका अदा की थी । यह ठीक है कि विचारों का फर्क हो सकता है लेकिन उन्होंने क्रांति के द्वारा इस देश की आजादी की लड़ाई जारी रखी और उसकी चिनगारी देते रहे । श्रीमन् ऐसी महान आत्मा के प्रति मैं पुनः अपने दल तथा स्वयं की तरफ से उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग ऐसी महान आत्मा के स्वप्नों को साकार करने में सहयोग देंगे । राजनैतिक दृष्टि से तो हम आजाद हो गये लेकिन इस देश को आगे ले जाने के लिए हम सभी को कृतसंकल्प होना चाहिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए तभी हम उसके सपने को साकार कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन तथा नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । समस्त सदन की ओर से तथा अपनी ओर से मैं ऐसे महान क्रांतिकारी को श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं जिसने राष्ट्र के लिए जीवन अर्पित किया तथा सारे संसार को, अपने को शहीद करके यह सूचना दी कि भारत मां ऐसे वीरों से भरी हुई है । मैं सभी सदस्यों से चाहूंगा कि दो मिनट मौन खड़े होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर २ मिनट के लिए मौन खड़े हुए ।)

कतिपय समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम वापसी की तिथि बढ़ाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि निम्न समितियों से नाम वापसी की तिथि आज दिनांक २७-२-८१ तक थी । उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट ने यह नाम वापसी की तिथि आज से बढ़ा कर ६ मार्च, १९८१ कर दी गयी है ।

११२—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

१९८१-८२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगो पर मतदान-अनुदान संख्या, ९-स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका, अनुदान संख्या ४२-आवास एवं नगर भूमि, अनुदान संख्या ७९-स्वायत्त शासन-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ११२-स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या ११३-आवास विभाग-ऋण और अग्रिम

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

मान्यवर, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो बजट मांग प्रस्तुत की हैं अपने विभाग की उसका मैं समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने जो बेमिसाल घोषणायें की हैं, आज सदन में उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। यह सौभाग्य हैं इस प्रदेश का कि बहुत ही अनुभवी तथा कुशल मंत्री के हाथों यह विभाग सौंपा गया हैं और इसके साथ ही जो राज्य मंत्री हैं इस विभाग के वह भी बहुत ही कुशल तथा अनुभवी हैं। लेकिन अगर इस विभाग की दुर्दशा को देखा जाय तो उसके लिए ८० प्रतिशत हमारे सामने बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं। जनता शासन के विगत तीन वर्षों में उनके नेताओं ने नारा दिया था कि गांव की ओर चलो लेकिन वह न गांव का उद्धार कर सके और न शहर का। शहर की हालत तो बद से बदतर हो गयी हैं। किसान तो गाली देता ही हैं लेकिन शहर का आदमी जो उस समय भी गाली देता था आज भी गाली देता हैं। श्रीमन् मैं एक बहुत ही मूलभूत समस्या पेयजल के बारे में आपके माध्यम माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्रीमन्, आगरा में जो पेय जल के बारे में इतनी अनियमितायें थीं, धान्धलेबाजी हैं श्रीमन् उसके कुछ बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज नागरिकों के ऊपर तिहरे-तिहरे कर लादे हुए हैं। पेय जल के बारे में एक तरफ तो ये १२० रुपया वार्षिक झटक लेते हैं चाहे पानी इस्तेमाल किया गया हो या न किया गया हो। दूसरे गृह कर के साथ जल कर भी दिया जाता हैं, उसे तो देना ही हैं। एक तीसरा और जल कर लगा दिया चाहे पानी इस्तेमाल करें या न करें। लेकिन ६ महीने के बाद, साल-साल भर बाद या दो-दो साल के बाद हजारों रुपये वाटर टैक्स के बिल के जरिये वसूल हो रहा हैं और यदि कोई न दे तो उसका नल काट दिया जा रहा हैं।

श्रीमन्, ६ हजार का बिल यदि आता हैं तो जल संस्थान के कर्मचारियों को कुछ ले कर वह ६०० का हो जाता हैं और यदि ६०० रुपो का बिल हैं तो ६० रुपो का हो सकता हैं। श्रीमन् इसी संदर्भ में मैं एक फोटो स्टेट कापी को पढ़ना चाहता हूं जो कि मेरे पास हैं जिसमें लिखा हैं कि ४२२.७५ पैसे का बिल था उसमें हेर-फेर करके ६४.२० पैसे का कर दिया गया और इतने में काम हो गया। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जरा इस ओर गौर करें और जांच करा लें कि क्या हो रहा हैं पेय जल संस्थान के कर वसूल विभाग के अन्तर्गत। मेरे पास इसकी पूरी लिस्ट हैं। आपको तो बस एक ही दिखाया हैं। आगरा में आज चौबीस-चौबीस घंटे, चालीस-चालीस घंटे व्यतीत हो जाते हैं और नलों में साफ पानी नहीं मिलता हैं। चाहे २६ जनवरी का राष्ट्रीय त्योहार हो, चाहे ईद का

[डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—]

धार्मिक त्यौहार हो, चाहे मकरसंक्रान्ति का त्यौहार हो, आगरा में नलों में पानी नहीं आता और यदि उसके बाद जो पानी आता है उसमें इतनी बदबू आती है कि पी नहीं सकता जब माननीय मुख्य मंत्री जी आगरा गये थे तो मैं उनको दिखाने के लिये एक बोतल पानी ले गया था परन्तु समय नहीं मिला उन्हें दिखाने का उनके व्यस्त कार्यक्रम के कारण सम्भव नहीं हो सका नहीं तो उन्हें दिखाता कि वहां के नलों के पानी में कैसी बदबू आ रही थी और पीने के लिये पूर्ण आयोग्य था ।

दैनिक अखबार "अमर उजाला" में श्रीमन् आगरा के पेय जल के बारे में छपा है भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की सहायता से चल रहे "यमुना जल प्रदूषण एवं उसका आगरा के पेय जल पर प्रभाव" परियोजना के प्रिंसपिल इनोस्टीगेटर डाक्टर के० डी० शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि—

"पेय जल हल्का गंधयुक्त, रंगीन, हल्का गंदला है एवं उसमें क्लोरीन की मात्रा रिक्त घुलनशील कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ विद्यमान हैं। इनके अलावा पानी में जलीय रिक्त घुलनशील कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ विद्यमान है। इनके अलावा पानी में जलीय शैवाल हानिकारक प्रोटोजोआ एवं हानिकारक जीवित बैक्टीरिया हैं। इसकी वजह से बायोकैमिकल आक्सीजन डिमांड काफी अधिक 'पीपी-एम' तक पहुंच जाती है। इसमें से कई प्रकार के जीवाणु अधिक गैस पेट व शरीर के अन्य रोगों को पैदा कर सकते हैं।"

तो श्रीमन्, यह एक रिपोर्ट है विशेषज्ञों की आज आगरा में इसी पानी की वजह से पीलिया फैला है, खुजली की बिमारी फैली हुई है। इस पानी को पीने से लोगों को अनेकों बीमारियां हो रही हैं। तो श्रीमन् यह हालत है पानी की आगरा में। वहां का इतना बड़ा जल संस्था है उसमें जो इंजीनियर्स हैं, उसके लिए वहां पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। आज वहां पर सारे डेपुटेशन को लेकर इंजीनियर्स भर्ती कर दिए गए हैं। [समय ३ बजकर २५ मिनट] वहां सारे सिविल इंजीनियर्स की नियुक्ति कर दी गई है। उन्हें इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बरेली जल संस्थान के एक जनरल मैनेजर थे आगरा उन्हें भेज दिया गया है। कभी-कभी तो ऐसा हुआ है कि उल्टी मोटर चा गई और ४८-४८ घन्टे पानी गायब रहा नलों में। जितने मोटर हैं उनमें से जानबूझकर ३-४ हजार मीटर तोड़ दिए गए या खराब कर दिए गए हैं। श्रीमन् इसी जल संस्थान से संबंधित एक समस्या है जिससे वहां के कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष है। वहां पर कुछ काफी समय से कार्य कर रहे डेली वेजेज के कर्मचारी हैं ऐसा विदित हुआ है कि उसको हटाकर नई भर्ती करने की योजना बनाई जा रही है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए हैं और जिनको कि अब कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल सकती है। आज उस दैनिक वेतन भोगी को १० रु० रोज के हिसाब से मिलता है, उनको निकाल कर अन्य लोगों की भर्ती की जा रही है। माननीय मंत्री जी देखें कि उनके साथ अन्याय न होने पाये इसके साथ ही कुछ मलिन बस्तियों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

आगरा में यह मलिन बस्तियां १०० से ज्यादा हैं जहां नागरिक सुविधायों का पूर्ण अभाव हैं, उनके लिए कुछ धनराशि की व्यवस्था करा दें । इसके साथ ही साथ कुछ बातें आगरा डेवलपमेन्ट अथारिटी के बारे में कहूंगा । आगरा डेवलपमेंट अथारिटी, शमशाबाद योजनान्तर्गत आवासीय गृहों का निर्माण करने जा रही हैं, बहुत स्वागत योग्य कदम हैं लेकिन उसके साथ ही साथ जो गरीब लोगों के वहां पर मकान बने हैं, उन्हें न तोड़ा जाय क्योंकि शासन की भी यह मंशा हैं कि जिनके पास मकान नहीं हैं, उन्हें मकान उपलब्ध कायें जायं तो जिन गरीबों के पास टूटे-फूटे और छोटे मकान हैं यदि उनको तोड़कर आप सड़क पर खड़ा कर देंगे तो शासन की मंशा पूरी नहीं होगी ।

अब मैं अतिक्रमण की समस्या के बारे में भी कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । माननीय संजय जब आगरा आये थे तो एक सड़क, महात्मा गांधी मार्ग, का निर्माण हुआ था, आज भी जब लोग वहां से निकलते हैं तो उस दिवंगत आत्मा को याद करते हैं । आगरा नगर के सौंदर्यीकरण की भी कुछ योजनाएं बनाई गयी थीं लेकिन जनता शासन काल में सब रद्दी की टोकरी में डाल दी गयी हैं । विगत तीन वर्षों में इतना अतिक्रमण हुआ हैं और वह अतिक्रमण राजनीतिक दबाव के कारण और अधिकारियों की मिली भगत के कारण होता हैं । यह जो किताब विभाग द्वारा दी गयी हैं इसमें लिखा हैं कि दो बार अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाये गये लेकिन कोई अभियान नहीं चलाया गया । अगर चलाया गया होगा तो केवल कागजों पर चलाया गया होगा । यह अतिक्रमण बिना अधिकारियों और कर्मचारियों की मर्जी के हो ही नहीं सकता । उस क्षेत्र के जो अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें ताकि भविष्य में इस प्रकार का अतिक्रमण न हो सके ।

एक बात और कहना चाहूंगा चुंगी की दरों के बारे में । आगरे में जो चुंगी की दरें वह उत्तर प्रदेश में चुंगी की दरों में सबसे ज्यादा हैं । इस समय सारा आलू और सब्जियां वगैरह राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरफ जा रही हैं । कोई किसान आगरा से यहां ले आना पसन्द नहीं करता हैं । चुंगी की दरों के कारण सारे ट्रक राजस्थान, भरतपुर, ग्वालियर, वगैरह जा रहे हैं । मेरा अनुरोध हैं कि जो दरें प्रदेश के मिले हुए दूसरे जिलों में हैं, उन्हीं को यदि आप रखेंगे तो व्यापार पर असर नहीं पड़ेगा ।

इसके अतिरिक्त, नालों की सफाई आगरा के अन्दर २५ साल से नहीं हुई हैं । उनमें तमाम गंदगी हैं । गरीब लोग उनके किनारे रहते हैं । बड़ा नारकीय जीवन वे लोग व्यतीत करते हैं । आप इस मद में धनराशि की व्यवस्था अवश्य कर दें । मैं नहीं कहता कि आप सारे के सारे नालों को एक साथ साफ कर दें लेकिन एक फंड्ड प्रोग्राम में एक वर्ष, दो वर्ष में उनकी सफाई की जा सकती हैं ताकि जो गरीब लोग उनके किनारे रहते हैं, उनको कुछ राहत मिल सके ।

इसके साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों की बड़ी समस्या आगरा में हैं । वहां की आबादी पहले से काफी अधिक बढ़ गयी हैं । सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या २,०७० हैं ।

[डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—]

आबादी और सफाई कर्मचारियों के कुल रेशियो के लिहाज से पांच हजार सफाई कर्मचारियों की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि पांच हजार कर्मचारी एक साथ बढ़ा दें लेकिन २०७० से बढ़ा कर चार हजार तो कर दें ताकि जो गंदगी की समस्या है उसका निस्तारण हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप का आभार मानता हूं अध्यक्ष जी और जो इतना अच्छा बजट मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसके लिये मैं उन्हें धनयवाद देता हूं, जो घोषणायें उन्होंने की हैं उसमें एक वर्ष के अन्दर अमल जरूरी हो जाय क्योंकि घोषणायें हो जाती हैं और वे फाइलों में बन्द हो जाती हैं। हमें आशा है कि आपका विभाग बहुत कुछ स्वच्छ हो जायगा और माननीय बाजपेयी जी ने जो बात कही लखनऊ विकास प्राधिकरण की, उसे भी चुस्त और दुरुस्त कर दें। धन्यवाद।

श्री राम नरायन—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, यह जो कटौती का प्रस्ताव कन्हैयालाल जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं घोर समर्थन करता हूं और उसके निम्न कारण हैं :

१९७१ की प्रदेश की जन गणना के अनुसार मान्यवर, पूरे प्रदेश की आबादी ८ करोड़, ८३ लाख, ४१ हजार, १४४ है जिसमें ग्रामीण इलाके की आबादी ७ करोड़, ५९ लाख, ५२ हजार, ५४८ और शहर की आबादी १ करोड़, २३ लाख, ८८ हजार, ५९६ है। इस तरह से ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके का अनुपात ७ : १ होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बापू जी ने कहा था कि असली भारत गांवों में बसता है और आज ७ : १ के अनुपात में ग्रामीण इलाके के मुकाबले शहरी इलाके में आवासीय समस्या पर ज्यादा धन खर्च किया जा रहा है और ग्रामीण आवासीय योजना में एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। इन शब्दो को कहने का अर्थ हमारे नगर में रहने वाले भाई यह न लगायें कि मैं नगरवासियों का विरोधी हूं। मान्यवर, शहर की जितनी भी आमदनी होती है उसका ५० प्रतिशत गांवों से आती है। शहरों में जो सड़कें बन रही हैं वे गांवों की सम्पत्ति से बन रही हैं। गांवों के संतोष के लिये जनता पार्टी की सरकार ने आकर के ग्रामीण विकास, मंत्रालय बनाया जिसके मंत्री आज माननीय रिजवी साहब हैं। मान्यवर, ग्रामीण विकास के लिये इन्होंने बजट में कितना धन दिया है, इसको देखेंगे। मालूम पड़ता है कि सात करोड़ और सवा करोड़ की आबादी में हमारे ग्राम्य विकास मंत्री और यह सरकार कोई अन्तर नहीं रखती।

मान्यवर, इस बजट सत्र में सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की स्थिति हमारे जिले की है कि मंत्री जी ने जो पुस्तिका बांटी है, उसमें हमारे जिले के २० लाख आबादी के क्षेत्र का उन्होंने उसमें जिक्र तक नहीं किया है। उसमें कितनी नगर पालिकायें और टाउन एरिया होंगे, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकती है ?

११३—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा गाजीपुर जनपद पूर्वांचल का सबसे अधिक उपेक्षित क्षेत्र हैं जिसने कि आजादी की लड़ाई में हमको सक्रिय योगदान दिया हैं। यह दुर्भाग्य की बात हैं कि काशी के गंगा नदी के घाटों के बाद गाजीपुर में पुराने घाट हैं उनके नव निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसकी आबादी ६० हजार हैं और सड़कों की आज वहां पर यह हालत हैं कि कोई व्यक्ति पैदल भी नहीं चल सकता हैं। यदि माननीय मंत्री जी वहां जायेंगे तो उनकी जीप भी वहां से पास नहीं हो पायेगी। इसी तरह से यहां के अन्य नगरों की भी दुर्दशा हैं। इसके अलावा पानी की यहां पर जटिल समस्या हैं। जिला प्रशासन और आपका विभाग नगरों की सफाई और सड़कों तथा गलियों को चौड़ा बनता हैं लेकिन आज वहां की हालत यह हैं कि आपके विभाग के लोग और अधिकारी पैसा लेकर आम सड़कों में दुकान बनवा रहे हैं और इस तरह से सड़कें तंग हो गयी हैं, पैदल भी चलना दूभर हो गया हैं। इसके संबंध में बार-बार जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से कहे जाने पर स्थिति में सुधार नहीं हो रहा हैं। इस संबंध में मैंने मुख्य मंत्री जी को भी नये वर्ष की बधायी के रूप में एक सात पृष्ठ का पत्र भेजा था लेकिन मेरे जनपद के प्रति सौतेले मां-बाप का व्यवहार इस सरकार द्वारा हो रहा हैं। हमारे पत्रों का जवाब तक नहीं दिया जाता और यहां पर मुख्य मंत्री जी घोषणा करते हैं कि हम हर आदमी के पत्र का जवाब देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे जिले में तीन टाउन एरिया हैं-यूसूफपुर, मोहम्मदाबाद और जंगीपुर इनमें जो टोल टैक्स पड़ता हैं वह हर इन्सान के आने और जाने पर लगाया जाता हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस टोल टैक्स को समाप्त करें।

*श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे एल० एस० जी० ई० डी० मिनिस्टर के बजट पर जो उन्होंने १९८१-८२ के लिये पेश किया हैं, बोलने का मौका दिया हैं। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और साथ ही कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मगर साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर भी जरूर मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सड़कों, गलियों, और नालियों की हालत बहुत ही खराब हैं। विशेषकर पटनाला जो वहां पर हैं, उसकी हालत बहुत ही गम्भीर हैं। वहां पर बच्चे बारिश में डूबते रहते हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह हैं कि मेरे क्षेत्र में जो स्लाटर हाउस हैं, उनकी हालत बहुत ही भयानक हैं। इसका लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता हैं। इससे पूरे क्षेत्र में गन्दगी फैली हुई हैं। मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि इसके लिए वे उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में जो पार्क हैं उन पर लोगों ने नाजायज कब्जा करके अपने मकान बना लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—]

हैं। लोग बिल्डिंग उसमें बना रहे हैं उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे क्षेत्र में पार्कों की ओर ध्यान दिया जाय और दो एक बड़े पार्क टिकैत तालाब वगैरह में बनाये जायं।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एसेसमेन्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं वह बड़े-बड़े लोगों की जो बिल्डिंगें हैं जिनकी रैंटल वैल्यू १०, १० हजार है उनका एसेसमेंट बहुत कम है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसकी तुरन्त जांच की जाय और जांच करने के बाद उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

कारपोरेशन में एक टैंडर कमेटी बनी हुई है उसका काम ठेकेदारों के टैंडरों को पास करना है। उस कमेटी की हालत यह है कि वह साल डेढ़ साल में भी टैंडर पास नहीं करती है और उस दौरान ठेकेदारों से सौदेबाजी की जाती है, उसका नतीजा यह होता है कि टाइम लैप्स हो जाता है और बाद में ठेकेदार काम करने से इन्कार कर देता है जिससे कारपोरेशन को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और जिन अधिकारियों की गलती से वह टैंडर पास नहीं हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

इसके अलावा जब कोई लैटर अधिकारियों को हम लिखते हैं तो उसका वह जवाब नहीं देते हैं अगर जवाब देते हैं तो गलत जवाब देते हैं जिसकी फीगर्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर भी वह ध्यान दें और जो अधिकारी गलत जवाब देते हैं जनप्रतिनिधियों को उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

अब मैं आपका ध्यान एल० डी० ए०, लखनऊ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसने अनअथोराइज्ड जमीनों पर लोगों से कब्जा करा रखा है जिस पर अनअथोराइज्ड तरीके से मकान बनते जा रहे हैं। आज भी कार्बन फैक्ट्री के पीछे छोटी छोटी फैक्ट्रीज दो साल के अन्दर लग गयी हैं न उन्होंने जमीन खरीदी है और न नक्शा पास कराया है और वह बन कर तैयार हो गयी है। सरकार को इत्तला देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है नतीजा होता है कि जब वह बन कर तैयार हो गयी तो उसके बाद फाइलें गायब कर दीं जाती हैं तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान जल निगम की ओर दिलाना चाहता हूं यहां जो कल निगम के ट्यूबवैल लगे हुए हैं वह सब बेकार पड़े हुए हैं और बहुत से हैं जो बालू दे रहे हैं जिससे लोगों की सेहत को खतरा पैदा हो रहा है इसलिये उनको जल्द से जल्द ठीक कराया जाय। गर्मियों का समय आ रहा है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है मैं जानना चाहूंगा कि अब जो ठीक करने में लागत आ रही है उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उनके खिलाफ कार्यवाही करें और आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी इन ट्यूबवेलों को ठीक कराने का इंतजाम कराया जायेगा।

अब मैं पुराने लखनऊ की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां के लिये एक मास्टर प्लान बना है महमूदनगर और पुल गुलाम हुसैन के आसपास ७, ८ मस्जिदें

हैं जिसका नतीजा यह है कि वहां से रोड नहीं निकल सकती है। वहां पर लोग बिना नक्शा पास कराये ही मकान बना रहे हैं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके लिये रास्ता चेन्ज किया जाय क्योंकि जाहिर है कि वहां से रोड नहीं जा सकती है इसलिये नक्शा चेंज कर उसे पास किया जाय।

आखिर में मैं आवास विकास परिषद् की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र से राजाजीपुरम की यह कालोनी लगती है। यहां जो काम हो रहे हैं, वह खराब स्तर के, खराब मशाले के और खराब ईंटों के द्वारा हो रहे हैं, इसकी जांच करायी जाये। इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि उस योजना में अल्प आय वाले व्यक्तियों को तथा अन्य छोटी आमदनी वाले लोगों को भी फ्री होल्ड प्लाट दिये जायं। इसके साथ मैं इस बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं और आपको समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, मैं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और यह जो अन्तिम बजट पेश हुआ है, उसके ऊपर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह अन्तिम इसलिए है, क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि आज से इसका नाम स्वायत्त शासन विभाग खत्म करके नगर विकास विभाग कर दिया जाएगा। स्वायत्त शासन की हत्या तो शासन द्वारा बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आज इसका जनाजा निकालने का जो काम किया गया है, उसके लिए मैं उनको बधाई तो नहीं दे सकता हूं। श्रीमन् अंग्रेजों के साथ जो हमारी लड़ाई स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हुई थी, उसमें हमारी सबसे पहली सफलता हमें स्वायत्त शासन करने का अधिकार प्राप्त करके मिली थी। भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय महात्मा गांधी ने 'हरिजन' में लिखा था संविधान सभा की क्या कार्यवाहियां हो रही हैं, इससे मैं अवगत नहीं हूं। सुनता हूं संविधान में ग्राम पंचायत एवं विकेन्द्रीकरण की ओर किसी प्रकार का दिशा निर्देश भी नहीं है, इससे मैं चिन्तित हूं। यदि हमारी आजादी में जनता की आवाज सुनना चाहते हैं तो उपर्युक्त भूल की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए।

इसी बात के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम स्वायत्त शासन मंत्रियों की बैठक में यह घोषणा की थी कि स्वायत्त शासन ही प्रजातंत्र की आधारशिला है और होनी चाहिए और बिना इसके प्रजातन्त्र कभी सफल नहीं हो सकता है जब तक इस आधारशिला को लेकर वह विकसित नहीं होगा। जिस तरह से इस महत्वपूर्ण संस्था का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, उससे अब मुझे भय है कि कहीं इनका अगला कदम यह न हो कि उत्तर प्रदेश सरकार का नाम बदलकर केन्द्र सरकार और केन्द्र सरकार का उत्तर प्रदेश विभाग रख दिया जाए। स्वतंत्रता के बाद के स्वायत्त शासन के इतिहास को यदि हम देखें तो सबसे पहले नियमों के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव सन् ५३ में हुए। इनका पांच वर्ष का टर्म था ५७ तक का, लेकिन बीच में ही उन्हें ५६ में सुपरसीड कर दिया गया फिर पुनः १९५७ में चुनाव हुए और सन् १९६१ में उनका कार्यकाल समाप्त होना था, किन्तु कुछ को बढ़ा दिया गया और बाकी को सपरसीड कर दिया गया। फिर सन् १९७१ यानी १० साल

[श्री जयदीप सिंह—]

बाद चुनाव हुए, जिनका टर्म १९७५ में खत्म होता था, वह तब से अब तक सुपरसीड हुई पड़ी हैं, चुनाव नहीं हुए हैं। जब हम शहरों की गंदगी और प्रकाश व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसकी समुचित जानकारी रखने वाला वहां के नागरिक के अलावा और कोई नहीं हो सकता है, भले ही वहां का विधायक क्यों न हो।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की थी कि समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं को, नगरपालिकाओं को वहां के प्रबुद्ध नागरिकों के सुपुर्द कर दिया जाए। स्वायत्त शासन संस्थाओं को भंग करने का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिए क्योंकि वह भी व्यस्क मताधिकार से चुनकर आते हैं और आप हम भी उसी वयस्क मताधिकार से चुनकर आते हैं। सरकारी अफसरों को आप वहां पर लगा देते हैं, वे वहां पर टैक्स वसूल करते हैं, इसी से उनकी योग्यता आंकी जाती है, लेकिन कौन अफसर सफाई की उचित व्यवस्था करता है, प्रकाश और सड़कों को अच्छी हालत में रखता है, यह नहीं देखा जाता है। एक-एक एस० डी० एम० के पास ४-४, ५-५ टाउन एरियाज का चार्ज है, वह इस सारे काम को देख नहीं पाते हैं, बख्शी कमा रहा है और वहां की जनता उस गंदगी में पड़ी सड़ रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के सम्मुख एक दो सुझाव रखना चाहता हूं ताकि नगरपालिकाओं या टाउन एरियाज आदि में जो टैक्स लगाये जाते हैं, उसका निर्णय वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही करने का अधिकार होना चाहिए। और उन टैक्सों के ऊपर जो अपील होती है या निर्णय होते हैं वे इन नगरपालिकाओं के मुख्यालयों पर ही होने चाहिए। होता यह है कि जो प्रभारी अधिकारी होता है उसके पास लोग ५०-५० मील से जाते हैं और उनका ५०-५० रुपया आने जाने में लग जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब की झोंपड़ी पर लगे ५० रुपये टैक्स के लिए उन्हें ५० रुपया आने जाने में ही देना पड़े।

जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि टैक्सों को ३-३ साल का इकट्ठा लगाकर एक साथ भेज देते हैं। इसमें जल कर और गृह कर दोनों ही होते हैं। यह तरीका बन्द होना चाहिए एक या दो साल बाद टैक्स का नोटिस टाइम बार्ड होना चाहिए। उसके ऊपर दूसरा नोटिस दिए जाने का भी कोई औचित्य नहीं है। नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज को जहां तक अधिकार दिए जाने का संबंध है, मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से हमारे संविधान में एक यूनियन लिस्ट है, एक प्रदेश की लिस्ट और एक कौन्करेन्ट लिस्ट है उसी प्रकार से लोकल बाडीज को अधिकार देने की एक अलग से लिस्ट होना चाहिए और उन अधिकारियों को केवल जनता द्वारा संबंधित स्थायी निकायों के लिये निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही कार्यान्वयन होना चाहिए।

अब मैं इस पुस्तिका की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बरेली जनपद में शीशगढ़ और शेरगढ़ और मीरगंज आदि का वर्ष १९८०-८१ के लिट्रेचर में भी कहीं जिक्र नहीं था और न आने वाले बजट में ही इसका कोई जिक्र है। मान्यवर, शेरगढ़ में एक पानी की टंकी बनी हुयी है उसकी भूमिगत पाइपें पड़ी हैं न तो वहां पर कोई बैलगाड़ी ही जा सकती है और न कोई ट्रक अथवा जीप और न ही वहां पर कोई

आदमी पैदल जा सकता है। हो सकता है कि हमारे मंत्री जी हेलीकोप्टर से चले जायें। उस कस्बे में एक ओर से दूसरी ओर भी जाना बड़ा नामुमकिन हो गया है। अतः आपसे अनुरोध करता हूं कि जो छोटे छोटे टाउन एरियाज हैं उनको अधिक सहायता देने की कृपा करें। ताकि उनको भी कुछ सुविधायें मिल सकें।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कमला प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं जौनपुर शहर निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया हूं। जौनपुर नगरपालिका की का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, मैं जौनपुर शहर निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया हूं। जौनपुर नगरपालिका की बड़ी दयनीय स्थिति है। उसके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, आपको मालूम है और माननीय मंत्री जी को भी मालूम है कि हमारे यहां नगरपालिका क्षेत्र अभी हाल की बाढ़ की चपेट में भीषण रूप से प्रभावित हुआ था। वहां पर करीब २½ महीने तक पानी भरा हुआ था। वहां पर किसी भी व्यक्ति को उस समय नाव के सिवाय चलने का और कोई साधन नहीं था। जब इतने दिनों तक वहां पर पानी भरा रहे तो तारकोल की सड़कें टूट कर बरबाद और बेकार हो जाती हैं। वहां पर एक भी सड़क नगरपालिका की ऐसी नहीं है जिस पर आदमी ठीक से चल सके। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां की सड़कों के लिए जो बजट दिया गया है वह बहुत ही कम है। उसको बढ़ाकर उन सड़कों की मरम्मत करनी चाहिए।

मान्यवर, हमारा जनपद निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ है लेकिन आपको मालूम है कि यह एक ऐतिहासिक नगर है जहां पर बड़ी-बड़ी मस्जिदें तथा ऐतिहासिक स्थल हैं और जहां पर देश विदेश के लोग देखने को आते हैं लेकिन जो बड़ी मस्जिद है उसके सामने कूड़े का अम्बार लगा हुआ है। बार-बार कहने के बावजूद भी न वहां से कूड़ा हटाया जाता है और न वहां पर सफाई ही की जाती है। नालियों में भी इतनी गंदगी रहती है कि अगर कोई व्यक्ति उस तरफ से पास होता है तो मालूम होता है कि किसी बूचड़ खाने की ओर से घूम रहा है। आज सफाई की बड़ी दुर्दशा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई की व्यवस्था उचित ढंग से होनी चाहिए और पानी का भीषण संकट हमारे नगपालिका क्षेत्र में हो चुका है। मैंने माननीय मंत्री जी से इसके पहले भी निवेदन किया था। आज सदन में भी निवेदन कर रहा हूं कि आज जाड़े के दिनों में भी वहां पानी की बड़ी समस्या हो चुकी है। वहां लोग पानी के लिये बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। आज मुझे यह पता चला कि माननीय मंत्री जी ने ६ ट्यूबवेल लगाने के लिये जल निगम विभाग को आदेश दिये हैं। मैं चाहूंगा कि वह

[श्री कमला प्रसाद सिंह—]

ट्यूबवेल जल्द से जल्द लगा दिए जायं ताकि उन्हें पानी की जो कठिनाई है वह दूर हो सके।

मैं मान्यवर, विद्यालय भवन की बात भी कहना चाहता हूं। विद्यालय की ऐसी स्थिति है कि ऐसे विद्यालय हैं कि वहां पर बिल्डिंग हैं ही नहीं। आज हमारे नगर-पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत, जिला परिषद् और नगरपालिका दोनों का झगड़ा है। यह कहा जाता है कि भवन जिला परिषद् का है। लेकिन मैंने जब उनसे पूंछा कि आप साफ कर लें। पिछली मीटिंग में मैंने यह बात पूछी थी, तो यह कहा कि हमको बनाना है, फिर मैंने पूछा कि आपको बनाना है, तो कब तक आप बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जरा सी जानकारी चाहता हूं कि वह भवन किसका है, जिला परिषद् का है कि नगर-पालिका का है। बच्चे जो हैं पेड़ के नीचे पढ़ते हैं लेकिन शहर के अन्दर पेड़ भी नहीं होता है, शहर के अन्दर बरसात में खुली जगह पर बैठते हैं। तो मान्यवर, वहां पर भवन की व्यवस्था करना आवश्यक है।

विद्युत् की व्यवस्था के बारे में मैंने पहले भी आप से कहा था, आज भी इस बात को कह रहा हूं कि विद्युत की स्थिति यह है कि जहां बल्ब नहीं जल रहे हैं, यह होता है कि जब कम्प्लेंट किया गया, तो बल्ब लगाने का विद्युत् विभाग का आदमी पहुंचता है लेकिन बल्ब देता है नगरपालिका और लगाते हैं विद्युत विभाग के लोग। दिन में बल्ब लगाते हैं दो-चार आदमी जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो वह दिखा देते हैं कि अल गया और फिर वह निकाल कर, लेकर चले जाते हैं और रात में फिर अंधेरा हो गया। तो मान्यवर, कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो दिन में बल्ब लगाया जाता है, जो जलता हुआ दिखाई पड़ता है, वह रात में भी रोशनी दे।

पानी के विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जनरेटर नहीं है, जनरेटर न होने के कारण बिजली ५ बजे, ४ बजे चली जाती है, उस समय पानी नहीं मिल पाता है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, आज भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को बिजली मिल सके। कूड़ा फेंकने के लिये हमारे यहां ट्रैक्टर और ट्रक नहीं है। बड़ी अव्यवस्था है। तो कूड़ा फेंकने के लिये ट्रक और ट्रैक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। मीटरों के ऊपर बहुत काफी शिकायत हुई कि मीटर रीडिंग देखने कोई नहीं जाता है, इससे जनता बहुत परेशान होती है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इस तरह की गलती न करें। मीटर रीडिंग की जो सही रीडिंग हो उसी तरह से उनसे कर वसूल किया जाय। पानी की टंकी जनता पार्टी के शासन में बनायी गयी। मैं सन ७७ में विधायक चुनकर आया था मेरा ख्याल है यह विधायक उस समय नहीं थे लेकिन उसको बनाने का काम आर०एस०एस० के लोगों ने ठेका लिया था। उस टंकी की आप इन्क्वायरी करा लीजिए उसमें अगर एक बाल्टी पानी डाल दिया जाय तो वह पानी गिर जायेगा। पानी उसमें रुक नहीं सकता है। आज मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से चाहे कोई अधिकारी चाहे, कोई ठेकेदार हो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। यह जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिये।

११३—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

जल निगम के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। इसी से मालूम हो जायेगा कि इनकी कार्यात्मक्षा क्या है। एक है अधिशासी अभियन्ता हैं लखनऊ के। उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है उनके ऊपर चार्ज है कि उन्होंने एक टंकी बनवाई थी जो ठीक नहीं बनी और उनके अधिकारियों के चहेते जो थे, उनका प्रामोशन कर दिया गया। जिस समय यह टंकी बनी उस समय यह अधिशासी अभियन्ता विदेश में था। लेकिन जिस समय माननीय खन्ना जी स्वायत्त शासन मंत्री थे, मैंने निवेदन किया पता नहीं १० बार उन्होंने एम० डी० से फाइल मांगी लेकिन वह फाइल नहीं आई। मुझे माननीय मंत्री जी पर भरोसा है कि वह फाइल को मंगाकर देख लेंगे और जो दोषी अधिकारी हों उनको सजा दी जायगी। मुझे विश्वास है कि फाइल मंगाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि उस समय वह आदमी विदेश में था। उस अधिकारी को प्रमोशन न देना, उसका अधिकार छीनना गलत है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कोई पार्क नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक पार्क बनवा दें। जिससे खाली समय में बच्चे वहां बैठ सकें और खेल सकें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे स्वायत्त शासन के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मुझे थोड़ा अधिक समय दे दें ताकि अन्य वक्ताओं की तरह मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है इसको देखकर मुझे एक बात याद आई हमारे मुल्क में कृष्ण को भगवान मानते हैं और हम पहाड़ के लोग गोयल को देवता मानते हैं जब कृष्ण और गोयल दोनों साथ हैं तो मुझे एक और बात याद आ रही है जहां देखता हूं वहीं तू ही तू है। जिस विभाग में देखा जाय भ्रष्टाचार का बोल बाला है। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, भ्रष्टाचार की बात कही है। जो विभाग माननीय मंत्री जी को मिला है उसकी माननीय वाजपेयी जी ने सीरी बातें बतलाई हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं १०-११ वर्ष पहले अल्मोड़ा नगर महापालिका के पास एक खूब-सूरत भवन था वह जल गयी तबसे वह धर्म-शाला में है। माननीय मंत्री जी इसकी मरम्मत में २७ हजार ७५० रु० खर्च किया गया। यह २२ हजार ५ सौ रुपया खर्च किया गया है। यह धर्मशाला इसलिये बना होगा कि वहां लोग दूर-दूर से आकर टिकेंगे किन्तु वहां पर १०-११ साल से नगरपालिका अधिकार किए हुए है। इस तरह से अल्मोड़ा अपना विशेष स्थान रखता है। वहां पर्यटक लोग आते हैं पेय जल की व्यवस्था बनी हुई है लेकिन अगर आप ग्रामों में जाओ तो आप को पानी नहीं मिलेगा। इससे पहले जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उसमें यह मंत्री जी ने वचन दिया था कि हम जल निगम और जल संस्थान को एक कर रहे हैं लेकिन आज तक वह एक नहीं हुआ है। जहां तक मुझे मालूम है ऐसी कोई योजना नहीं है जो सुधारु

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—]

रूप से आप के विभाग की चल रही हो।

पर्वतीय अंचलों में करोड़ों रुपयाा आप व्यय कर रहे हैं लेकिन वहां के गांवों को देखों जितनी योजनायें उनके द्वारा बनायी गयी हैं जिनका नेतृत्व सौंपा गया है, एक भी नहीं चल रही हैं। नैथाना पेय जल योजना बनी है हमारे यहां ११४ गांवों को पानी देना था लेकिन २०-२२ गांवों को ही पानी मिल रहा है। पर्वतीय विकास मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच करायेंगे न लेकिन न जांच हुई और न पानी मिल रह हैं। पर्वतीय विकास मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच करायेंगे लेकिन न जांच हुई और न पानी मिल रहा है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इसकी जांच करायें। पर्वतीय क्षेत्र में बड़े-बड़े तीर्थ स्थान भी हैं। इधर-उधर से लोग यात्रा करने के लिये और घूमने के लिये भी आते हैं। इसके लिये मेरा सुझाव हैं कि टनकपुर, हल्द्वानी, ऋषिकेश और कोटद्वार को खूबसूरत बनायें। आप शहरों में जायें तो गलियों की हालत बड़ी खराब हैं। बड़ी गन्दगी वहां रहती हैं। सभी लोग मंत्री जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मंत्री जी शहरों को खूबसूरत बनाने में, साफ करवाने में, योगदान करें। संजय जी का सब लोग नाम लेते हैं। उनकी योजना थी नगरों के सुन्दरीकरण की। तो मेरा सुझाव हैं कि टनकपुर, कोटद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश को आप खूबसूरत बनायें।

दूसरी बात मान्यवर, पर्वतीय अंचलों में पानी की बड़ी समस्या हैं। एक बार यह मामला चला तो सरकार ने पानी का राष्ट्रीयकरण किया और उसमें हैं कि अगर परगनाधिकारी चाहेंगे तो जिस गांवों में योजना बन रही हैं उसके नाम से स्वीकृत कर देते हैं। परगनाधिकारी रिपोर्ट मांगता हैं पटवारी से और पटवारी तब तक रिपोर्ट नहीं देता जब तक उसको रुपया नहीं जाता। परगनाधिकारी कभी गांवों में नहीं जाते। वह नहीं जानते कि यह योजना बनने वाली हैं या नहीं। कहां तक यह सत्य हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो अधिकार एस० डी० एम० को हैं वह उनको न देकर एक समिति गठित कर दी जाये जो इन बातों को देखे। २३ तारीख को नैनीताल बन्द रहा। ऐसा बन्द कभी नहीं रहा। इसका मुख्य कारण एक सुपरिन्टेंडेन्ट हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से वहां जाकर प्रत्येक परिवार पर १० रु० से ५५ रु० तक टैक्स लगा दिया, जिसके विरोध में लोगों ने वहां पर हड़ताल की। एक छोटी सी बात हैं, मेरे क्षेत्र में कोई भी नगरपालिका नहीं हैं। मासी और चौखरिया में कुछ नोटीफाइड एरिया बना दें। मैं भी देख सकूं कि आपका जो विभाग हैं, स्वायत्त शासन विभाग, कुछ काम कर रहा हैं। हम लोग ढाई-ढाई किलोमीटर से पानी लाते हैं, आप हमें पानी दे दीजिए। हमारे पहाड़ों की महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को और गाय बछड़ों को, पानी की सुविधा करा दीजिये। इसके साथ ही मैं विरोधी दल के जिन माननीय सदस्यों ने कटौती का प्रस्ताव रखा हैं, उसका समर्थन करता हूं।

(श्री अशोक बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, पश्चिमी जिले के ५-६ सदस्यों में से किसी एक को बोलने का मौका तो मिल जाय। मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं।

९—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका, अनुदान संख्या ४२—आवास एवं नगरभूमि, अनुदान संख्या ७९—स्वायत्त शासन पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ११२—स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या

११३—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

श्री अध्यक्ष—

माननीय शर्मा जी, आप बैठ जाइए। मेरे पास जो आपकी लिस्ट आती है ....

(व्यवधान)

(श्री दामोदर शर्मा के पुनः खड़े होकर बोलने की अनुमति मांगने पर)

माननीय शर्मा जी बैठ जाइए। मेरी अपनी जानकारी के लिये हर दल से और पार्टी से एक मेरे पास लिस्ट आती है, उसके सहारे से और अपने विवेक से मैं बुलाता रहता हूं। आप अपने दल के लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से अपनी बात कहें।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, मुझे बोलने का मौका दिया जाय।

*श्री अशोक वाजपेयी—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के स्वायत्त शासन के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव ---

श्री दामोदर शर्मा—

आई स्ट्रान्गली अपोज इट -----

श्री अशोक वाजपेयी—

आप मुझे क्यों अपोज कर रहे हैं, क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री दामोदर शर्मा—

मैं आपके भाषण का व्यवधान नहीं कर रहा हूं। आप अपना भाषण चालू रखिये।

श्री अशोक बाजपेयी—

मैं अपने जिले के संबंध में अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे जिले में समाचार-पत्रों के माध्यम से पता चला और बाद में आपके इस बजट से सूचना मिली है कि ५.३१ करोड़ की योजना इलाहाबाद के लिये बनायी गयी है। इलाहाबाद शहर में इलाहाबाद नगरमहापालिका १९७४ से, जब से सुपरसीड कर दी गयी है, तब से उसके बाद मैं समझता हूं कि धनराशि के रूप में यह सबसे बड़ा अनुदान है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं, लेकिन इस आवंटन में कुछ अनियमितायें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अपने सदस्यों के व्यवहार को देखें और नियंत्रित करें ।

पंचायती राज एवं ग्राम विकास मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मुझे खेद है कि एक सम्मानित सदस्य के आचरण से इस प्रकार की बात पैदा हुयी । भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं होगी ।

श्री दामोदर शर्मा—

मेरा आचरण कोई खराब नहीं है । मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है । मेरा आचरण कोई गलत नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इनकी पंचायत तो हो जाय । (शोर)

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, यह जो धनराशि आवंटित की जा रही है, इसका काफी भाग सुन्दरीकरण पर खर्च किया जा रहा है,उसको सामाजिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए खर्च किया जाय । हमारे शहर में पिछले वर्ष एक भीषण बाढ़ आयी थी जिसके फलस्वरूप शहर का ३/४ हिस्सा बाढ़ग्रस्त हो गया और वहां की समस्त सड़कें तथा गलियां और नालियां आज भी टूटी हुयी हैं । (शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, देखें पंचायत चल रही है ।

(शोर)

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, नालियों को ठीक कराने के लिये उचित धनराशि दी जाय । मान्यवर, पिछले ३० वर्षों से सिविल लाइंस की लीज समाप्त हो चुकी है । उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न कैबीनों में निर्णय हो चुके हैं और आज तक उन निर्णयों के आधार पर हरिजन भाइयों को सिविल लाइंस में पट्टे नहीं दिये गये हैं । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इन हरिजन भाइयों को सिविल लाइंस में जमीन आवंटित की जाय और उनको पट्टे देने के लिये तत्काल कदम उठाया जाय । इसके साथ-साथ इलाहाबाद में जो चुंगी चौकी है विशेष रूप से कागज और कपास पर अन्य नगर महापालिकाओं की अपेक्षा अधिक चुंगी ली जाती है । १९७७ में उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार थी तो कागज और कपास के ऊपर तत्कालीन सरकार ने एक निर्णय लिया था कि पूरे प्रदेश में एक ही चुंगी की दरें होंगीं । परन्तु विशेष रूप से मेरठ जिले में प्रोत्साहन देने के लिए क्योंकि इलाहाबाद के मुकाबले मेरठ जिले में प्रिंटिंग प्रेस अधिक हैं, चौधरी चरण सिंह के इशारे

पर तत्कालीन जनता पार्टी ने इलाहाबाद में कागज के ऊपर तीन गुनी दरें कायम कर दी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह विसंगति तत्काल दूर की जाय। जो भी कागज की चुंगी है इस प्रदेश की पांचों नगर महापालिकाओं में एक ही दर होनी चाहिए। इसके साथ-साथ वहां जो चुंगी पोस्ट हैं पिछले दो वर्षों के अन्दर कानपुर से आने वाली सड़क और लखनऊ से आने वाली सड़क पर आगे और पीछे की गयी है।

हमारे यहां फाफामऊ में एक आबामी है, जिसमें व्यावसायिक प्रतीतष्ठानों के गोदाम थे जो चुंगी की परिधि से बाहर थे। वहां पर हथकर्घा उद्योग विशेष रूप से प्रोत्साहित थे। बहुत सारे हैंडलूम चलते थे लेकिन इस समय फफामऊ को चुंगी परिधि के अन्दर रख दिया गया जिससे नगरपालिका की आय में केवल १० हजार रुपये की वृद्धि हो सकी परन्तु १० हजार गरीब बेरोजगार हो गये। मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे और अगर कोई विशेष आय नहीं हो रही है तो फाफामऊ को तत्काल नगरमहापालिका की लिमिट से तथा चुंगी की लिमिट से बाहर कर दिया जाय। जहां तक इलाहाबाद नगर महापालिका का प्रश्न है, पिछले एक वर्ष के अन्दर वर्तमान प्रशासक ने एक तरफ तो अतिक्रमण हटाने का अभियान छेड़ रखा है लेकिन दूसरी ओर उन्होंने १० छोटे-छोटे बाजारों का नीलाम किया। मैं समझ नहीं पाता कि ५०० रु० से लेकर २ हजार रुपये तक छोटे-छोटे बाजारों के नीलाम करने से नगरमहापालिका की आय में क्या वृद्धि हो सकेगी ? माननीय मंत्री जी इसे भी देख लेने की कृपा करेंगे तथा तत्काल इस तरह के अनियमित नीलामों पर रोक लगायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपने चन्द सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्वायत्तशासी संस्थाओं में कुछ ऐसी बातें आवश्यक हैं, जिनको आवश्यक रूप से कार्यान्वित होना चाहिए। नगरमहापालिकाओं, नगरपालिकाओं तथा टाउन एरियाज में सबसे पहले उनकी जल की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है ? मेरे क्षेत्र में औरैया तथा फफूंद एक नगरपालिका तथा एक टाउन एरिया है जिसमें पानी की सतह बहुत गहराई पर मिलती है। वहां जो टंकी बनी हुई है उससे शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। उसका कारण यह है कि टंकी में पानी नहीं पहुंच पाता है और उसमें कीचड़ भरी रहती है। फिर बिजली न मिलने के कारण टंकी तक पानी नहीं पहुंच पाता है। टाउन एरियाज तथा नगर पालिकाओं एवं नगरमाहापालिकाओं में सफाई पाता है। टाउन एरियाज तथा नगरपालिकाओं एवं नगरमहापालिकाओं में सफाई सफाई की व्यवस्था है, न रोशनी की व्यवस्था है। जहां यह दोनों व्यवस्था नहीं होगी वहां निश्चय रूप से बीमारियां बढ़ेंगी, उभड़ कर बीमारियां सामने आयेंगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धनी राम वर्मा—]

अखबार के जरिये सभी ने पढ़ा होगा कि आज नगरों में रोशनी की व्यवस्था पर्याप्त रूप से नहीं है, जिससे शाम को औरतें अगर गलियों में किसी काम से जाती हैं तो उनके गले से जंजीर छीन ली जाती है, उनका अपमान किया जाता है।

[समय ४ बज कर २५ मिनट]

इसीलिये तो आवश्यक है रोशनी की व्यवस्था।

मान्यवर जो जल निगम की बात आज बहुत से माननीय सदस्यों ने कही है, वह निश्चित तरीके से सफेद हाथी है। क्यों ? क्यों कि मैंने तो सार्वजनिक उपक्रम की मीटिंग में भी यह बात कही थी कि इन सब निगमों में से आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारियों को हटा दिया जाय। विरोधी पक्ष वाले चाहे न हों, सत्ता पक्ष के किसी आदमी को वहां का चेयर मैन के रूप में नियुक्त कीजिए, वह जनता के आदमी हैं, वह नियम की व्यवस्था करेंगे क्योंकि उनके ऊपर जनता का अंकुश रहेगा वह सोचेगा कि यदि मैंने ठीक काम न किया तो यह जनता मुझे कभी माफ नहीं करेगी। जल निगम में सुधार होना इस तरीके से अवश्यम्भावी है।

हमारे क्षेत्र में जो दिबियाकौट टाउन एरिया है उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसमें इतनी गंदगी है कि शाम को सूर्यास्त के बाद वहां इतने मच्छर लगते हैं कि कोई काम करना या सड़कों और गली को पार करना मुश्किल हो जाता है। पूस के जाड़े में भी कोई व्यक्ति यदि चैन से सोना चाहता है तो बिना मच्छरदानी लगाये सो नहीं सकता है। औरैया कस्बे में जल निगम की कोई व्यवस्था नहीं है और न गन्दा पानी निकालने के लिए कोई व्यवस्था है, न बरसाती पानी के निकलने के लिए कोई व्यवस्था है। पानी सड़कों पर भरा रहता है। इसी से सारी सड़कों पर कीचड़, गन्दगी बनी रहती है जिससे कि कस्बे के लोगों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अभी वहां पर मलेरिया की बीमारी फैली और इसका बहुत अधिक प्रकोप वहीं पर हुआ।

मान्यवर, नगरपालिका औरैया में शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। वहां पर ग्रामीण स्कूल नाम मात्र के हैं। अभी बस केवल एक स्कूल खुलवाने का प्रस्ताव किया गया है। मेरी प्रार्थना है कि नगरपालिका औरैया में दूसरे जगहों की तरह वहां पर भी स्कूल खुलवायें जांय। दिबियापुर, औरैया तथा फफूंद में कम से कम तीनों जगह तीन-तीन पाठशालायें छोटे बच्चों की शिक्षा के लिये खुलवायें। यह शिक्षा की व्यवस्था पीने के पानी की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था सरकार अवश्य करे। जन स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करें। लोगों के खेलने के लिये पार्क भी बनवाये। इटावा जिले में जो कस्बे हैं वहां कहीं भी कोई पार्क नहीं है।

मान्यवर, मैं इटावा कस्बे की बात बताता हूं वहां पर जहां मेरा मकान है वहां पर सब पी० सी० एस० आफिसर्स रहते हैं मनोहर कालोनी में, कल्पना नगर में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिविल लाइन्स में आज तक न तो पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है। पानी सड़कों पर भरा रहता है और इतनी गन्दगी वहां पर फैलती है कि लोगों निकलना वहां पर मुश्किल हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप वहां पर जल निकास की व्यवस्था करायें । चाहे बरसात का पानी हो, चाहे गन्दी नालियों का पानी हो । मान्यवर, मैं यह भी चाहूंगा कि दिबियापुर कस्बे में बरसात के मौसम में एक बीच में तालाब पड़ता है उसके पास पहले एक माइनर थी, उस माइनर को समाप्त कर दिया गया है और इसके कारण वहां पर आस-पास रास्ता चलने में, रजबहा खोलने में दिक्कत होती है । पानी वहां घुस कर कस्बे के अन्दर मकानों में घुस जाता है । वहां के रहने वाले लोगों ने स्वयं व्यवस्था की, खुद कई लोगों ने जल निकासी की व्यवस्था की फिर भी कई मकान धराशायी हो गये । मैं चाहता हूं कि औरैया और दिबियापुर में पेय जल व्यवस्था हो जाय ।

पिछले साल इसके लिये २९ लाख रुपया स्वीकृत हुआ था, इस साल डा भी हो गया है आज तक वहां पर जल निगम की कोई व्यवस्था नहीं हुई । जल संस्थान ने कई योजनायें प्रारम्भ की थी ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, सारे के सारे पैसे रखे हुए हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी आप हमारे औरैया कस्बे, फफूंद कस्बे और दिबियापुर कस्बे में गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था करें ।

माननीय मंत्री जी हमारे औरैया कस्बे में गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था करें और जो जल निगम के पास २० लाख रु० पड़ा हुआ है उससे पीने वाले पानी की टंकियां बनवाने की व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष—

साढ़े चार बज रहे हैं । माननीय मंत्री जी आप कितना समय लेंगे ? क्योंकि अगर आप कम समय लें तो हम एक दो को एडजस्ट कर सकते हैं ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (स्वायत्त शासन मंत्री)—

एक-दो को बुलवा लीजिए ।

श्री दामोदर शर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । बड़ी आवश्यक और मुश्किल बातों की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता

[श्री दामोदर शर्मा—]

हूं। मुख्य बात यह है कि इनसे पहले जो स्वायत्त शासन मंत्री थे, श्री राम सिंह खन्ना जी उन्होंने, मेरठ नगरपालिका की जो प्रथम श्रेणी की नगरपालिका है, उसको महापालिका बनाने की बात कही थी और मुझे इस बात का दुःख है कि आज मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। मेरा उनसे पुनः अनुरोध है कि वे अपने बजट भाषण में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे कि मेरठ को नगर महापालिका बना दिया गया है। मान्यवर, दूसरी बात जो इस किताब के अन्दर छपी है, काजीपुर, सहारान जाहिदपुर, काशीपुर, घोसीपुर और नोनहरा आदि जो गांव हैं वे मेरठ शहर से लगे हुए गांव हैं और मेरी कान्स्टीट्वेन्सी में आते हैं, उनमें कई सड़क की बिजली की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। मैं चाहता हूं कि जो नजदीक के गांव हैं और जो हरिजनों की बस्तियां हैं उनमें बिजली का प्रबन्ध किया जाय तथा खरंजे बिछवाने का प्रयास इस बजट में किया जाय।

दूसरी बात आवास विकास योजना के अन्तर्गत इस बजट में जो मकान बन रहे हैं, उनके संबंध में मेरा अनुरोध है कि मेरठ के अन्दर जो आवास विकास के मकान बन रहे हैं वहां सीमेन्ट का बहुत ब्लैक किया जाता है। वहां इंजीनियर्स के द्वारा और ठेकेदारों के द्वारा सीमेन्ट ब्लैक किया जा रहा है उसको अविलम्ब चेक कराने की कृपा करें। तीसरी बात मान्यवर जी इस किताब के अन्दर छपी हुई है उसके सम्बन्ध में यह कहना है कि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं उसका नाम है टाउन खरखौंदा। इस किताब में इस टाउन एरिया का कोई जिक्र नहीं है। उस पूरे टाउन एरिया के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। मेरा सुझाव है कि खरखौंदा में पानी की व्यवस्था की जाय, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था का प्रबन्ध कराया जाय। सीवर लाइन की व्यवस्था जल निगम के लोगों से जांच पड़ताल करवाने के बावजूद भी नहीं की गई। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस टाउन एरिया में सीवर की भी व्यवस्था कराई जाय। मान्यवर, मेरठ में आवास विकास योजना के अन्तर्गत हापुड़ वाली सड़क पर करीब डेढ़ सौ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इस कब्जे में हमारे शहर के बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस अवैध कब्जे को हटाया जाय। ताज्जुब है कि इस प्रकार का अवैध कब्जे क्यों हो रहे हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरठ शहर से लगा हुआ लिसाड़ी (नूरनगर) मुहल्ला है। वहां पर पूरी आबादी हरिजनों की है। यहां पर मेरठ लिसाड़ी सड़क है जिसकी हालत बहुत खराब है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उन अधिकारियों को निर्देश दें, जिससे कि लिसाड़ी की सड़क ठीक की जाय ताकि वहां पर जो हरिजन रहते हैं वे उसका फायदा उठा सकें।

सफाई कर्मचारियों के बारे में माननीय मंत्री जी ने सुबह घोषणा की थी। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद आज भी ये गरीब लोग मैला ढो रहे हैं। इनकी व्यवस्था स्वायत्त शासन विभाग अवश्य करेगा।

९—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका, अनुदान संख्या ४२—आवास एवं नगरभूमि, अनुदान संख्या ७९—स्वायत्त शासन पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ११२—स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या

११३—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

इन शब्दों के साथ मैं जो माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जांय। मैं अब कटौती के प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को बुलाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैंने जो बात सुनी उसके संबंध में बात आप के सामने रखना चाहता हूं। मैं हर बात को सदन के सामने रख देना चाहता हूं। मैंने यह सुना कि पूरब में आतंक छाया हुआ है, पश्चिम वालों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं जिलों के नाम पढ़ देना चाहता हूं। श्री श्याम लाल बाजपेयी (बाराबंकी), श्री धर्म सिंह (बुलन्दशहर), श्री नरेशचन्द्र अग्रवाल (हरदोई), श्री कैलास टण्डन (वाराणसी), श्री ओम प्रकाश जिन्दल (आगरा), श्रीमती प्रेमवती तिवारी (लखनऊ), डा० कृष्ण वीर सिंह कौशल (आगरा), श्री (मोहम्मद रफी सिद्दीकी (लखनऊ), श्री कमला प्रसाद सिंह(जौनपुर), श्री अशोक बाजपेयी (इलाहाबाद), श्री दामोदर शर्मा (मेरठ)।

***श्री कन्हैया लाल—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं सदस्यों का जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया खास तौर से उधर बैठने वाले सदस्यों का जिन्होंने आलोचना की और मैंने जिन शब्दों में की थी उनसे भी सख्त शब्दों में आलोचना उन्होंने की। इससे यह जाहिर होता है कि इस बजट को प्रस्तुत करने में मंत्री जी को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए थी और आगे काम करने में बड़ी सावधानी रखनी होगी ! अध्यक्ष जी (व्यवधान) हमारे धर्मीसंह जी ने बहुत जल्दी चुनाव कराने के लिये निवेदन किया। माननीय सदस्य वाराणसी ने नगरपालिका को नरकपालिका कहा। प्रेमवती जी ने कहा कि वगैर पानी के यह सरकार उसका टैक्स लेती है और उधर के एक सदस्य ने कहा कि पानी तो है ही नहीं क्या पानी देंगे? एक बात माननीय ओम प्रकाश जिन्दल ने कही और हमारे ऊपर आक्षेप लगाया कि हम अंग्रेजों के खैर-ख्वाह हैं। यह बात हमें बहुत पिंच की। मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा विवेचना करें इधर के बैठने वालों और उधर के बैठने वालों की। आप पायेंगे कि अंग्रेजों की खुशामद करने वाले उधर अधिक हैं या इधर अधिक हैं। मुझे मालूम है जिनके अंग्रेजों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हैं, घोड़ों को टापों से निरीह जनता को रौंदा है, ये उधर के बैठने वाले लोग ही हैं और आज हमको कहते हैं कि हम अंग्रेजों के खैर-ख्वाह हैं। मैं नाम बता सकता हूं कि किन-किन के अंग्रेजों ने क्या-क्या किया। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा इस बारे में नहीं कहना चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो दो-एक बातें मेरी छूट गई थीं, उनको मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बताना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल]

अभी-अभी मथुरा में हड़ताल हुई ऑक्ट्राई के बारे में । आज तक कभी हड़ताल नहीं हुई थी और इसका कारण यह था कि आपके डाइरेक्टोरेट से डाइरेक्शन गया और ऑक्ट्राई एकदम बढ़ा दी गयी । पहले इसके लिये प्रचार होता था ऐतराज मंगे जाते थे । यह कुछ नहीं किया गया और एकदम बढ़ा दिया गया इसलिये मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसकी जानकारी करा लें ।

इसके अतिरिक्त वहां पर गोवर्धन टाउन एरिया में एक रुपया प्रति व्यक्ति टोल टैक्स लिया गया था जो कि वहां के उसके परिक्रमा मार्ग के लिये उसमें सुधार करने की दृष्टि से इकट्ठा किया गया था । यह हर व्यक्ति पर चाहे वह पैदल चलने वाला हो या साइकिल पर चलने वाला हो, सब पर लगाया गया था । अब उसको कम करके ४ आना प्रति व्यक्ति कर दिया गया है । इस तरह से मान्यवर, उसमें १५ लाख रुपया इकठ्ठा हो गया था । लेकिन उसका अभी तक नहीं हुआ । मान्यवर, वहां पर एस० डी० ओ० एडीमिनिस्ट्रेटर होता है और वह २/३ महीने के लिए रहता है फिर दूसरा आ जाता है और इस वजह से उस पैसे का अभी तक सदुपयोग नहीं हो सका ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, रिजर्वेशन के मामले में मैंने आपको आंकड़े दिये थे । जल निगम है उसमें रिजर्वेशन के नाम पर कोई नियुक्त नहीं किया जाता है । वहां पर दो चीफ इंजीनियर हैं एक हरिजन नहीं है, दो एडीशनल इंजीनियर हैं, कोई हरिजन नहीं है, ४७ एस० ई० हैं, कोई हरिजन नहीं है । २०० एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं केवल ५ हरिजन हैं और असिस्टेंट इंजीनियर केवल ८ हरिजन हैं । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप रिजर्वेशन के मामले में सख्ती बरतें । मथुरा के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि वहां पर इस विभाग में अभी पिछले दिनों भरती हुई थी किन्तु एक भी शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति नहीं रखा गया । वहां पर इन लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन किया । अभी तक कुछ नहीं हुआ । वहां पर एक रामजी लाल कम्पाउन्डर थे जब छंटनी हुई तो २२ आदमी जो उनके नीचे थे, उनमें से किसी को न हटाकर इनको हटाया गया । आज तक व बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं तो जब यह हालत हो तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप रिजर्वेशन का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं लेकिन किस प्रकार पूरा होगा, मैं नहीं जानता ।

वैसे ही जो आवास विकास परिषद् से मकान बनते हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में आपको मालूम ही है कि वह किस प्रकार के हैं, मकान बन कर तैयार नहीं होते हैं वह टूटने शुरू हो जाते हैं । माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे खोदायी जी का नाम लिया मैं नहीं जानता हूं उनसे मेरा परिचय नहीं है लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ी है । एक ही परिवार के लोगों को ५ मकान जो गरीब वर्ग के लिए बने हैं मुखतलिफ स्थानों पर एलाट हो गये हैं । इलाहाबाद में बाघम्बरी योजना में ७/५ श्री सूर्य प्रकाश कौशल, लखनऊ में अलीगंज योजना में ३/८०६ मंजू कौशल उनकी पत्नी के नाम, राम सागर मिश्र में बी/२३२० श्रीमती चंद्रावती, ३/८०४ मंजू कौशल की सास के नाम ३/८०५ रामेश्वरी जिठानी के नाम और उनमें वह स्कूल चला रही हैं ।

११२—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस बात की जानकारी करें और सख्ती बरतें क्यों यह गलत काम हुआ है। इस प्रकार जो गरीब लोगों के लिए मकान बने हैं उनमें से १०, १० एक ही आदमी के नाम एलाट हो जायेगा तो उनका भला कैसे होगा ?

इसी तरह से गोरखपुर में एक गांव के नाम से योजना बनी रसूल पुर गांव भी है और मोहल्ला भी है नक्शा गांव के नाम से बना लेकिन मकान मोहल्ले में बन गये। आपके जो अधिकारी हैं, वह मौके पर जाते नहीं हैं वगैर देखे ही काम कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

समय का भी ध्यान रखें।

श्री कन्हैया लाल—

एक बात और अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं टैक्स आप बढ़ाते जा रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि नो 'रिप्रजेंटेशन नो टैक्सेसन' वाली बात होनी चाहिए अगर रिप्रजेंटेशन नहीं है तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन बजट को संतुलित करने के लिए लगा रहे हैं। राधापुर, गोवर्धन सैंतपुर में आपने एक रुपये की जगह २० रु० और २५ रु० टैक्स कर दिया है और ६ रु० के स्थान पर ९० रु० कर दिया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसका कोई सिद्धांत होना चाहिए। ६ रु० देने वाला गरीब आदमी होता है उसके लिए ९० रु० देना संभव नहीं है। मैंने टैक्स अधिकारियों से कहा था कि कोई तरीका होना चाहिए दुगुना या ढाई गुना हो तो उसमें कोई सामंजस्य है लेकिन इस प्रकार तो करना गलत है। इसलिए इसको देखने की कृपा करें।

सिकंदराबाद में एक पी० सी० एस० अधिकारी वहां नियुक्त हुआ है बदकिस्मती से वह शैड्यूलकास्ट का है वह राजस्थान में पी० सी० एस० १७ साल रह चुका है लेकिन अपने घर के मोह से यहां आ गया। वहां पर उसने कुछ वाटर टैक्स में सख्ती की है जिसके कारण से वैसटेड इंटरेस्ट के लोग हैं जिनको संरक्षण प्राप्त है, उसके पीछे लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसकी किसी निष्पक्ष व्यक्ति से जांच करा कर देख लें वाकई वह गलत है या सही है अगर गलत है तो फिर अलग हो जाना चाहिए। लेकिन केवल शैड्यूलकास्ट या उसकी ईमानदारी के नाम पर किसी को विक्टीमाईज या ह्यूमिलेट किया जाए, तो यह चीज शासन के हित में नहीं है।

नगरपालिकाओं के नीचे जो टाउन एरिया हैं, उनको आप बढ़ाने जा तक की ही हैं और ऐसी-ऐसी अभी तमाम गांव सभाएं पड़ी हैं, जिनकी आबादी १२/१२, १४/१४ हजार है। अतः मैं चाहूंगा कि आप इस चीज का पहले कोई सर्वेक्षण करा लें और उसके आंकड़े देख लें, फिर सामंजस्य स्थापित करके ही टाउन एरिया घोषित करने का काम करें। जिनकी आबादी ज्यादा है उनको आप टाउन एरिया डिक्लेयर करें और जिनकी कम हैं उनको न करें। मथुरा जिले में अड़ीग, मगोंजा, बछगांव, माट, विसावर आदि तमाम ऐसे ग्राम हैं, इनकी आबादी ८-८, १०-१० हजार है जबकि वे अभी ग्राम समाज पड़े हुए हैं जबकि दो-दो चार-चार हजार आबादी की टाउन एरिया बनी हुई हैं। तो आप किसी के साथ भी सौतेला व्यवहार न करें।

[श्री कन्हैया लाल—]

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मथुरा की एक समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वहां साड़ी छपाई का काम एक बड़े उद्योगों के रूप में चल रहा है, उनकी धुलाई जमुना के जल में होती है, जिसके कारण यहां से लेकर भावन तक जमुना का पानी बिलकुल रंगीन हो जाता है और आगे चलकर आगरा में वही पानी पीने के काम आता है। मैं चाहता हूं कि उसके लिए कोई बाईलाज बनाकर इस गंदगी पर नियंत्रण किया जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि यह कार्य बन्द हो जाए, लेकिन उससे उत्पन्न प्रदूषण को अवश्य रोका जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपकी आज्ञा मानकर कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री कृष्ण गोयल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समस्त सदस्यों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हमें बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, मुझे उससे बहुत लाभ होगा। मैं सब बातों के बारे में बताना चाहता हूं। कन्हैयालाल जी तथा अन्य कुछ सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की कि स्वायत्त शासन विभाग का नाम बदल कर नगर विकास या अरबन डेवलपमेंट विभाग कर दिया गया है और अब उनके नीचे के निकायों पर कुठाराघात किया जायेगा। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि लोकल बाडीज बिलकुल अलग बात है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिलकुल अलग बात है। यह नाम परिवर्तन यहीं नहीं किया गया है जो अंग्रेजों के समय का दिया हुआ है, कई प्रदेशों में इसका नाम बदला गया है देश के हर भाग में नाम बदल कर यह कर दिया गया है। टाउन एरिया और नोटीफाईड एरिया आदि वैसे ही रहेंगी और उसी तरह कार्य संचालन करती रहेंगी। इस नाम परिवर्तन का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी को कोई ऐसी आशंका करने का कोई कारण नहीं है कि अब लोकल बाडीज के अन्तर्गत टाउन एरिया, नोटीफाईड एरिया को खत्म कर दिया जाएगा या उसमें काफी चेंज कर दिया जाएगा। इससे एक लाभ यह भी होगा कि विभागीय अधिकारियों में यह भावना पैदा होगी कि उनको गवर्न नहीं करना है, बल्कि उनको नगरों का विकास करना है। इसके पीछे, इसके अलावा अन्य कोई भावना नहीं थी शासन की।

एक और बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था, कोई बरेली की फर्म है, जिसको पाईप में मोनोपोली प्राप्त है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में टेण्डर आमन्त्रित किये जाते हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे ही पाईप खरीदे जाते हैं। इसके विपरीत यदि आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमारे चैम्बर में आकर दे दें, मैं उस पर सख्त कार्यवाही करूंगा, क्योंकि हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी जो हैं, वह भ्रष्टाचार को सहन करने वाले नहीं हैं और मैं भी जब तक अपने पद पर हूं किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बरदाश्त करने वाला नहीं हूं और न लिथार्जी ही बर्दाश्त करने वाला हूं। आज बजट में भी और प्रश्नों के उत्तर देते समय भी मैंने कहा था कि जो अधिकारी या कर्मचारी काम में रोड़े अटकाते हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जायगा।

बाल्मिकी भाइयों के बारे में कहा गया जो झाड़ू लगाने और सफाई करने का काम करते हैं कि उनको वेतन समय पर नहीं मिल पाता है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्णय लिया है कि उनके वेतन का इन स्वायत्त शासी संस्थाओं पर पहला चार्ज होगा। अर्थात् जो भी नगर पालिकाओं में धन उपलब्ध होगा सबसे पहले उनको तन्ख्वाह दी जायेगी बाद में अधिकारियों को मिलेगी। यह एक क्रान्तिकारी कदम है कि पहले बाल्मिकी कर्मचारियों को वेतन मिलेगा अधिकारियों को नहीं।

यहां पर सीलिंग के बारे में बात उठायी गयी। इसके लिए कैबिनेट की एक सब कमेटी सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में बन गयी है। उसमें मैं भी एक सदस्य हूं। काफी भूमि उपलब्ध हो गयी है जिसका कब्जा जिलाधिकारी दिलायेंगे, और शीघ्र ही एक मीटिंग होने वाली है जिसमें उस भूमि का निस्तारण किया जायेगा। मैंने प्रदेश के समस्त अर्बन सीलिंग अधिकारियों को इस मामले में शीघ्रता बरतने के आदेश दे दिए हैं ताकि जो भूमि उपलब्ध हो उसे वीकर सेक्सन के लिए मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जा सके या उनको दी जा सके।

जहां तक नगर महापालिकाओं, नगर पालिकाओं, टाउन एरियाज में नौकरियों में परसेन्टेज दिखाने की बात है, मैं जानता हूं कि बाल्मिकियों को जोड़कर परसेन्टेज दिखाया जाता है। मेरे विचार में उनको छोड़ देना चाहिए। इस कमी को भी पूरा कराने का प्रयास किया जायेगा।

माननीय बाजपेयी जी ने कहा, जो अब चले गये हैं, कि आदेशों की विभाग में अवहेलना होती है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब इस विभाग में आदेशों की अवहेलना होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। दूसरे जहां तक जन प्रतिनिधियों के सम्मान का प्रश्न है कि वह नहीं होता है, मैंने समस्त अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जितने भी जन प्रतिनिधि हैं, उनका वे सम्मान करें और चूंकि हमारी टाउन एरियाज में और नगर पालिकाओं में चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं लिहाजा विधान सभा और विधान परिषद् और संसद के माननीय सदस्यों से सलाह मशिवरा करके उनके क्षेत्रों में काम करें और एक महीने में इन्फार्मल मीटिंग करके उनके बहुमूल्य सुझाव लेकर उनके क्षेत्रों में डेवलपमेंट के काम करें।

झांसी वास्तव में एक ऐतिहासिक शहर है। वहां की समस्याओं के बारे में आप मुझसे मेरे चैम्बर में भी मिले थे। उस शहर के सुन्दरीकरण के बारे में जो भी सम्भव होगा, अवश्य किया जायेगा। वहां की पेय जल की समस्या के बारे में जो कठिनाई बतायी गयी उस पर भी कार्यवाही की जायेगी। अभी कुछ दिन पूर्व माननीय राज्य मंत्री जी वहां देखकर आये हैं। उसको भी हेल करने की कोशिश की जायेगी।

आगरा नगर के बारे में डाक्टर कौशल ने और माननीय जिन्दल जी ने कुछ समस्यायें उठायी। कहा गया कि वहां पर जो कॉम्पलेक्स बनाया जा रहा है उसमें बाहर के लोग आकर खोद रहे हैं। उसके बारे में मेरा निवेदन है कि हम आक्शन करते हैं, कोई भी ले सकता है लेकिन जहां तक दूसरी बात है कि कोई ब्लॉक हरिजनों के लिए अलग से

[श्री श्रीकृष्ण गोयल—]

बनाये जा रहे हैं। अगर इस तरह से ब्लाक बनाये गये हैं तो मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस प्रकार का रिजर्वेशन ब्लाक लेवल पर नहीं होना चाहिए। जो भी रिजर्वेशन हो वह पूरे कॉम्पलेक्स में हो, उनको कहीं भी दिया जा सकता है जिससे यह न मालूम हो सके कि हरिजनों का ब्लाक अलग है और सवर्णों का अलग ब्लाक है।

जहां तक एन्क्रोचमेन्ट का सवाल है इनको हटाने के लिए निश्चित आदेश दिये गये हैं और उसमें कोई ढिलाई अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से नहीं बरती जायेगी। मैंने यह भी आदेश दिए हैं कि जिस क्षेत्र में जो भी अधिकारी और इन्सपेक्टर हो वहां पर एन्क्रोचमेंट तो हटाया ही जाय साथ में उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये जिनकी साठगांठ से ही एन्क्रचमेंट कराये गये हैं। डिवीजनल मीटिंग की जहां तक बात थी और उसमें हमारे माननीय विधायक ने कहा कि डिवीजनल मीटिंगों में माननीय विधायक को बुलाया जाय। मैं आदेश दूंगा कि जब कभी भी डिवीजनल मीटिंगें हों, उसमें माननीय संसद सदस्यों तथा माननीय विधायकों को भी बुलाया जाय ताकि उनके बहुमूल्य सुझाव मिल सकें और उसके अनुसार काम हो सके। जैसा पियरलेश स्कीम के बारे में तथा अन्य बातों के बारे में बताया गया, इन सारे मामलों के अन्दर जांच करने की बात है। अगर कोई अनियमितता की गयी है, तो उसके अन्दर चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वह दोषी पाया जायगा, तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी। जहां तक आगरा के सुन्दरीकरण की कार्यवाही की बात है, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि उसके लिए २ करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया है। उसके लिए मीटिंग हम जल्द ही करने वाले हैं। महात्मा गांधी रोड की जैसा आपने कहा कि इनक्रोचमेंट हटाया गया था, वह फिर कर लिया गया। मैं आदेश दूंगा कि वह इनक्रोचमेंट हटाया जाय और जिस अधिकारी की लापरवाही से इनक्रोचमेंट हुआ है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी।

पानी की व्यवस्था के लिए आपने बताया कि जहां पर एलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वहां सिविल इंजीनियर कर दिये जायं। तो उसको भी ठीक कर दिया जायगा। आपने जांडिस के बारे में कहा, अगर पानी में खराबी है, तो हम पानी का टेस्ट करवा लेंगे। जो अधिकारी दोषी पाया जायगा, उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायगी। हमारे रफी सिद्दीकी साहब ने लखनऊ के संबंध में जो बताया, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी की जायगी। जितने भी माननीय सदस्यों ने जितनी भी समस्या बताये हैं, उन पर गम्भीरता से विचार किया जायगा ताकि इस विभाग से भ्रष्टाचार दूर हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कन्हैया लाल जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को इसलिए वापस ले लें कि इसमें तो वैसे ही धन बहुत कम उपलब्ध है, उसमें कटौती कर देंगे, तो झाड़ू और सफाई का इन्तजाम कैसे हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कन्हैयालाल जी आप प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

९—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका, अनुदान संख्या ४२—आवास एवं नगरभूमि, अनुदान संख्या ७९—स्वायत्त शासन पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या ११२—स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या ११३—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

श्री कन्हैयालाल—

नहीं मान्यवर, प्रस्ताव कैसे वापस लूंगा, एक भी सदस्य ने तो इनका समर्थन नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ९ स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४२,७५,४९,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२ आवास एवं नगर भूमि विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४२ आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,५२,५०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७९ स्वायत्त शासन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७९—स्वायत्त शासन विभाग पूंजी गत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११२-स्वायत्त शासन विभाग ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११२ स्वायत्त शासन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ९,७४,४०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११३-स्वायत्त शासन विभाग ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११३-आवास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १९,३७,९६,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत १२ सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें से ५ श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री हरी किशन श्रीवास्तव, श्री हीरबंश सहाय, श्री मोहन सिंह, श्री प्रदीप कुमार

यादव, श्री राम गोविन्द एवं श्री अकबर हुसैन की सूचना, जो २५/२६ फरवरी की अर्ध रात्रि को आगरा-लखनऊ रात्रि कालीन बस को गुरु सहाय गंज तथा छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के बीच जी० टी० रोड पर, बस के गार्डों की रायफल छीनकर बदमाशों द्वारा लूटपाट करने एवं चार लड़कियों का आपहरण करने के सम्बन्ध में हैं, स्वीकृत हुई हैं और बाकी सभी अस्वीकार हुई ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में पुलिस द्वारा एक प्रवक्ता की पिटाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ।

नियोजन मंत्री (श्री बहुगुणा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर रेलवे स्टेडियम में दिनांक १३ फरवरी, १९८१ से इन्टर रेलवे हाकी टूर्नामेन्ट आयोजित थी । इस अवसर पर भारी भीड़ होने की संभावना को दृष्टि में रखते हुये प्रत्येक दिन के लिये पुलिस/आर० पी० एफ० की समुचित व्यवस्था की गयी थी । दिनांक २० फरवरी, १९८१ को लगभग २.०० बजे दिन में भीड़ का एक भाग अनियंत्रित हो गया जिसने शोर मचाकर तथा अशोभनीय छीटाकशी करके दर्शकों में व्यवधान उत्पन्न कर दिया । स्थिति में सुधार हेतु बार-बार दी जाने वाली चेतावनियों के विफल होने पर पुलिस/आर० पी० एफ० को हस्तक्षेप करना पड़ा जिससे शरारती तत्व स्टेडियम से भाग गये और खेल सुचारु रूप से चलता रहा । बाद में विश्वविद्यालय के एक अध्यापक ने यह आरोप लगाया कि पुलिस/आर० पी० एफ० ने अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करते समय उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उन्हें कुछ चोटें आई । उन्होंने पुलिस में इसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई है । इस घटना से विश्वविद्यालय के अध्यापक, कर्मचारीगण तथा छात्र काफी क्षुब्ध हुए । दिनांक २१ फरवरी, १९८१ को छात्रों की एक टोली ने विश्वविद्यालय के उत्तरी द्वार के निकट रोडवेज की एक बस को रोककर जला दिया । सिंचाई विभाग की एक ट्रक को भी रोक कर जलाने का प्रयास किया गया, किन्तु पुलिस के समय से पहुंच जाने से यह प्रयास विफल हो गया । इसके तुरन्त बाद ही विश्वविद्यालय छात्रावास के निकट स्थित बस स्टेशन में खड़ी रोडवेज बसों पर छात्रों द्वारा पथराव किया गया जिससे शीशे क्षतिग्रस्त हो गये । पुलिस की उपस्थिति के कारण उपद्रवी लोग और कुछ न कर सके । कुछ समय पश्चात् कुछ छात्रों द्वारा छात्रावास के निकट स्थित नलकूप निरीक्षण भवन की सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने का असफल प्रयास किया गया । सम्भावित अशांति की आशंका को देखते हुये कुलपति ने विश्वविद्यालय को २८ फरवरी, १९८१ तक के लिये बन्द कर दिया । स्थिति सामान्य है एवं उस पर दृष्टि रक्खी जा रही है ।

मान्यवर, मुझे यह भी सूचना देनी है कि शासन ने समस्त मामले की जांच गोरखपुर आयुक्त से कराने का निर्णय लिया है और उन्हें इसके आदेश भेज दिये गये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो अध्यापक स्वयं स्पोर्ट्स के लेक्चरार हैं, वहां गये थे और उनके साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया है, इतना बड़ा

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]—

काण्ड हो गया कि यूनिवर्सिटी को बन्द करना पड़ा और तब शासन के संज्ञान में यह बात आयी तो क्या उसकी जांच करायी गयी और जांच में क्या तथ्य आये तथा पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

आयुक्त गोरखपुर को इसकी जांच सौंप दी गई है और सब तथ्य जांच में आ जायेंगे ।

श्री कुबेर भण्डारी—

जब बसों पर पथराव हुआ और उसके शीशे टूट गये तो किसी को चोट आयी और क्या उसकी रिपोर्ट लिखायी गयी ? इसकी कोई सूचना आपके पास है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

चोट आने की तो कोई सूचना नहीं है । बसों पर पथराव किया गया ।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर तो आया है कि बसों पर पथराव हुआ और शीशे क्षतिग्रस्त हुए ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

जिस समय खेल चल रहा था रेलवे के स्टेडियम में, उसका अपना स्टेडियम है, उस समय वहां छात्र भी जाते हैं और बुद्धिजीवी लोग भी जाते हैं, उस बस को मैंने अपनी आंखों से रोडवेज बस स्टाफ जाते देखा है, तो क्या छात्रों को केवल अपमानित करने की ही मंशा है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

शासन का छात्रों के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण रवैया हमेशा रहा है । समस्त तथ्य कमिश्नर की जांच के बाद आ जायेंगे ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

जिस अध्यापक को चोट आयी क्या उसका मेडिकल कराया गया और उसकी रिपोर्ट आयी है, उसको चोट लगी है और उसने कोई रिपोर्ट वाइस चांसलर को की ? जो रिपोर्ट गवर्नमेन्ट में आयी है क्या गवर्नमेन्ट ने उस रिपोर्ट को एफ० आई० आर० की तरह दर्ज कराया ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अध्यापक ने कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी है । उप कुल पति को जो पत्र लिखा है वह भी जांच का एक विषय है और गोरखपुर के आयुक्त उस पर भी जांच करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

मैडिकल रिपोर्ट क्या है और भीड़ को कण्ट्रोल में रखने के लिए चेतावनी किसने दी और भीड़ जब कण्ट्रोल में नहीं आयी तो आर० पी० एफ० को कण्ट्रोल करने के लिए आदेश किसने दिया ?

श्री बृहम दत्त—

मान्यवर, यह आदेश तो जो वहां पर स्थानीय अधिकारी थे, उन्होंने दिये हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मन्त्री जी की जो रिपोर्ट है उसकी एक लाइन पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के एक अध्यापक ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने अनियन्त्रित भीड़ को नियंत्रित करते समय उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया । यानी अध्यापक का कहना है कि अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिये पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा । क्या माननीय मंत्री जी वह पत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें उक्त अध्यापक ने यह कहा है ?

श्री बृहम दत्त—

मान्यवर, "अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करते समय" तो क्वालीफाइंग वर्ड्स हैं जो अपनी तरफ से प्रयोग किये गये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी माननीय मन्त्री जी के उत्तर से यह बात स्पष्ट हुई कि सम्बन्धित प्राध्यापक ने कुलपति को एक पत्र लिखा है, वह भी जांच के लिये भेज दिया गया । नम्बर दो, आयुक्त को जांच के आदेश आपने अभी-अभी किये होंगे जब प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया होगा । तो मान्यवर, २८ तारीख तक विश्वविद्यालय बन्द है । क्या ऐसी परिस्थितियां वहां उत्पन्न हो गयी हैं कि पहली मार्च को विश्वविद्यालय खुल रहा है ?

श्री बृहम दत्त—

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि पहली मार्च को रविवार है, २ तारीख को पूरी आशा है कि खुल जायगा । इस सदन के सदस्यों की कृपा बनी रहेगी तो जरूर खुल जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पत्र पढ़ने के लिये कहा था ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मैडिकल रिपोर्ट क्या है, जरा सुना दिया जाय ।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, मैडिकल रिपोर्ट में कुछ चोटें हैं और उंगली में फ्रैक्चर है।

एक सदस्य—

कितनी चोटें हैं और किस प्रकार की चोटें हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, पहले उनका पत्र मैं पढ़ रहा हूं—

सेवा में,

कुलपति महोदय,

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

महोदय,

आज दिनांक २०-२-८१ को अपरान्ह रेलवे स्टेडियम में हो रहे हाकी मैच में पवेलियन में बाई ओर ऊपर से पांचवीं लाइन में अपने कई साथियों तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों जिनके नाम निम्न हैं :

१—श्री आनदेश्वर पाण्डेय,

२—मु० बैंस सिद्दीकी

३—श्री राजनारायण सिंह

४—श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी

के साथ बैठकर देख रहा था। बीच-बीच में खेल के ऊपर हूटिंग भी हो रही थी। इसी बीच कई बार श्री साहेब शरण जो टूर्नामेन्ट कमेटी के सदस्य भी हैं, बाल उठाने के लिए लड़कों को जो हमारे ही आस-पास बैठे थे बुलाया लेकिन उनके कई बार बुलाने के बाद भी लड़के नहीं गये। जब वे अपनी जगह पर चले गये तो कुछ लोगों ने जोर-जोर का हूटिंग करते हुए नारा लगाया "वर्दी वाले बाल उठाएगे" जिससे उनका इशारा लाल ब्लैजर पहने रेलवे की टूर्नामेण्ट कमेटी के सदस्यों से था क्योंकि वे था क्योंकि वे बच्चे आज पूरा टिकट का पैसा देकर आए थे न कि प्रतिदिन की तरह बाद पिकर्स गेट पास पर जैसा कि उन बच्चों ने बताया। इसी पर बीच में आगे बैठे श्री जी० एन० सिंह कैंट थानाध्यक्ष अपने स्थान से गुस्से में वहीं से मेरी ओर इशारा करते हुए कहा-"मूंछ उखाड़ लो और मारो" इस पर सामने जमीन पर बैठे हुए यू० पी० पुलिस के सिपाही एवं पी० ए० सी० के जवान हमारी ओर इशारा करते हुए बढ़े। उसी बीच थानाध्यक्ष ने कहा-"इस मास्टर को पकड़ लो।" इतने में ही बीच पचीस वर्दी धारी सिपाहियों ने धावा बोल दिया और मुझे जूते, डंडे तथा बंदूक के कुन्दे से मारा जिसकी डाक्टरी मुआइने की रिपोर्ट संलग्न है। इसके बाद मुझे जीप में बैठाकर कैण्ट थाने मारते हुए ले गये और बीस मिनट तक मुझको वहीं रोके रखा। इसके बाद श्री जी० एन० सिंह, कैण्ट थानाध्यक्ष स्वयं लौटकर आए और मुझे वापस

स्टेडियम पहुंचाये। पुलिस ने जब मारधाड़ शुरू किया उस समय दिन में लगभग सवा दो बज रहे थे।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मान्यवर, मेडिकल रिपोर्ट क्या हुई ?

जब प्रोफेसर ने लिखित रिपोर्ट वाइसचांसलर को दी तो वाइसचांसलर ने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करायी ? रिपोर्ट तो मौखिक भी होती है लिखित ही नहीं होती है।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, अध्यापक ने कुलपति को रिपोर्ट भेजी और उन्होंने गृहसचिव को भेजी उसी पर कार्यवाही की गयी।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मेडिकल रिपोर्ट क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मेडिकल रिपोर्ट इस प्रकार है :—

(१) एब्राइज्ड कन्टयूजन २ सी० एम० एक्स० १/२ सी० एम० आन दि टाप आफ दि हेड।

(२) एब्राइज्ड कनट्यूजन ४ सी० एम० एक्स ३ सी० एम० आन दि आकिपिटल रीजन आफ दि हेड।

(३) ट्रामेटिक स्वेलिंग ६ सी० एम० एक्स ४ सी० एम० आन दि राइट टेम्परल रीजन।

(४) कनट्यूजन ३ सी० एम० एक्स० २ सी० एम० आन दि राइट साइड आफ फेस १ १/२ सी० एम० अबे फ्रेम आउटर एंगिल आफ राइट आई०।

एक उंगली में फ्रेक्चर है।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

उसको भी पढ़ दीजिये, रिपोर्ट क्या है।

श्री ब्रह्म दत्त—

एक्स रे रिपोर्ट इस प्रकार है।

एक्सरे शोज फ्रेक्चर बोन आफ मिडिल फालीइंग एण्ड टेमल फालीइंग आफ फोर्थ फिंगर आफ्टर बोनस आफ हैंड सीन नारम्ल फ्रैक्चर टीर्मनल एण्ड फालीइंग आफ फोर्थर्श फिंगर।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि उस अध्यापक को गम्भीर चोटें आयी हैं। वह विश्वविद्यालय के सम्मानित अध्यापक हैं वह अपनी ड्यूटी पर गये थे क्योंकि वह स्पोर्टस के अध्यापक हैं। प्रागदर्शन में पुलिस अधिकारियों का दोष सिध्द हो जाता है। जांच में बहुत समय लगेगा तो इस समय अध्यापक के सम्मान की रक्षा के लिये और पुलिस जो अनियंत्रित हो रही हैं और जघन्य काम कर रही हैं तो उन पुलिस अधिकारियों को निलंबित न करने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

आयुक्त महोदय जो सलाह देंगें वह हम करेंगें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, सब चीजें सामने आ गयी हैं। क्या मंत्री जी बता सकेंगें कि जो आदेश दिया गया यह किसी रास्ते चलते अधिकारी ने दिया था जो अधिकारी वहां ड्यूटी पर थे, उन्होंने दिया ? आदेश देने वाले कौन से अधिकारी हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त—

अध्यापक महोदय ने अपने पत्र में इशारा किया हैं कि कुछ लोग उठे और मार पीट की। उनका कहना हैं कि जब हमने नियंत्रित किया तब चोटें आयीं। सही चीज क्या हैं ? कमिश्नर महोदय जांच कर लेंगें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, वक्तव्य से स्पष्ट हैं कि स्थिति सामान्य नहीं हैं। जब विश्वविद्यालय खुलेगा तो स्थिति सामान्य हो जायगी इसकी क्या गारंटी हैं ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, प्राइमाफेसी में यह केस इस्टैबिलिश हो गया हैं कि अध्यापक को गंभीर चोटें लगी हैं। तो क्या पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश देंगें जिससे विश्वविद्यालय का शैक्षिक वातावरण बन सके ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, आयुक्त महोदय जो सलाह देंगें, वह हम करेंगे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

जिन पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम इस उत्तर में आया हैं क्या उनको हटाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

हटाने का प्रश्न जब पैदा होता हैं जब वह गवाहों को प्रभावित करते हों। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विद्यार्थी प्रभाव में आने वाले नहीं हैं। फिर भी जो आयुक्त कहेंगे वह किया जायगा।

(व्यवधान)

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

जैसा कि रिपोर्ट से जाहिर होता है कि अध्यापक ने कोई एफ० आई० आर० दर्ज नहीं कराई तो क्या किसी पुलिस अफसर ने दर्ज कराई है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

पुलिस में जो पथराव हुआ उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है और पुलिस अधीक्षक के द्वारा शासन को भेजी गयी थी ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

आयुक्त महोदय की जांच के बाद वहां सामान्य स्थिति होने की संभावना है यह मंत्री महोदय ने कहा । इसके मानी यह हैं कि वहां स्थिति सामान्य नहीं है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आयुक्त महोदय की स्थिति कब तक आ जायगी और सामान्य स्थिति होने के बाद विश्वविद्यालय कितने दिन बाद में खुल जायगा ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मैंने निवेदन किया कि आयुक्त महोदय की घोषणा के बाद यही मांग थी, लिहाजा दो तारीख को विश्वविद्यालय खुल जायगा ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

पी० ए० सी० जवानों का सम्बन्ध इससे है और किसी पुलिस स्टेशन के नजदीक यह घटना हुई तो उसका भी इससे सम्बन्ध है क्या ?

श्री ब्रह्म दत्त—

डेविड साहब का पत्र है पुलिस और आर० पी० एफ० दोनों का है और थानाध्यक्ष भी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार, २ मार्च, ८१ को ११ बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २८ मिनट पर सोमवार, २ मार्च, १९८१ के दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
२१ फरवरी, १९८१ ई०

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७८ पर ।)

तालिका

राज्य विद्युत रसायन कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र तथा उस पर कृत कार्यवाही का विवरण ।

मांग	कृत कार्यवाही का विवरण
१—तदर्थ आधार पर नियुक्ति रसायनज्ञ श्रेणी २ की सेवा समाप्ति/छटनी के आदेश रद्द करके, उन्हें नियमित अधिष्ठान पर नियुक्त किया जाय ।	इस संबंध में संबंधित कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है । न्यायालय के अन्तरिम आदेशानुसार इन कर्मचारियों को सेवा से निकाला नहीं गया है । न्यायालय के अन्तिम निर्णय होने पर ही कोई अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी ।
२—श्री पवन कुमार तथा तदर्थ आधार पर नियुक्त अन्य रसायनिज्ञों श्रेणी २ को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाय ।	संबंधित कर्मचारियों का मामला न्यायाधीन होने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।
३—तदर्थ आधार पर नियुक्त रसायनज्ञ श्रेणी २ को उपार्जित/चिकित्सा/नगदीकरण अवकाश दिया जाय ।	
४—'सेम्पलर' से लेकर मुख्य-रसायनज्ञ तक के वेतनमान एवं पद को उच्च स्तर प्रदान किया जाय ।	
५—रसायनज्ञ श्रेणी प्रथम को क्लास २ का स्तर देते हुये उनका वेतनमान दिनांक १-८-७२ से रु० ६००-१२५० पुनर्रीक्षित किया जाय ।	
६—रसायन कर्मचारियों को उनके वेतन का २५ प्रतिशत कैमिकल एलाउन्स दिया जाय ।	
७—रसायनज्ञों को अवर अभियंताओं की भाँति ५० रु० प्रतिमाह प्रतिकर भत्ता/(कम्पेन्सेटरी एलाउन्स) दिया जाय ।	
९—जिन रसायनज्ञों को रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है, उन्हें स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाय ।	

मांग	कृत कार्यवाही का विवरण
१०—मुख्य रसायनज्ञों को ७५ रु० प्रतिमाह विशेष वेतन दिया जाय ।	
११—उल्लिखित कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप पदनाम एवं वेतन दिया जाय ।	राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का मामला विचाराधीन है ।
१६—रसायन कर्मचारियों को दस साल की सेवा के बाद आगे का वेतनमान न देकर, उनको पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला वेतनमान दिया जाय ।	
२० प्रतिशत की दर से देय साइट कम्पैन्सेटरी २० प्रतिशत की दर से देय साइट कमेन्सेटरी एलाउन्स की अधिकतम देय धनराशि की सीमा १२५ रु० से बढ़ा कर २०० रु० की जाय ।	
८—रसायनज्ञों, प्रयोगशाला सहायकों एवं अन्य रसायन कर्मचारियों को २२ यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क घरेलू विद्युत उपभोग की छूट प्रदान की जाय ।	राज्य विद्युत परिषद् के नियमों के अनुसार इन कर्मचारियों को यह सुविधा देय नहीं है ।
१२—श्री के० सी० वर्मा, मस्टर रोल लैब असिस्टैंट की नियमित अधिष्ठान पर नियुक्ति की जाय ।	नियमित अधिष्ठान में केवल एक ही पद स्वीकृत है जो अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है । अतएव इस पर श्री वर्मा की नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है ।
१२—कुली पदनाम के कर्मचारी जो 'सेम्पलर' का कार्य करते हैं, उन्हें 'सेम्पलर' का पदनाम तथा वेतन दिया जाय ।	
१४—रसायनज्ञों श्रेणी २ के पदों पर विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भर्ती का कोटा २० प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत किया जाय ।	
१५—जल शोधन/जल शोधक संयंत्र के संचालन के कार्य से संबंद्ध आपरेटर-ग्रेड-२ को भी रसायनज्ञ श्रेणी २ के पदों पर २० प्रतिशत कोटे के अंतर्गत आयोजित चयन परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाय ।	

मांग	कृत कार्यवाही का विवरण
१७—रसायनज्ञ श्रेणी प्रथम के पदों को रसायनज्ञ द्वितीय श्रेणी से भरा जाय ।	रसायन कर्मचारियों को पदोन्नति देने के संबंध में अपनी अनुशंसायें देने हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा एक समिति गठित की गई थी । यह मांगें उक्त समिति की अनुशंसाओं से आवरित हैं । इस संबंध में समिति द्वारा की गई अनुशंसायें राज्य राज्य विद्युत परिषद् के विचाराधीन हैं ।
१८—विद्युत परिषद् में कार्यरत सभी रसायनज्ञों का स्थायीकरण किया जाय ।	रसायनज्ञों से अभिलेख प्राप्त किये जा रहे हैं जिनकी प्राप्ति पर परिषद् द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।
१९—१९७० के नियम के पूर्व कैमिस्ट ग्रेड-१ एवं २ के पदों पर की गई नियुक्तियों का निरमितीकरण किया जाय ।	श्री जगन्नाथ मिश्र, रसायनज्ञ द्वितीय श्रेणी आवरा परियोजना द्वारा वरिष्ठता के मामले में लोक सेवा अधिकरण-४ ने समस्त रसायनज्ञ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की नियुक्तियां जो वर्ष १९७० से पहले की गई थी उन्हें अवैध घोषित कर दिया है । इन आदेशों के विरुद्ध श्री मिश्र ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है जिस पर निर्णय अपेक्षित है ।
२२—अस्थायी मुख्य रसायनज्ञों की सेवाएं जिन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हें शहरी आवास भत्ता दिया जाय ।	यह मामला परिषद् के विचाराधीन है ।
२२—अस्थायी मुख्य रसायनज्ञों को सेवाएं नियंत्रित की जाय ।	रसायनज्ञों की सेवाएं उनके लिए बनी कैमिस्ट सर्विस रेग्यूलेशन्स १९७० द्वारा नियन्त्रित होती है । इन विनियमों के अंतर्गत अनन्तिम/ तदर्थ रूप से नियुक्त मुख्य रसायनज्ञों के निरमतीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

पी० एस० यू० पी० ६३ वि० सभा—३१-३-८१—८३५ (लाइनों)